खण्ड-377, अंक-7
बुधवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1908
(2 अप्रैल, 1986 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 377 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय	पृष्ठ संख्या
छाता, जिला मथुरा के क्षेत्राधिकारी एवं थाने की पुलिस द्वारा अत्याचार के सम्बन्ध में वक्तव्य	65–67
थाना कासिमपुर, हरदोई की पुलिस द्वारा ग्राम कहचारी के हरिजनों पर कथित अत्याचारों के सम्बन्ध में वक्तव्य	67–71
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित निर्बल वर्ग हेतु दुकानों के आवंटन में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में वक्तव्य	71–78
उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के भण्डार गृहों में कोयला, लोहा आदि की बिक्री न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	78–82
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	82–91
अनिश्चित काल के लिए सदन के स्थगन का प्रस्ताव	91–92
(स्वीकृत)	
नत्थियां	93–103

विधान भवन

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राज बहादुर, श्री	जौनपुर
काजीमोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र शर्मा, श्री	मेरठ
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर	राम आसरे, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द सिंह, कुंवर	बिजनौर	राम नरेश, श्री	मैनपुरी
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
नारायण हरि शर्मा, श्री	अलीगढ़	वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	गोरखपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तर काशी	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
बसन्त सिंह गहलौत, श्री	बिजनौर	शैलनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद	शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	संजय सिंह, राजकुमार	सुल्तानपुर
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर	सुखपाल पाण्डे, श्री	बस्ती
मोहम्मद उमर, डा0	गोण्डा	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली

नोट :–श्री अरुण कुमार सिंह, सहकारिता मंत्री, श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, कु0 सरस्वती अम्माल, श्रम राज्य मंत्री ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1986

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री छेदीलाल साथी, पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियां

**1—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार ने श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के उत्थान हेतु सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? यदि हां, तो क्या सरकार आयोग की रपट को सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आयोग ने सरकार को कुछ संस्तुतियां की हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ? क्या शासन उन संस्तुतियों को लागू करने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां ।

जी नहीं ।

उक्त आयोग की रिपोर्ट के शासन को प्राप्त होने के बाद जनवरी, 1979 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा श्री वी0 पी0 मण्डल की अध्यक्षता में केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, जिससे यह संस्तुति मांगी गयी थी कि भारत वर्ष में शैक्षिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किये जायं और इन वर्गों के उत्थान के लिए क्या उपाय किये जायें? उक्त मण्डल आयोग की रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है । इस परिप्रेक्ष्य में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही न करने का निर्णय तत्कालीन मंत्रि परिषद् के स्तर पर लिया गया था । अतः उक्त आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

जी हां ।

चूंकि उक्त रिपोर्ट की संस्तुतियों का कार्यान्वयन ही रोक दिया गया है अतः विवरण देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि 14 अगस्त, 1961 को भारत सरकार ने अपने परिपत्र संख्या 15/5/61 एस0 पी0 सी0 के द्वारा राज्य सरकारों को यह आदेश दिया कि वे अपने राज्यों में प्रदेश में पिछड़े हुए और निर्बल वर्ग के लोगों की सूची तैयार करें और उनको पूरी स्वतंत्रता होगी कि उन्हें संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अनुसार उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण की सुविधा प्रदान करें । क्या यह परिपत्र उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

आप सन् 61 की बात अब उठा रहे हैं ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर, यह छेदीलाल साथी आयोग, जब बहुगुणाजी चीफ मिनिस्टर थे, उनके जमाने में बना था । भारत सरकार के इसी पत्र के आधार पर कार्नाटक की हुकूमत ने मण्डल आयोग के गठन के बाद 68 परसेंट आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिये किया है।

इसलिये मैं जानना चाहूंगा कि, अकेले कर्नाटक में ही नहीं, तमिलनाडु और बिहार, इन राज्यों में भी इसी प्रकार आरक्षण चल रहा है और हमारे प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा आयोग का गठन हो गया और उस पर अमल नहीं कर रहे हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार के निर्देश आपको प्राप्त हैं ? यदि हां, तो इस आयोग की संस्तुतियां लागू करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, यह श्री छेदी लाल साथी आयोग का गठन 31-10-75 को हुआ था और मान्यवर, इसकी रिपोर्ट मार्च, 1978 में आयी थी ।

लेकिन, उसके पश्चात् ही मण्डल आयोग का गठन केन्द्र सरकार ने कर ली । मान्यवर, जब मण्डल आयोग का गठन कर लिया गया है, उसके पश्चात् जो वह निर्णय लेंगे, वह सम्पूर्ण भारत के सभी प्रान्तों में लागू होगा । उ0 प्र0 सरकार उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही है । जैसे ही वह आदेश देंगे, उसी प्रकार हम अपना निर्णय लेंगे ।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मण्डल आयोग पिछड़े वर्ग के नाम से है, जो यहां पर बहुगुणा जी के काल में आयोग का गठन हुआ था, वह सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के नाम से है । केन्द्र द्वारा गठित आयोग में केन्द्र की जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित आयोग में उ0 प्र0 की सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न क्या हुआ आपका ?

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, इन दोनों आयोगों की कार्य प्रणाली में जिसमें क्रमशः पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग शामिल है, क्या अन्तर है ? किस तरह से है ?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, उ0 प्र0 की सरकार ने इस बात को ध्यान में रखकर कि हमारे प्रदेश में जो पिछड़े में भी अत्यन्त पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिये विशेष रूप से एक कमीशन की नियुक्ति की छेदीलाल साथी कमीशन के नाम से । मान्यवर, जहां तक केन्द्र सरकार द्वारा गठित आयोग की बात है और उ0 प्र0 सरकार द्वारा नियुक्ति कमीशन की बात है, दोनों का क्षेत्राधिकार अलग है । केन्द्र सरकार ने उस तरफ ध्यान देने के लिये एक आयोग का गठन किया है। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है यह जो दोनों आयोग हैं, इनके टर्म्स आफ रेफरेंस में अधिकतर समानता होने के बाद भी कुछ भिन्न मुद्दे भी हैं । छेदी लाल साथी आयोग रिपोर्ट पर हमें काम करना था । मान्यवर, जो छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन रोक दिया गया है, क्या इस आशय का कोई पत्र या निर्देश राज्य सरकारों को दिये गये थे ? यदि नहीं दिये गये, तो छेदीलाल साथी आयोग की जो रिपोर्ट है, उसके कार्यान्वयन को रोक देने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही इस बात पर हम लोग एकमत हैं कि जो भी पिछड़े हुए वर्ग हैं–सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक रूप से उन्हें हमें आगे बढ़ाना है । मान्यवर, हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय राजीव गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि जो गरीब लोग हैं और उसमें भी जो बहुत

ही गरीब हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिये हमें काम करना है ।

श्री विजय सिंह राणा–

दीदी, वह तो दूधवा बच्चा है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आप लोग बात सुन लीजिये। छोटे-छोटे बच्चों ने ही हमारी संस्कृति को ऊपर उठाया है । शंकराचार्य ने 8 वर्ष में ही सन्यास लिया था, क्या मैं गलत हूं । अकबर ने 8 वर्ष की आयु में ही पूरे भारतवर्ष की हुकूमत को संभाला, क्या मैं गलत हूं ?

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थप-थपाहट)

(व्यवधान)

नचिकेता की क्या उम्र थी ? 8 वर्ष की आयु में ही यम के द्वार पर 3 दिन धरना दिया, क्या मैं गलत हूं ?

(श्री मित्रसेन, श्री शारदा प्रताप, श्री अशोक बाजपेयी, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । प्रश्नों के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने उत्तर दे दिया ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार ने समय-समय पर कई आयोगों का गठन किया । छेदीलाल साथी आयोग का गठन किया, मण्डल आयोग का गठन किया और काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया लेकिन इस सरकार द्वारा निरन्तर पिछड़े वर्ग के हितों की उपेक्षा किये जाने का क्या कारण है ? और आज तक इन आयोगों द्वारा की गई संस्तुतियों को लागू क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार ने उनके हितों की उपेक्षा करने का संकल्प ले लिया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप केवल प्रश्न का ही उत्तर दें

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । चूंकि उन्होंने बच्चा शब्द इस्तेमाल किया था, इसलिए मैंने अपनी बात कही। जो प्रश्न किया गया है, उसके संबंध में मैं कहना चाहती हूं कि यह कहना कि हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उदासीन है, यह बिलकुल निराधार बात है, मैं इसका खंडन करती हूं। आपकी जो भावना है, वही भावना हमारी भी है। आपकी इस भावना को मैं एप्रीशिएट करती हूं । मैं यहां सफाई देने के लिए उपस्थित हूं । हम पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए सतत् प्रयत्नशील हैं और यही हमारा संकल्प है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि आयोग की संस्तुतियां केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं । राज्य सरकार के ऊपर उसका कोई प्रतिबन्ध नहीं है । अपने राज्य में पिछड़े वर्ग को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए वह आरक्षण में वृद्धि करे जैसा कि अन्य राज्यों ने किया

भी है । क्या इसी प्रकार अपने प्रदेश में भी, बिना केन्द्र सरकार के निर्देश की प्रतीक्षा किए बगैर, पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में वृद्धि करने पर सरकार विचार करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, केन्द्र सरकार ने मण्डल आयोग का गठन किया है. उसका उद्देश्य भी यही है कि किस तरह से पिछड़े वर्गों का उत्थान किया जाय। जैसा कि पहले भी मैंने निवेदन किया कि हम लोग इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार से इस संबंध में हमको क्या निर्देश आते हैं । ज्योंही कोई निर्देश आता है और हम उसे लागू नहीं करते हैं तब तो आप हमको दोष दे सकते हैं।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक ही उत्तर जानना चाहता हूं कि छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई और मण्डल आयोग का गठन हो गया । क्या उत्तर प्रदेश सरकार को मण्डल आयोग के गठन हो जाने के बाद केन्द्र सरकार से क्या कोई ऐसा निर्देश मिला है कि छेदी लाल साथी आयोग की सिफारिशों को लागू न करें? यदि हां, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसकी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मण्डल आयोग का जिक्र किया। माननीय मंत्री जी ने मण्डल आयोग की सिफारिशों को पढ़ा होगा और समझा होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यह पूछना है कि जो मण्डल आयोग ने सिफारिशें की हैं, क्या उससे उत्तर प्रदेश सैद्धान्तिक रूप से सहमत है यदि हां तो उसे लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, इसके लिए माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ लें तो मैं उसका उत्तर दे दूंगी। मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर अभी भारत सरकार द्वारा परीक्षण करवाया जा रहा है । वहां से जो आदेश हमको प्राप्त होंगे, हम उसे तुरन्त लागू करने के आदेश करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कह तो दिया कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट मानेंगे।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से आर्टीकिल 340 के तहत काका कालेलकर और मण्डल आयोग बनाया गया और दोनों में केन्द्रीय नौकरियों में रिजर्वेशन के लिये प्राविधान था, छेदी लाल साथी आयोग प्रदेश के लिये अति पिछड़े वर्ग के लिये बनाया गया । जैसा आप कह रही हैं कि मण्डल आयोग के आ जाने के कारण आपने छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों को रोक दिया है, तो इससे पहले तो काका कालेलकर की रिपोर्ट ही आ चुकी थी, फिर प्रदेश सरकार की नौकरियों में छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियों को रोक देने का क्या औचित्य है? क्या इस पर विचार करेंगी कि चूंकि छेदी लाल साथी आयोग की संस्तुतियां अति पिछड़े वर्ग के लिये थीं? अतः उन्हें लागू किया जाय?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

जो मण्डल आयोग है, यह भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया था और ये बातें उसकी परिधि में हैं तथा हम इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं केन्द्र का और प्रदेशों का यदि समन्वय होता है, एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो उसकी शोभा ही कुछ और है। मुझे पूरी आशा है कि वहां के डायरेक्शन्स जल्द ही आने वाले हैं। मैं आप लोगों की भावनाओं को वहां प्रेषित करके उनसे अनुरोध करूंगी कि इसको शीघ्र किया जाय।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि मण्डल आयोग के गठन के तुरन्त पूर्व में ही भारत सरकार के यह आदेश थे कि प्रान्तीय सरकार यदि किसी आयोग का गठन करती है और उसकी संस्तुतियों को लागू करती है तो मण्डल आयोग उस पर बाधक नहीं रहेगा? यह मण्डल आयोग की पुस्तक वाल्यूम–1 में लिखा हुआ है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि भारत का संविधान की धारा 340 के प्रोविजो को देखें, इसमें लिखा है कि यदि भारत सरकार के आयोग के गठन से पूर्व कोई भी आयोग प्रान्तीय सरकारों ने भारत सरकार के आदेश पर गठन किया है और उसकी संस्तुतियों को मान लिया गया है तो मण्डल आयोग बाधक नहीं होगा। इसलिये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसी प्रकार से कर्नाटक की हुकूमत ने अभी भारत सरकार के मण्डल आयोग के गठन के बाद अति पिछड़े वर्ग के लिये 68 प्रतिशत का आरक्षण किया है। इस प्रकार कर्नाटक में मण्डल आयोग के गठन के बाद भी आरक्षण चल रहा है क्या जनहित में छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट को मन्जूर करेंगी? मण्डल आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को...

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये न, एक ही प्रश्न में 20 मिनट का समय निकल गया है। उन्होंने कह तो दिया है कि वे आपकी भावनाओं का आदर करते हुए उन्हें केन्द्र सरकार को प्रेषित करेंगी।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

आपकी आज्ञा से मैं इस सम्बन्ध में इतना निवेदन करना चाहती हूं कि माननीय सदस्य ने जो कर्नाटक के संबंध में अपना सुझाव दिया है तो हम उसको मंगवा कर देखेंगे कि उन्होंने क्या-क्या कदम उठाये है? और क्या एक्शन लिया है? इसको हम मंगवा कर देख लेंगे। वैसे मैं यह बतला दूं कि हम लोग पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं कि जो सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग है उनको ऊपर उठाने के लिये हम सतत् प्रयत्नशील हैं।

चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर राज्य चीनी निगम के पद पर नियुक्ति में अनियमितता

**2–श्रीमती सरोज वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के चीफ इंजीनियरिंग एडवाइजर के पद पर किस व्यक्ति की कब नियुक्ति की गयी तथा उसकी योग्यता एवं अनुभव क्या है? क्या उक्त नियुक्ति में चयन प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन हुआ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि उक्त नियुक्ति के

लिए जो साक्षात्कार समिति बनाई गयी उसके तकनीकी सलाहकार वही थे जिनकी नियुक्ति उक्त पद पर की गयी ? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी उक्त एडवाइजर को क्या वेतन दिया जाता है तथा पेंशन की सुविधा भी मिलती है, बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त तथा नियोजन राज्य मंत्री(श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के नियुक्ति आदेश दिनांक 26-2-85 के अनुसार प्रो0 एन0 आर0 खड़ियावाला ने मुख्य तकनीकी सलाहकार (यांत्रिक) के पद कार्य भार ग्रहण किया । प्रो0 खड़ियावाला वर्ष 1952 के बिरला कालेज आफ इंजिनियरिंग, पिलानी, राजस्थान के प्रथम श्रेणी के बी0 ई0 (मैकेनिकल) है । राज्य चीनी निगम में नियुक्ति के पूर्व का उनका कुल अनुभव 30 वर्षों का है, जिसमें से वे 26 वर्षों तक भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी संस्थाओं के वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं । स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति प्राप्त कर राज्य चीनी निगम में सेवायोजित होने के पूर्व वे भारत सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में निदेशक के पद पर कार्यरत थे जो स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और उनकी योग्यता का द्योतक है। अतः निगम में नियुक्ति हेतु उनके मामले में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । यह सही है कि राज्य चीनी निगम के मुख्य तकनीकी सलाहकार पद के लिये दिनांक 14-11-83 को किये गये साक्षात्कार हेतु गठित चयन समिति में वह विशेषज्ञ सदस्य के रूप में थे । उक्त चयन समिति ने किसी भी अभ्यर्थी को पद के उत्तरदायित्व एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उत्कृष्ट तथा अपेक्षित स्तर का नहीं पाया और पद रिक्त रह गया । अन्ततः प्रो0 खड़ियावाला की सेवाएं 4500/- रुपये संहत वेतन पर प्राप्त की गयीं और इसके अतिरिक्त उन्हें भारत सरकार से मिलने वाला पेंशन की सुविधा भी प्राप्त है ।

श्रीमती सरोज वर्मा–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि जो नियुक्ति चीफ एडवाईजर के पद पर उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम में प्रो0 खड़ियावाला की हुई है वह एकदम अनियमित है उसमें सभी नियमों को ताख पर रख कर उनकी नियुक्ति उक्त पद पर की गयी है । मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी स्वीकार किया है कि 14-11-83 को साक्षात्कार लेने के लिये जो समिति बैठी तो उसमें उस पद के लिये किसी भी अभ्यर्थी को उपयुक्त नहीं पाया लेकिन दो साल के बाद उन्हीं प्रो0 खड़ियावाला की नियुक्ति चीफ एडवाईजर के पद पर कर दी गयी। इससे साफ जाहिर होता है कि उस पद पर खड़ियावाला को लेने के लिये ही किसी अभ्यर्थी की उस समय नियुक्ति नहीं की गयी और उसके दो साल के बाद पीछे के दरवाजे से उनकी उस पद पर नियुक्ति कर दी गयी, इसीलिये तकनीकी सलाहकार के पद पर रहते हुए उन्हें कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं मिल पाया । इस संबंध में मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि एक लिपिक की भी जब नियुक्ति होती है तो उसके लिये चयन समिति द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है तो क्या कारण है कि खड़ियावाला की नियुक्ति जो दो साल के बाद हुई है ? यदि उसके लिये पहले कोई

अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया गया था तो फिर दोबारा उसके लिये विज्ञापन क्यों नहीं कराया गया ? इसके अलावा मैं दूसरा सवाल यह पूछना चाहती हूं कि-

श्री अध्यक्ष–

पहले आप एक प्रश्न का उत्तर सुन लीजिये, फिर दूसरा प्रश्न करियेगा ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

श्रीमन्, यह पद पिछले सात वर्षों से खाली था इसलिये इस पद पर नियुक्ति की जानी अत्यधिक आवश्यक थी । प्रदेश में और प्रदेश के बाहर, बहुत सारे विज्ञापन देकर इस पद को विज्ञापित किया गया था लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं आया । जो पांच व्यक्ति साक्षात्कार के लिये आये भी थे तो उसमें चयन समिति का अपना विवेक था और उसने किसी भी अभ्यर्थी को उस पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया । प्रो0 खड़ियावाला भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में निदेशक थे । यह उस समिति के सदस्य के रूप में थे, इनकी एक्स्ट्रा क्वालीफिकेशन थी इसलिये इनसे निवेदन किया गया कि वह क्यों न इस पद को स्वीकार कर लें । तो उन्होंने इस पद को स्वीकार कर लिया । चयन समिति द्वारा ही चुनने की प्रक्रिया है, और शासन से अनुमति प्राप्त करके ही इनकी नियुक्ति की गयी है ।

श्रीमती सरोज वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनको इनकी विद्वता के आधार पर नियुक्त किया गया है तो मैं जानना चाहती हूं कि चीनी मिलों के कार्य की पद्धति की जानकारी का इनका अनुभव कितना है ? क्या बी0 ई0 फर्स्ट क्लास और चीनी मिलों में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की इनसे अधिक योग्यता नहीं थी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

आपने यह प्रश्न किया कि इनका चीनी मिलों में कितना अनुभव था, तो मैं बताना चाहता हूं कि 30 साल का इनका अनुभव है । प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 1952-1953, शिफ्ट इंजीनियर (1954–1958) मेसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लि0, श्री गंगानगर, टेक्निकल आफीसर (शुगर इंजीनियरिंग) (1958–1962) डाइरेक्टोरेट आफ शुगर एण्ड वनस्पति (मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर, नई दिल्ली), डिप्टी डाइरेक्टर (शुगर इंजिनियरिंग) 1962–1965 (डाइरेक्टोरेट आफ शुगर एण्ड वनस्पति, मिनिस्ट्री आफ फूड एण्ड एग्रीकल्चर, नई दिल्ली चीफ इंजीनियर (एडवाइजरी) (1965–1970) नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, कानपुर, चीफ प्रोजेक्ट इन्जीनियर, (1970-1971) मेसर्स गंगानगर शुगर मिल्स लि0 श्री गंगानगर, राजस्थान, प्रोफेसर आफ शुगर इन्जीनियरिंग 1971–1974, नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट, मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, चीफ इंजीनियर (एक्सपेन्शन) जनवरी 1975 अगस्त 1981, नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, डाइरेक्टर नेशनल शुगर इन्स्टीट्यूट (सितम्बर 1981 से 7 मई 1984 तक) विदेश में भी इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है । जुलाई 1960 से दिसम्बर 1960 तक फ्रांस में तथा अक्तूबर से दिसम्बर, 1971 तक स्वीडेन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है यह जो 5 व्यक्ति आये थे उनमें से किसी को भी उपयुक्त नहीं पाया गया । दो व्यक्तियों को आंशिक रूप से योग्य पाया गया था, लेकिन उनका केमिकल साइड का ही अनुभव था, परन्तु प्रो0 खड़ियावाला का

केमिकल और मेकेनिकल दोनों साइड का अनुभव था । इसलिये इनका चयन किया गया ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह स्पष्ट रूप से धांधली है कि जो व्यक्ति किसी चयन समिति में तकनीकी सलाहकार था, उसने सभी योग्य व्यक्तियों को अयोग्य घोषित कर दिया। मेरा आरोप है, इनसे और अधिक अच्छे लोग इस पद के लिये मिल सकते थे । प्राग दर्शन में यह मामला सिद्ध हो जाता है कि इसमें भ्रष्ट कार्यवाही की गयी है इसलिये पूरे मामले की जांच करायी जाये और इनकी नियुक्ति को तत्काल समाप्त किया जाय । इनकी योग्यता के बहुत से इन्जीनियर्स हैं, बहुत से मिल सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, उस तिथि को इस तरह के इन्जीनियर नहीं थे, आज हो सकते हैं। हो सकता है कि आज न मिले और कल मिल जाये ।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं बार-बार खड़ा हो रहा हूं आप मौका नहीं दे रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया कि इस नियुक्ति में भारी घपला हुआ है । इतने बड़े पद के लिये इस तरह से आर्बिट्रेरी नियुक्ति किसी भी शासन के लिये बड़ी शर्म की बात है और इससे ज्यादा खुले पक्षपात का और कोई नमूना नहीं मिल सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, सन् 83 में जो चयन समिति बनी थी तो उसमें प्रोफेसर खड़ियावाला उसके सदस्य थे, केन्द्र में दूसरी जगह उनकी नियुक्ति हुई थी । ऐसा लगता है कि जानबूझकर उसमें किसी का चयन नहीं होने दिया और उन्हीं का इन्तजार कर रहे थे कि जब वहां से सेवा निवृत्त हों तो उनकी नियुक्ति की जाय । उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है । वे इस धरती पर सबसे भिज्ञ और क्वालिफाइड पुरुष हो सकते हैं लेकिन चयन की एक प्रक्रिया हुआ करती है, जिसे आपने भी स्वीकार किया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न कीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या माननीय मंत्री जी चयन की जो प्रक्रिया होती है कि चयन समिति गठित की जाती है तब चयन किया जाता है, ऐसा इसके लिये नहीं किया गया तो क्या आप पुनः इस पद के लिये विज्ञापन करके चयन समिति का गठन करके इस पद पर नियुक्ति करने का आश्वासन सदन को देंगे?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, मैंने सदन से निवेदन किया कि प्रक्रिया चयन समिति के माध्यम से सुनिश्चित है लेकिन शासन को अधिकार प्राप्त है कि उसमें शिथिलीकरण किया जा सकता है और ऐसा करके इस नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया गया।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा साफ सवाल है कि यह पद नियुक्ति का है या मनोनयन का ? इस तरह से जब नियुक्ति के पदों पर मनोनयन किया जायेगा तो इस देश की सारी प्रतिभायें विदेश चली जायेंगी, ऐसा हो रहा है । तो पहला

प्रश्न मेरा यह है कि यह नियुक्ति का पद था मनोनयन का पद था ? यदि नियुक्ति का था ? तो इस पर मनोनयन कैसे संभव हुआ?

श्री भोम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, एकदम से हायर पोस्ट जो है उनमें दोनों तरह से होता है । हर उपक्रम में, हर जगह इस तरह के स्पेशलाइजेशन के पद है जिनमें दोनों तरह से चयन करने का प्राविधान है । इस पद के लिये शासन से अनुमोदन भी ले लिया गया था ।

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बाढ़ के जल को अवशोषित करने की शासन की नीति

*1–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ के अतिरिक्त जल को भूवैज्ञानिक ढंग से पृथ्वी के अन्दर अवशोषित करने की नीति शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

जी नहीं ।

प्राविधिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है ।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस प्रश्न को बहुत खूबसूरती के साथ टाल दिया . . .

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न कर लीजिए ।

श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में हर साल बाढ़ आती है तो जो बाढ़ का अतिरिक्त जल है जिससे काफी क्षेत्र प्रभावित होते हैं उसका सही उपयोग करने के लिए क्या शासन किसी ऐसी नीति पर विचार कर रही है . . . (व्यवधान) । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बाढ़ के अतिरिक्त जल का किस तरह से सदुपयोग हो, इसके लिए शासन किसी योजना पर विचार कर रहा है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

फिलहाल कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस जनहित के प्रश्न को दृष्टि में रखते हुए बाढ़ के पानी का सदुपयोग करने के लिए कोई आयोग गठित करने पर विचार करेगी जिससे बाढ़ के पानी का दुरुपयोग रोका जा सके और उसका सदुपयोग हो सके ? इस सम्बन्ध में तकनीकी विशेषज्ञों का कोई आयोग बैठाकर इस तरह की किसी योजना पर विचार करेंगे ?

श्री भोलाशंकर मौर्य–

मान्यवर, शासन का जो सिंचाई आयोग है वह बैठा हुआ है, उसमें काम हो रहा है । और इस तरह का कोई आयोग बैठाने का शासन का विचार नहीं है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आप जानते हैं प्रदेश में 325 ब्लाक ऐसे हैं जिनमें खारा पानी है उसकी समस्या इसी प्रश्न के जरिए से ठीक की जा सकती है । मैं निवेदन करूंगा कि खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो बरसात का ज्यादा जल है, या जो बाढ़ आती है उसको जमा करके, इनवरटेड वैल बना कर उसको खारे पानी में मिला कर पीने योग्य बनाया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

इसका इस प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, विदेशों में ऐसा हो रहा है इजराइल में यह व्यवस्था है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, इस मूल प्रश्न में ही माननीय मंत्री जी से पूछा गया है कि यदि ऐसी नीति नहीं है तो क्यों ? तो वह इस क्यों का उत्तर देने की कृपा करें ?

श्री भोलाशंकर मौर्य–

यह टैक्निकली पासिबुल नहीं है।

डा0 दिनेश जौहरी–

क्या यह कोई टैक्निकल रिपोर्ट है। जिस पर अब विचार करने की कोई सम्भावना नहीं है ?

श्री भोलाशंकर मौर्य–

जी हां, टैक्निकल रिपोर्ट है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में कि यह टैक्निकल रिपोर्ट है इसलिए सम्भव नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि इजराइल तथा अन्य देशों में इस तरह का कार्य किया जा रहा है कि जो बाढ़ का पानी या जो अधिक पानी होता है उसको टैक्निकली इनवरटेड वैल बना कर एकत्रित कर लिया जाता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है। तो भारत में यह टैक्निकल पासिबुल क्यों नहीं है ? यह किस टैक्निकल कमेटी की रिपोर्ट है ?

श्री भोलाशंकर मौर्य–

मान्यवर, जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है उसमें हमारे इंजीनियर इन चीफ ने कहा है कि टैक्निकल दृष्टि से यह सम्भव नहीं है । दूसरा जो आपने कहा कि इजराइल वगैरह में यह है तो वहां भी यह विकसित ज्यादा नहीं है लेकिन इसका अध्ययन जरूर कराया जा सकता है ।

श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

*2–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री को इसकी जानकारी है कि केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्री का पत्र तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आदेश प्राप्त हुआ है कि वह टिहरी गढ़वाल जिला जज की जांच के परिणामों का अध्ययन कर श्रमिक कानूनों का उल्लंघन करने वाली कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही करें ?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 23-9-85 को जिला जज टिहरी-गढ़वाल (न कि जिला मैजिस्ट्रेट टिहरी-गढ़वाल) की जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे और इसी प्रसंग में तत्कालीन श्रम मंत्री जी भारत सरकार का भी पत्र प्राप्त हुआ था । माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शासन की ओर से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करा दिया गया है । मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब श्रम विभाग की अनुदानों पर बहस हो रही थी तब मैंने जानकारी सदन को दी थी लेकिन अफसोस है उस समय माननीय मंत्री जी ने अपनी श्रम विरोधी नीति का परिचय देते हुए अनभिज्ञता प्रकट की थी और कहा था कि हमारे पास इस तरह की कोई जांच रिपोर्ट नहीं है । इस पर मैं

विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना देता हूं, जो मैं लिख कर भेज दूंगा । अब इस सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि जिला जज टिहरी-गढ़वाल की रिपोर्ट क्या है ? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें कोई कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ? तो मैं जानना चाहता हूं कि वह जांच रिपोर्ट क्या थी ? और कौन-कौन सी कम्पनीज दोषी पाई गई और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का माननीय सुप्रीम-कोर्ट ने निर्देश दिया था ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा मूल उत्तर में भी मैंने निवेदन किया है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब एक रिट हुई तो उस रिट पर ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें जांच करने के लिए जिला जज टिहरी-गढ़वाल को निर्देशित किया । जिला जज टिहरी-गढ़वाल ने जांच की तो उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया । तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे उत्तर प्रदेश सरकार के यहां भेजा । इस बात के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट को देखें और उसके बाद अपना काउन्टर एफिडेविट सब्मिट करें, तो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में काउन्टर एफिडेविट दे दिया गया है ।

रिपोर्ट क्या है ? तो मैं बताना चाहता हूं कि टिहरी-गढ़वाल, जिला जज की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, सब-जुडिस मामला है, इसलिए माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि विस्तार में रिपोर्ट दी गई है उस पर चर्चा करना जनहित में उचित नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, थोड़ी तो मेरी जानकारी है किसके हिसाब से फैक्ट्स सब-जूडिस नहीं होते हैं, इसलिए मैं केवल फैक्ट्स जानना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट के अधिमत पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, इन्होंने स्वीकार किया है कि एक जज द्वारा मजदूरों का शोषण हो रहा है उस पर, रिपोर्ट भेज दिया, तो वह रिपोर्ट क्या है उसको मैं जानना चाहता हूं। चूंकि वह गोपनीय नहीं है और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, जिला मजिस्ट्रेट ने अखबारों में प्रकाशित करवा दिया है, तो सदन में बताने पर क्या वह सब-जुडिस हो जायेगी? इसलिए मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं क्योंकि वहां मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, चर्चा करूंगा तो भाषण हो जायेगा, इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता हूं । यह सब-जुडिस है कि नहीं, इस पर निर्णय देते हुए आप देखें और मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो जिला जज से इन्क्वायरी कराई गई, मानव हित में, और रिपोर्ट भेज दिया, वह सब-जुडिस नहीं है, उस पर जज ने क्या कार्यवाही करी वह कार्यवाही करना सब-जुडिस नहीं रह गया है, इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्या कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ? वह बतायें, कि रिपोर्ट क्या है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, गुप्ता जी ने जो सन्दर्भ दिया है उसमें जिला जज, टिहरी गढ़वाल ने मामले की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीमकोर्ट को 30 जुलाई, 1985 को भेज दिया था । उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 23-9-85 को उत्तर प्रदेश शासन को आदेश दिया कि जिला जज, टिहरी, गढ़वाल द्वारा दी गई संवीक्षण के परि-पेक्ष्य में जांच कराई जाये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

उस पर उत्तर प्रदेश शासन ने 5 अक्टूबर 1985 को अपर श्रम आयुक्त, श्री गिरीश चन्द्र पाठक से जांच कराई गई और उन्होंने जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसमें कहा है कि कोई चाइल्ड लेबर का मामला नहीं है, कोई बंधुवा श्रमिक का मामला नहीं है । हमने वाइलेंस आफ अदर लेबर लाज में कुछ लोगों को अभियोजित किया है और कुछ कम्पनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया और उनको दण्डित भी किया गया है । इस प्रकार विभिन्न लेबर कोर्ट के बाई-लाज पर शासन ने जागरूकता दिखाई है और दण्डित किया है । लेकिन यह मामला सुप्रीमकोर्ट के विचाराधीन है, उनका जो जजमेन्ट आयेगा उसके अनुसार निर्णय लिया जायेगा । इसलिए मामला सुप्रीमकोर्ट के विचाराधीन है और मामला सब-जुडिस होने के कारण इसमें विशेष रूप से विचार नहीं होना चाहिए ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आपने बताया कि सुप्रीमकोर्ट ने जिला जज को आदेश दिया कि जांच करें और मेरी जानकारी को सही मानते हुए जब जज ने मजदूरों के बयान लिए तो वहां के कम्पनियों के मालिक जो मजदूरों का शोषण कर रहे थे पहले से वह जिला प्रशासन के सहयोग से उन मजदूरों को उत्पीड़ित कर रहे हैं और जेलों में भेजे जा रहे हैं एवं नौकरियों से निकाले जा रहे हैं इसकी क्या आपको जानकारी है ?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि इन सारे तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए ही काउन्टर एफिडेविट सुप्रीमी कोर्ट में दाखिल किया गया है । जहां तक उत्पीड़न की बात है, जो रिपोर्ट है मिस्टर पाठक, अपर श्रमायुक्त की, उसके अनुसार इस तरह के कोई तथ्य नहीं हैं उसमें । यों इसी उत्पीड़न के सम्बन्ध में बंधुआ मजदूरों की समस्या के बारे में उड़ीसा सरकार से जानकारी आई है कि उनका इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, तो उसमें भी एक मिस्टर एच0 के0 साहू, डिप्टी लेबर कमिश्नर, उड़ीसा सरकार आए थे, उन्होंने इस मामले में जांच की और लोगों का स्टेटमेन्ट लिया था, वह रिपोर्ट बड़ी लम्बी है, फिर भी मैं उसकी दो चार लाइनें आपकी आज्ञा से सदन और माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूंगा। वह अंग्रेजी में है और उसमें लिखा है कि "दि रीजन्स बाई एण्ड लार्ज एक्सप्रेस्ड दियर रिलक्टेंस टू कम बैक टू दियर विलेज नाट विधेस्टैंडिंग आल एश्योरेंसेस एण्ड असिस्टेंस आफर्ड टू देम फार दियर सेफ रिटर्न फार दि रिजंस आफ अनएवेलिबिलिटी आफ इम्पलायमेंट इन दि होम स्टेट एण्ड पावर्ड इम्प्रूवमेंट इन दियर वर्किंग एण्ड लीविंग कण्डीशन । सम आफ देम वालन्टर्ड से दैट दे आर कान्टेन्डेड एण्ड हैपी" । इसका आशय यह है कि जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप अपने गृह जनपद–गृह प्रदेश में जाना चाहेंगे, तो उन्होंने उसमें अपनी रिलक्टेंस दिखाई और कहा कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हम यहां सन्तुष्ट और प्रसन्न हैं । तो बन्धुवा मजदूरों की बात इस रिपोर्ट के आधार पर अब तक सही नहीं है । अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार होगा और उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी ।

मदन सूती मिल, हस्तिनापुर, मेरठ को चालू करने की कार्यवाही

*3–श्री हर सरन सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे

कि जिला मेरठ के हस्तिनापुर नगर में मदन सूती मिल कितने समय से बन्द है? इसके बन्द होने का क्या कारण है और कितने मजदूर बेरोजगार हैं ? उसको अभी तक चलवाने का शासन ने क्या उपाय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर–

मे0 मदन इण्डस्ट्रीज लि0 (मदन सूती मिल) हस्तिनापुर, मेरठ में दिनांक 8 अगस्त, 1984 से कार्य-बंन्दी है । कार्य-बन्दी का कारण वित्तीय कठिनाइयां हैं एवं कार्यबन्दी से लगभग 1200 श्रमिक प्रभावित हैं । सेवायोजकों को आर्थिक सहायता देने का मामला केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं के स्तर पर विचाराधीन है ।

श्री हर सरन सिंह–

यह फैक्ट्री दो वर्ष से बन्द पड़ी हुई है, जिससे 1200 श्रमिक बेरोजगार हैं और भूख की कगार पर खड़े हुए हैं, यह वह श्रमिक हैं, जो बाहर से आए हुए हैं,, रिफ्यूजी हैं। इससे वहां के क्षेत्रीय लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से असन्तुष्ट हैं, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन 1200 श्रमिकों की बेरोजगारी दूर करने को कोई व्यवस्था की जा रही है या नहीं ? यदि की जा रही है तो कब तक होगी और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर–

यह सच है कि इसमें लगभग 1200 मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है, लेकिन जैसा मूल उत्तर में निवेदन किया है, उनकी वित्तीय कठिनाइयों के कारण यह संकट आया है और उनके ऊपर लगभग 2,49,72,000 रुपयों की लायबिलटीज हैं। जो लायबिलिटीज हैं वह विभिन्न प्रकार की हैं। यू0पी0 गवर्नमेंट के लोन्स हैं, बिजली के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है जिसकी वजह से बिजली काट दी गयी है । तो ऐसा नहीं है कि शासन इसके बारे में जागरूक नहीं है। शासन ने कई मीटिंग्स करायी हैं। 30-9-84 को जो ढाई करोड़ रुपया बनता था उसको वसूलने के लिये बाकायदा कार्यवाही की गयी लेकिन इसी बीच यह लोग हाई कोर्ट चले गये और स्टे आ गया तो ऐसी स्थिति में आगे कार्यवाही नहीं कर सके। बाद में 15-2-85 को श्रमायुक्त, मेरठ के समक्ष एक समझौता हो गया। सेवा योजकों और मजदूरों के बीच सामंजस्य स्थापित हुआ कि सेवायोजक भी इस बात का प्रयास करेंगे कि यह सिक मिल चले और मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सके। उत्तर प्रदेश की सरकार, वित्तीय संशाधन जुटाने के लिये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंश जो हैं उनसे पैसा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस मिल को चलवाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या प्रयास किया? वित्तीय संसाधन जुटाने के अलावा शासन ने इस मिल को चलवाने के लिये क्या प्रयास किया?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा मैंने स्पष्ट किया शासन की सदाशयता इससे ज्यादा और क्या होगी कि मीटिंग कर रहे हैं। दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। वित्तीय संशाधनों को जुटाने के लिये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंश से बाकायदा एप्रोच की जा रही है।

श्री राजेन्द्र सिंह सोलंकी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 12 सौ मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है। क्या सरकार इस मिल को टेक ओवर करके उन मजदूरों

को नौकरी देने का विचार कर रही है? दूसरा प्रश्न यह है कि श्रम मंत्रालय ने जो मिल मालिक हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है? उनके खिलाफ वारंट जारी कराया है या अरेस्ट करने की कार्यवाही की गयी है? सरकार ने मिल मालिकों पर प्रेशर डालने की कोशिश की हैं जिससे मजदूरों को नौकरी मिल सके और उनको निकाला न जा सके।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि टेक ओवर क्यों नहीं किया गया। मान्यवर, यह आपके कृपापूर्ण संज्ञान में है और माननीय सदन भी इससे अवगत है कि टेकओवर करने का अधिकार भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एण्ड रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 20 में यह प्राविधानित किया गया है । यह मामला उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में हैं। उनके ऊपर लायबिलिटीज हैं जिससे मिल बन्द है। दूसरी चीज मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि टेक्सटाइल्स यूनिट में आल ओवर इंडिया, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सिकनेस ज्यादा है और इसका प्रभाव हमारे प्रदेश पर भी पड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इसी यूनिट पर प्रभाव पड़ा हो दूसरी यूनिट्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लेबर डिस्प्यूट एक्ट और अन्य जो लेबर एक्टस हैं जिनके तहत लाक-आउट होता है तो उस समय मजदूरों को वेतन सम्बन्धी और कुछ अन्य सुविधायें अनुमन्य हैं। तो मज़दूरों को वह सुविधाएं मिल रही हैं क्या मंत्री जी ने इसको जानने की चेष्टा की है? अगर नहीं मिल रही हैं तो उनको दिलाने के लिये सरकार प्रयास करेगी?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, प्रबंधकों ने एक नोटिस दी थी इस बात के लिये 15-17 का हवाला देते हुये कि 45 दिन तक लेबरर्स को कार्य से वंचित कर सकते हैं। लेकिन इसको हम नहीं मानते हैं, उनको यह करना चाहिए था या नहीं। सेक्शन 20 के अनुसार लीगल ले-आउट होना चाहिए, जो नहीं हुआ, एसी स्थिति में जो देय धनराशि उन पर थी, उसकी रिकवरी के लिए उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। देय धनराशि के पेमेंट करने से पहले ही वे हाईकोर्ट चले गये और वहां से स्टे-आर्डर प्राप्त कर लिया। इसलिए उन पर देय धनराशि की वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, इसकी जानकारी तो माननीय मंत्री जी को स्वंय होगी कि जब किसी मिल में ले-आउट होता है, तालाबन्दी होती है, तो उसके लिए मैनेजमेंट पहले से ही शासन से परमीशन सीक करता है और शासन उस पर परीक्षण करता है, यदि उनके द्वारा दर्शाए गये कारण सही होते हैं तो शासन इन्हें इसकी इजाजत देता है, वरना नहीं देता है तो मैं मा0 मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि उस मैनेजमेंट ने तो अपनी पूंजी निवेश को दूसरे कन्सर्नस में धीरे-धीरे लगा लिया और बाद में इस मिल को बैकवर्ड घोषित कर दिया। तो क्या मैनेजमेंट ने परमीशन शासन से सीक किया था तालाबंदी से पहले और यदि किया था तो शासन ने उसका परीक्षण करवाया या नहीं और यदि बगैर परीक्षण कराए उन्होंने

तालाबंदी कर दी तो आपको उन पर प्रासीक्यूट करने में क्या आपत्ति है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इण्डस्ट्रियल एक्ट, 1947 के सेक्शन 20 में यह प्राविधान है कि यूनिट को लीगल ले-आउट करने के लिए, परमीशन सीक करनी चाहिए, लेकिन न तो उन्होंने इसके लिए परमीशन सीक की और न ही उन्होंने विधिवत तालाबंदी की, इसलिए उन्हें नियमानुसार वेतन का भुगतान करना था, जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कारण बताओं नोटिस दिया गया और पूरा वेतन दिए जाने के सम्बन्ध में सेवायोजकों द्वारा रिट भी दायर की गयी, परन्तु उन्होंने स्टे आर्डर ले लिया 23-10-84 को और स्टे आर्डर उनको ऐसी स्थिति में इसलिए मिल गया कि वह स्टे-आर्डर प्राप्त करने से पहले ही 16-10-85 को ताला बंदी करके चले गये। ऐसी अपरिहार्य स्थिति में देय धन की वसूली नहीं हो सकी। हालांकि यह सब चीजें विधिवत नहीं थीं और न ही ले-आउट विधिवत हुआ क्योंकि ले-आउट करने से पहले उन्हें आदेश प्राप्त करने चाहिए थे।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अनर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बाढ़ और जल भराव से बचाव हेतु शासन की योजना

*1–श्री मित्रसेन तथा

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7-2-86 को रेडियो से प्रादेशिक समाचार में यह समाचार प्रसारित कराया गया है कि मुख्य मंत्री जी उ0 प्र0 ने प्रदेश में बाढ़ और जल भराव की समस्या से निपटने के लिए केन्द्र सरकार से एक अरब से अधिक की धनराशि की मांग की है? यदि हां, तो बाढ़ और जल भराव से निपटने के लिए क्या शासन ने कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां। सप्तम योजना में सिंचाई विभाग के बाढ़ प्रबन्ध कार्यों के लिए कुल 164.50 करोड़ रु0 का प्राविधान है। रु0 164.50 करोड़ के परिव्यय से 250 कि0मी0 लम्बे सीमान्त बान्ध तथा 400 कि0मी0 लम्बे जलोत्सारण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है जिससे लगभग 3 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह हमारा निकम्मा मंत्रिमण्डल रेडियो और टेलीविजन पर अपने काले चेहरे को सफेद करता रहता है। उसी के अन्तर्गत 7 फरवरी को एक घोषणा प्रदेश सरकार ने की बाढ़ प्रबन्ध कार्यों के लिए केन्द्र सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की है, परन्तु मान्यवर, उस योजना का कोई प्रारूप आज तक सामने नहीं आया, जिसमें एक अरब, 64 करोड़ और 50 लाख की योजना का प्राविधान है। इसलिए मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने पैसे की मांग इस सम्बन्ध में की है कौन सी योजना है और उसका क्या प्रारूप है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, सिंचाई की जो योजना है, मैं अर्ज कर चुका हूं कि बाढ़ कार्यों के लिए 164.5 करोड़ रुपए का परिव्यय

स्वीकृत हुआ है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें जो कार्य किये जायेंगे उसको मैंने बता दिया। जहां तक केन्द्र सरकार से परिव्यय मांगने का सवाल है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पटना में जो एक बैठक कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें मांग की थी। उसमें 8 जनवरी को भूमि जल प्लावन और रिसाव के लिये, 465 करोड़ बाढ़ नियंत्रण के लिये और 5 सौ करोड़ और कार्यों के लिए जल निकासी आदि के लिये मांगा गया था।

श्री राम चन्द्र बक्ष सिंह–

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जिस वक्त केन्द्र सरकार से रुपया मांगा गया उस वक्त खाली जनरल बात कही गई थी या कोई योजना प्रस्तुत की गई थी। दूसरा जो उत्तर में कहा गया है कि 250 किलोमीटर लम्बे सीमान्त बांध का कार्य किया जायेगा इस पंच वर्षीय योजना में यह कार्य कहां-कहां पर कराये जायेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, योजना नहीं प्रस्तुत की जाती है। जो डिसकशन होता है, जो परिव्यय संभावित होते हैं, वह पेश किया जाता है। जो सीमान्त बांध और जल निकासी का कार्य है वह विभिन्न जनपदों में होगा, इसकी सूचना इस समय नहीं है, मांगेंगे तो दे दी जायेगी।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

जो रुपये की मांग की गई है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सदन में प्रस्तुत किया गया है, यह धन सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में बाढ़ और सिंचाई विभाग से सम्बन्धित था, जो परिलक्षित किया गया है, उसके अन्तर्गत है या नहीं है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

यह सिंचाई के अन्तर्गत है।

श्री असलान सिंह–

मंत्री जी ने बताया कि विभिन्न जनपदों में खर्च किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि वह विभिन्न जनपद कौन-कौन से हैं जो जल प्लावन और बाढ़ से प्रभावित हैं और इसमें इटावा जनपद भी शामिल है या नहीं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्रीमती सुनन्दा प्रसाद, जिलाधिकारी, रामपुर द्वारा कतिपय दुकानों का आवंटन

*2–श्री मो0 आजम खां (अनुपस्थित)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि रामपुर जनपद से श्रीमती सुनन्दा प्रसाद, जिलाधिकारी, रामपुर ने 1984 में स्थानान्तरण होने के केवल एक सप्ताह पूर्व बीस ऐसे व्यक्तियों को सस्ते राशन के डिपो एलाट किये, जिनके प्रार्थना पत्र तक न थे और साथ ही ऐसे व्यक्तियों को जिनका अपराधी जीवन रहा है को जिला पूर्ति अधिकारी की रिपोर्ट बिना, डिपो दिए थे? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जनपद रामपुर में वर्ष 1984 में श्रीमती सुनन्दा प्रसाद तत्कालीन जिलाधिकारी के कार्य अवधि में माह जून, 1984 में 10 व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र दुकान आवंटन हेतु प्राप्त हुए थे, जिनमें से वरीयता क्रम के आधार पर 8 व्यक्तियों के पक्ष में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित की गयी। आवंटियों का अपराधी

जीवन नहीं रहा और न ही वे किसी न्यायालय द्वारा राजा याफ्ता ही रहे । जहां तक जिला पूर्ति अधिकारी की संस्तुति का प्रश्न है शासन द्वारा जिलाधिकारियों को उक्त कार्य के लिये पूर्ण रूप से प्राधिकृत किया गया है।

[बुधवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1986 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

औद्योगिक मजदूरों के कार्य के घंटे को कम करने पर विचार

*1–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार औद्योगिक इकाइयों में लगे मजदूर एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य के घंटों को कम करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गौरी शंकर–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन की संस्तुतियां जिन्हें भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है, के अनुसार सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों में नियोजित मजदूरों के कार्य के एक दिन में 8 घण्टे व एक सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक नहीं होंगे। राज्य में लागू श्रम कानूनों में तद्नुसार कार्य के घण्टे निर्धारित हैं।

श्री सरदार सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में बताया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या श्रम संगठन ने कार्य के घण्टों को कम करने की संस्तुति की है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं है। न ही कोई संस्तुति शासन के संज्ञान में है। अभी तक वर्तमान स्थिति यही है कि एक दिन में 8 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक न हो और इसी नीति के तहत काम चल रहा है और कार्य किया जा रहा है।

श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निजी क्षेत्र में सरकार को यह शिकायतें मिली हैं कि निजी संगठन के जो मालिक हैं, वे श्रमिकों से 8 घंटे से अधिक काम लेते हैं । यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि निवेदन किया कि प्रावधानित तो यही है और व्यवस्था भी यही है, लेकिन आपका कहना है कि 8 घंटे से ज्यादा काम ले रहे हैं तो सारे के सारे लेबर ला इसीलिए बने हैं कि इनके अंतर्गत काम हो और इनका उल्लंघन किया जाय तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मा0 सदस्य कृपा करके ऐसे मामले बतायें, तो शासन उन पर पूरी कार्यवाही करेगा।

*2–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[दि0 12-2-86 को तारां0 प्र0सं0 5 द्वारा उत्तरित]

*3–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[दि0 12-2-86 को तारां0 प्र0सं0 3 द्वारा उत्तरित]

उत्तरा खंड में नशाबन्दी हेतु कार्यवाही

*4–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी तत्वावधान में अल्मोड़ा जनपद समेत उत्तराखण्ड में पूर्ण शराब बंदी के लिए विगत दो वर्षों से शांतिमय आन्दोलन चल रहा है ? क्या इस संदर्भ

में मार्च, 84 के अंतिम सप्ताह में अल्मोड़ा बागेश्वर रानी खेत तथा अन्य नगरों में पूर्ण बन्द का आह्वान किया गया ? यदि हां, तो सरकार ने जनभावना के अनुरूप अब तक इस संदर्भ में क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

उत्तराखण्ड संघर्ष वाहिनी द्वारा माह मार्च, 1984 के तृतीय सप्ताह से अल्मोड़ा जनपद में पूर्ण शराब बन्दी के लिये आन्दोलन चलाया गया तथा मार्च, 1984 के अन्तिम सप्ताह में अल्मोड़ा, रानीखेत तथा बागेश्वर में बन्द का आह्वान किया गया था ।

शासकीय विज्ञप्ति संख्या 3220 ई/तेरह-627/84, दिनांक 26-5-84 द्वारा सम्पूर्ण अल्मोड़ा जनपद में परमिटधारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा सहित नशाबन्दी लागू की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा कि मा0 मंत्री ने कहा है कि शासन की विज्ञप्ति के आधार पर अल्मोड़ा जनपद में परमिटधारियों को विदेशी मदिरा की सुविधा देते हुए नशाबन्दी लागू है, मैं जानना चाहता हूं कि परमिट देने का क्या नियम है और क्या मानक है, किनको परमिट देते हैं ? दूसरी बात यह कि अल्मोड़ा जनपद के अलावा पर्वतीय अंचल के सभी जनपदों के सम्बन्ध में यह मामला उठाया गया था, तो जब अल्मोड़ा में विज्ञप्ति के अनुसार नशाबन्दी लागू कर दी तो अन्य जनपदों में क्या स्थिति है और क्या नीति है, बताने की कृपा करें?

श्री चेत राम गंगवार–

मान्यवर, जैसा कि मा0 सदस्य भी जानते हैं, मान्यवर, शासन की नीति पूर्ण मद्य निषेध की है और उसी को देखते हुए अल्मोड़ा में और अन्य दूसरे कई जनपदों में भी जैसे पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल इन सब में पूर्ण मद्य निषेध है, सिवा इसके कि यदि कोई बीमार हो जाता है और आवेदन करता है कि उसको आवश्यकता है मदिरा की, तो वह सी0 एम0 ओ0 के पास जाता है और यदि वह उसको रिकमेण्ड करते हैं तो जिलाधिकारी को पावर दी गयी है कि वह उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार परमिट दे। वहां पर 3 दुकानें भी हैं, जिनसे वे खरीद सकते हैं, पा सकते हैं ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, जैसा कि प्रश्न में साफ है, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने पूरे उत्तराखंड के आठों जिलों में शराबबंदी के लिये आन्दोलन शांतिपूर्ण ढंग से किया गया था, लेकिन मंत्री जी ने कहा कि अल्मोड़ा के अलावा रानीखेत तथा बागेश्वर को उसमें सम्मिलित किया? क्या माननीय मंत्री जी उत्तराखण्ड के आठों जनपदों में एक नीति के अनुसार मद्य निषेध लागू करेंगे ? दूसरी बात यह है कि मद्य निषेध लागू करने से जो वहां पर जहरीली दवाएं बिक रही हैं, हरा पुदीना आदि, इनको रोकने के लिये इनका विभाग क्या कार्यवाही करेगा ?

श्री चेतराम गंगवार–

मान्यवर, जैसा कि मा0 सदस्य ने कहा, तो मान्यवर, हमने कुछ दवाओं, 16 प्रकार की दवाओं में से 4 प्रकार

की स्प्रिट और 11 प्रकार की टिंचर्स को और इसके अलावा मृत संजीवनी सुरा आदि यह 16 दवाएं हैं, जिन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि यह वहां बेची न जायं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

नाम भी बता दें।

श्री चेतराम गंगवार–

यह हैं–स्प्रिट्स एंथेरिस, स्प्रिट्स एंथेरिस नाइट्रोसी, स्प्रिट्स क्लोरोफारमी, स्प्रिट्स मेन्थी पिपरीटी, टिंचर अरिस्टोलोची, टिंचर आइस्टोआई, टिंचर काडीमोनी कम्पोजिट, टिंचर, चिनसी टिंचर सिलाई, टिंचर टीलूटना, टिंचर लिमोनीस, टिंचरा अजिनी, टिंचर जिंजरन्बेरस ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं आया ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि टेहरी गढ़वाल में इस साल कितने लाख का ठेका हुआ है? दूसरे, टेहरी गढ़वाल में कितने लोगों को परमिट जारी हुए हैं ? तीसरा, एक परमिट पर किस समय का अवधि में कितनी शराब परमिटधारी को दी जाती है ?

श्री चेतराम गंगवार–

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

जनपद आगरा में तह0 बाह के कतिपय ट्रेडर्स के विरुद्ध कार्यवाही

*5–श्री विजय सिंह राणा–

द्वितीय सत्र 85 के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 35 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के अन्तर्गत तह0 बाह के ज्येष्ठ हाट निरीक्षक ने दि0 21 अप्रैल, 85 को श्याम ट्रेडर्स, मोहन ट्रेडर्स, श्री कृष्ण ट्रेडर्स व दुर्गा ट्रेडिंग कम्पनी के विरुद्ध जिन अनियमितताओं का अभिलेख किया था उनके सन्दर्भ में क्या जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

(क) जांच की कार्यवाही अभी पूर्ण नहीं हुई है फलतः जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसी संदर्भ में 1985 के सत्र के तीसरे गुरुवार में एक प्रश्न पूछा गया था, जिसका भी जवाब था कि जांच कार्यवाही चल रही है और जांच रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है। आज हम 1986 के दूसरे सत्र में बैठे हैं, आज भी इस प्रश्न का उत्तर वही है कि जांच कार्यवाही चल रही है । मान्यवर, मैं इसमें आपका संरक्षण चाहते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसे आप यथावत् रूप में स्थगित कर दें। दूसरी बात यह है कि क्या जांच के सम्बन्ध में कोई प्राथमिक रिपोर्ट आयी है ? अगर प्राथमिक रिपोर्ट भी नहीं आयी है, तो इन रिपोर्टों के न आने के क्या कारण हैं?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक माननीय राणा जी की भावना है कि इसमें विलम्ब हुआ है जांच में, यह बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है। मान्यवर, विलम्ब के साथ-साथ जो प्रकरण है,

उस सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, आप खुद तय करें कि इसमें क्या होना चाहिये ? जो भी आपका सुझाव होगा, मानने के लिये तैयार हूं । मान्यवर, सीनियर मार्केटिंग इन्स्पेक्टर ने शिकायत की, उसकी जांच डिप्टी आर0एम0ओ0 को सौंपी गयी । मान्यवर, जो तत्सम्बन्धी रिकार्ड मांगे गये, वह रिकार्ड समय में नहीं दिये । मण्डी का जो फार्म आर0 है, उससे मिलान होता है । एक फर्म का मिलान किया गया, उसके मिलान में यह मिला कि उसकी निकासी नहीं हुई। मान्यवर, जो रिकार्ड वांछित थे, वह नहीं दिये गये समय पर ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक ही व्यक्ति की फर्म है, जो विभिन्न नामों से खोल रखी है, फर्जी रजिस्ट्रेशन तो अपने आप में जाहिर है । मान्यवर, उसकी निकासी के संबंध में जो तथ्य है कि वह हुआ नहीं, यह सही नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच किस स्तर से करायी गयी? अब जांच किस स्तर से करायेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, तीन फर्म जो थे, जिनके नाम भी आपने बताये हैं, मोहन ट्रेडर्स, श्याम ट्रेडर्स, श्री कृष्ण ट्रेडर्स । मान्यवर, इसमें मोहन ट्रेडर्स की तो जांच हो चुकी है कि निकासी नहीं हुई है । मण्डी समिति के फार्म आर0 की अवहेलना नहीं हुई है । बाकी दो ने अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये, इनके लाइसेंस पहले ही निलम्बित किये गये हैं। डिप्टी आर0 एम 0ओ0 द्वारा उसकी जांच हो रही है । 1–2 महीने में ही इसकी जांच पूरी होकर रिपोर्ट हमारे पास आ जायेगी । जिस अपराध और दोष का उसमें उल्लेख किया जायेगा, उसके अनुरूप ही कार्यवाही की जायेगी ।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर, लखनऊ में बन्द नलकूप

*6–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के सरोजनी नगर, विधान सभा क्षेत्र में कितने नलकूप बंद पड़े हैं तथा वह किन-किन कारणों से बन्द हैं तथा बन्द नलकूपों को कब तक चालू कर दिया जायगा तथा जिन नलकूपों में गूले व नालियां नहीं हैं उनके निर्माण की कोई व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

लखनऊ जनपद के सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 22-3-86 को निम्नलिखित नलकूप बन्द थे :–

1–नलकूप संख्या-188 लखनऊ समूह:–

यह नलकूप पम्प सेट गिर जाने के कारण बन्द है। इसे यथाशीघ्र चालू कराने की कार्यवाही की जा रही है।

2–नलकूप संख्या-87 लखनऊ समूह :–

पानी की मात्रा कम होने के कारण बन्द है तथा इसके विकसन की कार्यवाही की जा रही है। विकसन का परिणाम प्राप्त होने पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

3–नलकूप संख्या-189 लखनऊ समूह :–

यह नलकूप बोर में ईंटा, पत्थर इत्यादि भरे होने के कारण बन्द है । सफाई का प्रयास किया गया था परन्तु सफलता नहीं मिली। अब एक और प्रयास किया जायेगा जिसका परिणाम प्राप्त होने पर आगामी आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

4—नलकूप संख्या-107 लखनऊ समूह :—

इसका परित्याग प्रस्तावित है ।

जिन नलकूपों पर गुलें व नालियां नहीं हैं उनके निर्माण की व्यवस्था धन उपलब्ध होने पर शीघ्र की जायेगी।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जहां मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया है कि नलकूप संख्या 188 और 87 पानी की मात्रा कम होने के कारण नहीं चल रहे हैं और नलकूप संख्या 189 में ईंटा और पत्थर भरा होने के कारण नहीं चल रहा है, वहीं दूसरी ओर माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि नलकूप संख्या 209, हरिहरपुर, नलकूप संख्या—41 सतरौली और नलकूप संख्या—75 असरफनगर जिनमें पानी की मात्रा कम है, क्या इन नलकूपों पर पानी की उचित मात्रा उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगे।

श्री हरिशंकर तिवारी—

मान्यवर, मेरा एक नीतिगत प्रश्न है। ऐसे नलकूप, जिनकी नालियां केवल कागज पर बनी हुई बताई गई हैं, लेकिन मौके पर नहीं बनी हैं। क्या ऐसे नलकूपों की जांच कर, जो लोग दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, अगर माननीय सदस्य लिखकर कोई बात देंगे तो हम उसकी जांच करवायेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री राजकिशोर सिंह—

मान्यवर, मेरा एक नीतिगत प्रश्न है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो नलकूप हैं और जिनकी सिंचन क्षमता लगभग समाप्त प्राय है और जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। क्या सरकार ने उनके स्थान पर नये नलकूपों को स्थापित करने हेतु पुनर्छिद्रण करने के आदेश निर्गत किये हैं ?

श्री भोला शंकर मौर्य—

मान्यवर, इसके लिए तो नियम बने हुए हैं। जहां पर डिस्चार्ज कम हो जाता है, उसे दुबारा बोर करा देते हैं ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मेरा एक नीतिगत प्रश्न है। जो बाहर के नलकूप चालक गांवों में एप्वाइन्ट हैं, वे वहां पर नहीं रहते हैं। 1-1 नलकूप चालक के पास डबल-डबल नलकूपों का चार्ज है। क्या माननीय मंत्री जी उन नलकूपों पर अंशकालिक आपरेटरों को भर्ती करने के आदेश देने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिलवाया ।

जनपद बाराबंकी में सगराझील ड्रेन का निर्माण

*7—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर में सगराझील से निकलने वाली

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

ड्रेन की खुदाई न होने से 100 गांव की कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी रहती है? यदि हां, तो इस ड्रेन की खुदाई न होने के क्या कारण हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

सगरा झील व उसके आस-पास नशेबी क्षेत्र में स्थित केवल आठ ग्रामों का कुछ क्षेत्र वर्षाकाल में जल प्लावन से प्रभावित होता है। इसके लिये अशोकपुर ड्रेन का पुनरोद्धार किया जा रहा है जिसका कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार प्रगति में है। अतः खुदाई न होने का प्रश्न नहीं उठता।

चित्तौड़गढ़ जलाशय परियोजना, गोण्डा के निर्माण में अनियमितता की जांच

*8–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्तौड़गढ़ जलाशय परियोजना, जनपद गोंडा के निर्माण में हो रहे गलत कार्यों के सम्बन्ध में माननीय अकबाल हुसैन, पूर्व विधायक तथा श्री रजवन्त सिंह, मंत्री, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई शिकायती पत्र **अप्रैल मई, 1985 में दिया था ?** यदि हां, तो उस पर किसके द्वारा जांच की गई ? यदि जांच की गई तो उसकी रिपोर्ट क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जांच प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ द्वारा की गई है।

जांच रिपोर्ट के अनुसार खण्ड के दो अधिशासी अभियंता पर्यवेक्षण में कमी हेतु तथा तीन सहायक अभियंता एवं तीन अवर अभियंता अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर वित्तीय अनियमितताएं करने के दोषी पाये गये हैं।

डी0 सी0 एम0 टोयोटा कारखाने की दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्षतिपूर्ति

*9–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद जिले के सूरजपुर में निर्माणाधीन डी0 सी0 एम0, टोयोटा कारखाने में दिनांक 10-1-85 को बिजली दुर्घटना में मरे तथा घायल व्यक्तियों के परिवारों के लिए क्षतिपूर्ति की क्या व्यवस्था की गयी है ? क्या स्थायी रूप से इनके परिवारों के एक-एक सदस्य को नौकरी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह दुर्घटना दिनांक 10-1-85 को नहीं बल्कि दिनांक 11-1-85 को अपराह्न 1-55 बजे हुई। प्रश्नगत प्रतिष्ठान के निर्माण के समय बिजली दुर्घटना में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित सात श्रमिक घायल हुए जिसमें से छः की मृत्यु हो गई तथा एक का उपचार चल रहा है ।

प्रत्येक मृतक के परिवार को रु0 20,000/- क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है तथा सम्बन्धित परिवारों को प्रति परिवार छः माह तक 200 रु0 प्रतिमाह भी दिया गया है।

मृतकों में से चार के परिवार के एक-एक सदस्य को नौकरी दी गई है । शेष दो मृतकों के परिवार में से एक परिवार में नियोजन हेतु कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तथा एक के परिवार ने सेवायोजन की सुविधा प्राप्त करने से इनकार कर दिया है।

प्रदेश के किसानों को खाद्यान्न मूल्य के अतिरिक्त लाभ दिलाने की व्यवस्था

*10–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों जिनकी खरीद केन्द्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संस्तुति मूल्यों से न्यून मूल्यों पर की जाती है, पर न्यूनतम लाभ दिलाने हेतु बोनस अथवा कंट्रोल की वस्तुएं- जैसे सीमेंट इत्यादि उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण एवं नियंत्रित वस्तुओं को समाज के सभी वर्गों को उपलब्ध कराने की नीति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिप्राप्ति/समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खाद्यान्न खरीद पर और कुछ दिया जाना सम्भव नहीं है ।

*11–डा0 दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

टिहरी बांध एवं मनेरी भाली विद्युत परियोजना में कार्यरत श्रमिकों का उत्पीड़न

*12–श्री राज किशोर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध परियोजना व उत्तर काशी जनपद के मनेरी माली विद्युत परियोजना में कार्यरत कम्पनियां बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के बंधुआ व आदिवासी, प्रवासी मजदूरों से काम करा रही हैं? यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर लगे ऐसे मजदूरों की संख्या क्या है और उनको किस हिसाब से मजदूरी दी जाती है? क्या यह सही है कि उक्त परियोजनाओं पर लगे मजदूरों का घोर उत्पीड़न व भारी शोषण हो रहा है और उनको मुक्ति और पुर्नवास के लिए टिहरी व उत्तरकाशी में जबरदस्त आन्दोलन चल रहे हैं तथा मजदूर नेताओं के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाहियां की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टिहरी बांध परियोजना तथा मनेरी भाली विद्युत परियोजना में विभिन्न कम्पनियां प्रश्नगत राज्यों के प्रवासी मजदूरों से काम करा रही है लेकिन इन प्रवासी मजदूरों में से कोई भी मजदूर बंधुआ नहीं है । इन परियोजनाओं पर कार्यरत प्रवासी मजदूरों की संख्या 864 है । इन्हें प्रति दिन देय मजदूरी की दर रु0 17·96 पैसा प्रति श्रमिक है।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में कतिपय नहरों का निर्माण

*13–श्री श्रीप्रकाश सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तह0 लालगंज, जनपद आजमगढ़ में सिंहपुर, असौसी, महोली, चोरीखास वाया तरवा नहर का निर्माण कब से हो रहा है तथा इस पर सरकार का कितना व्यय हो चुका है एवं इन नहरों में पानी आने की कब तक संभावना है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत तरवा राजबाहे का निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 से आरम्भ किया गया था जो अभी भी प्रगति पर है। फरवरी, 1986 तक रु0 76-64 लाख व्यय हो चुके हैं। इस राजबाहे में हेड से 8-1 कि0 मी0 तक पानी चला दिया गया है। पूर्ण लम्बाई 38·8 कि0 मी0 में पानी लगभग जून 1987 तक पहुंचाना संभव हो सकेगा।

राजकीय नलकूपों एवं नहरों की गूलों से पानी ले जाने की सुविधा

*14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की नहरों एवं राजकीय नलकूपों की गूले जो सिंचाई के लिए बनी है, के सूखी और खाली बने रहने पर उनमें किसान अपने निजी साधन से पानी निकाल ले तो क्या उस पर नहर और राजकीय नलकूप विभाग आवपाशी लगाता है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज (संशोधन) नियमावली, 1970 के नियम 26 के अनुसार राजकीय नहरों पर यदि कोई किसान अपनी फसलों को बोने के पूर्व डिवीजनल कैनाल आफीसर या सब डिवीजन कैनाल ऑफिसर को इस आशय का 15 दिन का स्पष्ट रूप से नोटिस दे कि वह किसी विशेष फसल में नहर के पानी का प्रयोग नहीं करेगा और उस फसल की सिंचाई के लिये अपने निजी सिंचाई साधनों का प्रयोग करेगा तो उसे अपने निजी साधनों से प्राप्त पानी को नहरी पानी के समान उसी नाली के जरिये उस फसल तक ले जाने की अनुमति दी जा सकती है और उसके लिये कोई भी शुल्क नहीं लगाया जायगा तथापि यदि किसी भी समय उसे इस फसल में नहर के पानी का प्रयोग करते पाया जाय तो उससे सामान्य सिंचाई की दर से शुल्क और उसके अतिरिक्त चौगुनी धनराशि वसूल की जायेगी।

2–राजकीय नलकूपों की गूलों से निजी श्रोत का पानी ले जाने का कोई प्राविधान नहीं है। राजकीय नलकूपों से पानी दिये जाने पर ही आवपाशी लगाई जाती है।

गोरखपुर में करी नदी तटबंध हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान

*15–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के तह0 सदर के अंतर्गत करी नदी पर बने तटबंध इटौवा से ठुकराई मुन्डेरा बाजार व नकवार से बोहावार तक जिन किसानों की भूमि बंधे हेतु ली गई है उनको मुआवजा दे दिया गया है? यदि नहीं, तो सरकार उक्त बंधा में ली गई भूमि का भू-स्वामियों को मुआवजा कब तक दे देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद मथुरा में सरकारी ट्यूबवेल लगाने की मंजूरी

*16–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 14 जुलाई, 85 को सिंचाई विभाग का आगरा में मंडलीय सम्मेलन हुआ था जिसमें मा0 सिंचाई मंत्री जी ने प्रत्येक जनपद के लिए सरकारी ट्यूबवेल लगवाने की कोई घोषणा की थी ? यदि हां, तो मथुरा जनपद के लिए कितने सरकारी ट्यूबवेल एलाट किये गये है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद मथुरा में 36 राजकीय नलकूपों में 20 नलकूप का पानी खारा होने से सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है । अतः जनपद मथुरा में पब्लिक नलकूप लगाये जाने हेतु इस परियोजना में कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ।

जनपद योजना के अन्तर्गत मथुरा के

लिए 1985-86 में किसी नलकूप के निर्माण का प्राविधान नहीं है ।

*17–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[दि0 12-2-86 को तारां प्र0 सं0 12 द्वारा उत्तरित]

जय प्रकाश नगर, बलिया को गंगा को कटान से रक्षा

*18–श्री मैनेजर सिंह–

क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जनपद के अन्तर्गत पूज्य लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी की जन्म भूमि, जय प्रकाश नगर को गंगा की भयंकर कटान से खतरा उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या शासन जयप्रकाश नारायण जी की जन्म भूमि की रक्षा के लिये कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

बलिया जनपद के जय प्रकाश नगर को गंगा की कटान से कोई खतरा नहीं है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता है ।

विधान सभा क्षेत्र चांदा, सुल्तानपुर के कतिपय खराब नलकूपों को ठीक कराने की कार्यवाही

*19–श्री शिव नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र चांदा के वि0 खं0 भदैया, लम्भुआ, प्रतापपुर कमैचा के अंतर्गत लगे राजकीय नलकूप, नलकूप नं0 24 कुछमुछ 132 जादीपुर, 134 बजूपुर, 97 खोरेपुर, 133 कन्धईपुर, 76 रामचन्द्रपुर, 161 भदैया, 7 लोटिया, 107 जमखुरी, जगन्नाथपुर, 3 सफीपुर-4 अधियारी–115 जो विगत 6 माह से खराब पड़े हैं उनको जनहित में ठीक करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय नलकूप संख्या–3 सफीपुर एवं 115 मरछे में स्ट्रेटा खराब होने से जल उपलब्ध नहीं है अतः इन दोनों का परित्याग प्रस्तावित है । राजकीय नलकूप संख्या-24 कुछमुछ, 132 जादीपुर, 134 बजूपुर, 133 कन्धईपुर, 161 भदैया, तथा 4 अधियारी चालू हैं । नलकूप संख्या 97 खोरेपुर दिनांक 25-3-86 से, 76 रामचन्द्रपुर दिनांक 25-3-86 से, 7 लोटिया दिनांक 15-3-86 से तथा 107 जमखुरी दिनांक 7-2-86 से खराब हैं । इन्हें शीघ्र ठीक करके चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम डांड़हार, मैनपुरी में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण

*20–श्री शिव बख्श सिंह राठौर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मैनपुरी ब्लाक किशनी ग्राम सभा समान के ग्राम डांड़हार के तालाब से एक नाला निकाला जा रहा है जो कई वर्षों से अधूरा पड़ा है जिससे तालाब की कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है और फसल मारी जाती है ? यदि हां, तो मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नाला कब तक बन जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत नाले का निर्माण वर्ष 1982-83 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था । योजना के अनुसार कार्य प्रारम्भ किये जाने पर कृषकों द्वारा स्वेच्छा से बिना प्रतिकर के भूमि देने पर आपत्ति किये जाने

के कारण कार्य को रोके देना पड़ा । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत नाले के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि के प्रतिकर के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है । कृषकों द्वारा स्वेच्छा से बिना प्रतिकर के भूमि न देने के कारण नाले का निर्माण अवरुद्ध है ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

1–श्री राकेशधर त्रिपाठी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाये जा रहे हैं जबकि हण्डिया क्षेत्र में सिंचाई संसाधनों की कमी है? यदि हां, तो यमुना पार क्षेत्र में ही केवल नलकूप लगाये जाने का क्या औचित्य है तथा हण्डिया क्षेत्र में सरकार द्वारा कब तक नलकूप, लगवा दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में विश्वबैंक योजना के अंतर्गत नलकूपों का निर्माण 20–25 नलकूपों के कलस्टर के रूप में निर्धारित मानक के अनुसार कलस्टर में क्षेत्र उपलब्ध होने पर किया जा रहा है" । हण्डिया क्षेत्र में विश्व बैंक योजना के अंतर्गत कलस्टरों में नलकूपों के निर्माण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण नलकूप लगाना सम्भव नहीं है ।

चीनी मिल छितौनी (देवरिया) के श्रमिक श्री दीनानाथ उपाध्याय के विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय गोरखपुर द्वारा दिये गये एवार्ड का प्रतिपालन

2–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि चीनी मिल छितौनी (देवरिया) के श्रमिक श्री दीनानाथ उपाध्याय के विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय गोरखपुर ने दिनांक 11-9-85 को विवाद संख्या 47/82 में कोई अवार्ड दिया है जिसका परिपालन अभी तक नहीं हुआ? यदि हां, तो इसके परिपालन में विलम्ब के क्या कारण है? परिपालन कब तक हो जाएगा एवं दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

एवार्ड का प्रतिपालन न किये जाने के कारण सेवायोजकों को कारण बताओ नोटिस दी गई है और सम्बन्धित श्रमिक को भी रिकवरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है जिससे कि उसे एवार्ड के अनुसार लाभ प्राप्त हो सके। एवार्ड का कार्यकाल 7-11-86 तक है।

3–श्री मैनेजर सिंह तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन का भुगतान

4–श्री सत्यपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन प्रति माह नहीं दी जा रही है और अनेक वृद्ध लोग पिछले कई महीनों से पेंशन न मिल पाने के कारण भूखों मरने की स्थिति में आ गए

है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है और सरकार पेंशन भुगतान के लिए क्या कार्यवाही कर रही है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन नियमावली में वृद्धावस्था पेंशन प्रति माह दिये जाने का प्राविधान नहीं है बल्कि तिमाही किश्तों में दिये जाने का प्राविधान है और इसी के अनुसार पेंशन का भुगतान समय से किया जा रहा है । अतः अन्य किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के कतिपय ग्रामों में शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण से जल भराव

5–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें पता है कि जनपद बाराबंकी की विकास खण्ड दरेवा के ग्राम मढ़ी, मजरेउखड़ी, जगरूप, रूपपुरवा, इब्राहीमपुर, खनमहा आदि कई गांव शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के बाद से चारों ओर से नहरों से घिरे हुये हैं जिसके कारण वर्षा ऋतु में भयानक जलभराव हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी ड्रेन को फिर से खुदाई करके खनमहा ग्राम होते हुये उखड़ी माइनर के दूसरी ओर झील में मिलाने के आदेश देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

वर्षाकाल में इन ग्रामों का लगभग 127 है0 नशेबी क्षेत्र जल भराव से प्रभावित होता है । क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद ही जल निकासी का प्रस्ताव बनाया जाना सम्भव हो सकेगा ।

विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के भीटी व कटेहरी ब्लाकों के लिए पब्लिक नलकूप के एक कलस्टर के आवंटन के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही

6–श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के भीटी व कटेहरी ब्लाकों के लिये पब्लिक नलकूप (विश्व बैंक योजना के अधीन) के एक कलस्टर के आवंटन के संबंध में उन्हें संबोधित प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-9-85 का पत्र शासन को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और डालर की कीमत में वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रस्तावित नलकूपों की संख्या में हुयी वृद्धि का विभिन्न जनपदों और विधान सभा क्षेत्रों में आवंटन का आधार क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जनपद फैजाबाद में उत्तर प्रदेश पब्लिक नलकूप परियोजना फेज द्वितीय के अंतर्गत 50 पब्लिक नलकूपों के लगाये जाने का प्राविधान है जिसके विरुद्ध जलालपुर में 25 नलकूपों का एक कलस्टर एवं भीटी में 30 नलकूपों के एक कलस्टर का चयन किया गया । जलालपुर में 25 नलकूपों का निर्माण कराया जा चुका है । भीटी कलस्टर में स्थित भीटी ब्लाक में 22 नलकूपों का छिद्रण कराया गया है शेष कार्य प्रगति पर है। कटेहरी ब्लाक में कोई कलस्टर स्वीकृत नहीं है ।

डालर की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप नलकूपों की संख्या में अभी कोई वृद्धि नहीं की गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में पौसरा राजबहा तथा ईसापुर माइनर की सफाई एवं कुलावा नम्बर 36 व 37 के बीच में पुलिया का निर्माण

7–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के मया ब्लाक में पौसारा राजबहा तथा ईसापुर माइनर की सफाई एवं पौसरा राजबाहा के कुलाबा नम्बर 36 व 37 के बीच में पुलिया निर्माण के सम्बन्ध में उन्हें सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-6-85 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और उक्त नहरों की सफाई तथा प्रश्नगत पुलिया के निर्माण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

राजबहा पौसरा तथा ईसापुर माइनर की सफाई माह अक्टूबर-नवम्बर, 1985 में कराई जा चुकी है एवं कुलाबा नं0 36 के निकट एक ग्रामीण पुल पहले से निर्मित है। कुलाबा नं0 36 व 37 के बीच की दूरी मात्र 2 फर्लांग व 180 फीट है, अतः इसके बीच किसी अन्य पुलिया बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

बस्ती जनपद में मिट्टी तेल के थोक विक्रेता व वितरण के लिए सम्बद्ध विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र

8–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मिट्टी के तेल के कितने स्टाकिस्ट हैं प्रत्येक के साथ तेल वितरण करने के लिए कौन-कौन विकास खण्ड सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि बांसी स्थित राधा-कृष्ण विमल कुमार मिट्टी तेल स्टाकिस्ट के साथ किन क्षेत्रों के डीलर तेल लेने के लिए सम्बद्ध किये गये हैं?

श्री हुकुम सिंह–

बस्ती जनपद में मिट्टी तेल के 28 थोक विक्रेता हैं। प्रत्येक थोक विक्रेता से मिट्टी तेल वितरण के लिए सम्बद्ध विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र का विवरण संलग्न है। बांसी स्थित मै0 राधा कृष्ण विमल कुमार (प्रा0) लि0, मिट्टी तेल के थोक विक्रेता से ब्लाक सांथा की न्याय पंचायत सांथा, लेदवाश्रीपाल, बेल-हरकला, मोतीपुर, पिपराप्रथम, मेंहदू-पार एवं बारव्यास, ब्लाक रुधौली के न्याय पंचायत अयार, छितौनी, धमौरा, पिपरादोयेम, भितिहरा, महुआर, सरुआरकला साडीकला व रुधौली तथा खेसरहा ब्लाक के कलनाखोर न्याय पंचायत के डीलर मिट्टी तेल लेने के लिए सम्बद्ध हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 93 पर)

बढ़या कोठा बांध में प्रयुक्त भूमि का मुआवजा किसानों को दिलाने के संबंध में कार्यवाही

9–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज प्रखंड गोरखपुर द्वारा बढ़या कोठा बांध जो वर्ष 1978-79 के दरम्यान निर्मित कराया गया उसमें प्रयुक्त भूमि का स्थायी मुआवजा ग्राम मीरपुर उसका-दुबी-फुल्वरिया आदि के किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो उसका मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। भूमि अध्याप्ति की कार्य-

वाही पूर्ण होने के उपरान्त इसका भुगतान किसानों को दे दिया जायेगा ।

जनपद देवरिया के ग्राम सिरपत खण्ड व सोन्दिया के बीच पडरौना ड्रेन में बने पुल में मिट्टी का तथा रेलिंग का कार्य

10–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद देवरिया में पडरौना ड्रेन पर ग्राम श्रीपतिखंड-सोनदिया के बीच बने पुल की रेलिंग एवं किनारे के दोनों ढालों पर मिट्टी अभी तक नहीं पड़ी है और पुल अपूर्ण है ? यदि हां, तो मंत्री जी सम्बन्धित अधिकारी की लापरवाही की जांच कराकर अपूर्ण पुल को कब तक पूर्ण करा देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। जनपद देवरिया में ग्राम सिरपत खण्ड व सोन्दिया के बीच पडरौना ड्रेन के किलोमीटर 3.6 पर वर्ष 1981 में बने पुल के दोनों ढालों (रैम्पस) में मिट्टी का कार्य 1981 में हो चुका था, केवल पुल के रेलिंग का कार्य शेष है। कई वर्षाकाल व्यतीत होने के कारण रैम्पस क्षतिग्रस्त हो गये हैं। रैम्पस एवं रेलिंग का कार्य वर्ष 1986-87 में धन उपलब्ध होने पर वर्षा से पूर्व कराया जाना प्रस्तावित है।

11–12–श्री यदुनाथ सिंह–

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद फर्रुखाबाद में चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति, टंकक तथा गैर टंकक का चयन

13–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1985 में चयन समिति द्वारा चयनित कितने लोगों को सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला चयन समिति, फर्रुखाबाद द्वारा माह अप्रैल/मई, 1985 में चयनित अभ्यर्थियों में से अब तक 22 लिपिक एवं 14 चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियुक्त कराया जा चुका है।

14–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में चयन समिति द्वारा चयनित लोगों को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा? क्या सेवा में लिये जाने की कोई अन्तिम तिथि भी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को जैसे-जैसे राज्य सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों/संस्थानों से रिक्तियां प्राप्त होंगी, सेवायोजित कराने का प्रयास किया जायेगा।

जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची एक वर्ष के लिए मान्य होगी ।

प्रश्न नहीं उठता।

15–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1985 में बनायी गयी चयन समिति द्वारा चयनित सूची में कितने लोग टंकक तथा कितने लोग गैर टंकक रखे गये हैं तथा अभी तक कितने टंकक कितने गैर टंकक सेवा में लिये गये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 1985 में बनायी गयी जिला चयन समिति द्वारा 44 टंकक तथा 7 गैर टंकक चय-

नित किए गए हैं। अभी तक 20 टंकक एवं 2 गैर टंकक अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया है।

16–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

किठौर, एल0 पी0 गढ़ तथा बहादुरगढ़ राजवाहा से रबी की फसल को पानी

17–श्री इम्तियाज मुहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किठौर, एल0 पी0 गढ तथा बहादुरगढ राजवाहा से सन् 1985 में रबी की फसल को पानी दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में रबी की फसल में किठौर राजवाहा को 18130 क्यूसेक्स दिवस, एल0 पी0 गढ़ राजवाहा को 3920 क्यूसेक्स दिवस तथा बहादुरगढ़ राजवाहा को 1653 क्यूसेक्स दिवस पानी दिया गया ।

भड़कांव नाले का निर्माण कार्य

18–श्री इम्तियाज मूहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भड़कांव भगवन्तपुर गांव के नाले की प्रकल्प योजना स्वीकृत है? यदि हां, तो नाले का निर्माण कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । इस नाले के समरेखन में वन विभाग के पेड़ पड़ते हैं जिनके काटे जाने की अनुमति वन विभाग से अपेक्षित है । वन विभाग से पेड़ कटने की स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा इस कार्य हेतु धन उपलब्ध होने के उपरान्त ही भड़कांव नाले का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

नहरों तथा रजबाहों की पटरी को सिंचाई विभाग से पी0 डब्ल्यू0 डी0 विभाग को सड़क निर्माण हेतु स्थानान्तरित करने पर विचार

19–श्री इम्तियाज मुहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि सरकार नहरों तथा रजबाहों की पटरी को सिंचाई विभाग से पी0 डब्ल्0 डी0 विभाग को सड़क निर्माण हेतु स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित सड़कें सिंचाई कार्यों के प्रयोगार्थ बनायी जाती हैं । अतः उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर में कतिपय रजवाहों की सड़कों पर निर्माण कार्य

20–श्री इम्तियाज मुहम्मद खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अति दूरगामी क्षेत्र की यातायातीय एवं विकसित असुविधाओं का समाधान करने हेतु नहर तथा रजबाहों की पटरियों पर सड़कों का निर्माण जिला योजना से हटाकर प्रान्तीय सेक्टर द्वारा कराया जायेगा? यदि हां, तो जनपद बुलन्दशहर में अनूपशहर व स्याना के रजबाहा किठौर व बहादुरगढ़ तथा जखैड़ा व वेरा-फिरोजपुर रजवाहों की सड़कों का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग द्वारा नहर व रजवाहों की पटरियों पर सड़क का निर्माण

21–श्री इम्तियाज मुहम्मद खां–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा नहर व रजवाहों की पटरियों पर जो सड़कों का निर्माण हुआ है उन सड़कों की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो अनूपशहर ब्रांच नहर (बुलन्दशहर) की पटरी की सड़क माकड़ी में ऊंचा गांव की मरम्मत अब तक क्यों नहीं हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

नहर व रजवाहों की पटरियों पर सड़कें निर्मित हैं उनकी मरम्मत हेतु विभिन्न कार्यों की प्रतिस्पर्धात्मक आवश्यकताओं के एवं सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाया जिसके कारण प्रश्नगत सड़क की अरम्मत नहीं हो सकी। 15 कि0मी0 सड़क की लम्बाई में से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 5 कि0मी0 लम्बाई में सड़क की मरम्मत कराई गई है।

अनूपशहर ब्रांच नहर, जिला बुलन्दशहर का निर्माण तथा प्रगति

22–श्री इम्तियाज मुहम्मद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनूपशहर ब्रांच नहर, जिला बुलन्दशहर की मरम्मत में इस वर्ष 1985 में कितना कार्य हुआ और कितना शेष है ? क्या शेष कार्य सन् 1986 में पूरा करा लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1985-86 में अनूपशहर शाखा की वार्षिक अनुरक्षण एवं मरम्मत के कार्यों के अतिरिक्त जहां-जहां नहर के आन्तरिक स्लोप कटने से चौड़ी तथा बर्म बढ़ने से तंग हो गई थी; वहां झांकड़ भरने का कार्य व बर्म काटकर आन्तरिक क्षमता के पुनर्स्थापन कार्य तथा 8 कि0मी0 में ईंटों का खड़न्जा, 5 कि0 मी0 में पक्की सड़क की पूरी मरम्मत कराने का कार्य कराया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 10 कि0मी0 लम्बाई में पक्के सेवा मार्ग की मरम्मत व लगभग 2·5 कि0मी0 लम्बाई में सेवा मार्ग को पक्का करने का कार्य प्रगति में है जो 1986 में पूरा करने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) द्वारा मुरलीनगर के एक गल्ला व्यापारी के यहां मारा गया छापा

23–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति) ने मुरलीनगर के एक गल्ले के व्यापारी के यहां ता0 27-7-84 को छापा मारा था और अवैध गेहूं आदि पकड़ा था ? यदि हां, तो अवैध स्टाक रखने वाले व्यापारी के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या खाद्य मंत्री यह भी बतायेंगे कि उक्त व्यापारी का लाइसेन्स निरस्त किया गया? यदि हां, तो किस तिथि से ? क्या यह सही है कि इस व्यापार स्थल पर दूसरे नाम से लाइसेन्स दिया गया है ? यदि हां, तो किस नाम से और किस तिथि से ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां,

अवैध स्टाक रखने वाले गल्ला व्यापारी श्री मंघराज पुत्र श्री ताराचन्द, निवासी मुरलीनगर को पुलिस हिरासत में देते हुए उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधि-

नियम, 1955 की धारा-3/7 के अंतर्गत थाना हुसैनगंज, लखनऊ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

उक्त व्यापारी श्री मेघराज के पास आलोच्य तिथि को कोई लाइसेन्स नहीं था, अतः लाइसेन्स निरस्त किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ में विदेशी मदिरा की दुकानों को दिया गया ठेका, फर्जी सम्पत्ति प्रमाण पत्रों की जांच तथा कृत कार्यवाही

24–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1984-85 में लखनऊ में आलमबाग हजरतगंज, चारबाग, निशात गंज, लालबाग, गोलागंज और गोल दरवाजे की सात विदेशी मदिरा की दुकानों का ठेका 3 व्यक्तियों के नाम 36 लाख रुपये में दिया गया? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त दो के 17 लाख के सम्पत्ति प्रमाण पत्र जांच में फरजी पाये गये? यदि हां, तो इन ठेकेदारों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1984-85 में लखनऊ नगर की सात विदेशी मदिरा की फुटकर (एफ0 एल0-5) दूकानें आलमबाग, हजरतगंज नं0 3, चारबाग नं0 2, निशातगंज, लालबाग, गोलागंज और गोल दरवाजा (चौक) तीन व्यक्तियों सर्वश्री सुभाष प्रसाद, कैलाश प्रसाद एवं कन्हैया लाल को 27,55,000/- रुपया लाइसेंस फीस पर दी गई थी। 36 लाख में नहीं।

उपर्युक्त तीन में से दो व्यक्तियों सर्वश्री सुभाष प्रसाद व कैलाश प्रसाद के क्रमशः बारह लाख और पांच लाख के हैसियत प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये थे।

उपरोक्त दोनों व्यक्तियों सर्वश्री सुभाष प्रसाद और कैलाश प्रसाद के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कैन्ट, वाराणसी में दर्ज कराई गई थी, जिस पर कार्यवाही चल रही है।

25–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि जिन तहसीलदारों ने सम्पत्ति का फर्जी प्रमाण पत्र दिया था उनके विरुद्ध ता0 31-12-85 तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जो हैसियत प्रमाण-पत्र जांचोपरान्त गलत पाये गये थे उनमें सत्यापन की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले लेखपालों सर्वश्री अवधेश कुमार व गणेश प्रसाद तथा भू-लेख परीक्षक, शहर श्री शिव प्रसाद को तहसीलदार, वाराणसी की रिपोर्ट पर निलम्बित कराकर विभागीय कार्यवाही की गई और उपरोक्त ठेकेदारों के साथ इनके विरुद्ध भी थाना कैन्ट, वाराणसी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता ।

आबकारी ठेकेदारों द्वारा दाखिल फर्जी ट्रेजरी चालानों के विरुद्ध जांच तथा दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

26–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के आबकारी ठेकेदारों द्वारा दाखिल फर्जी ट्रेजरी चालानों के माध्यम से करीब 33 लाख रुपये के घपले का मामला जुलाई, 1982 में प्रकाश में आया था? यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? कौन-कौन ठेकेदार दोषी पाये गये और उनके प्रति ता0 31-12-85 तक क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर ब्हादुर सिंह–

आबकारी दूकानों के लाइसेंस फीस और विदेशी मदिरा की निकासी से सम्बन्धित रुपया 33,22,569·14 पैसे के आबकारी राजस्व के गबन (फर्जी ट्रेजरी चालानों के माध्यम से दाखिल होने) का मामला जुलाई, 1982 में प्रकाश में आया था।

घोटालों से सम्बन्धित 16 दूकानों में एक साथ छापे डाले गये थे और दूकानों को सील किया गया था। इनके लाइसेंस निरस्त कर वर्ष 82-83 की शेष अवधि के लिए दिनांक 29-7-82 को पुनः नीलाम किया गया था।

इन दुकानों के चौदह ठेकेदार सर्वश्री राम गोपाल, विजय कुमार, कृष्ण कुमार चोपड़ा, अजय कुमार, रामचन्द्र, गिरी कुमार सिंह, रवीन्द्र कुमार, रमेश कुमार, राम दयाल, विनोद कुमार, नन्द लाल उर्फ नन्द किशोर, सत्येन्द्र कुमार, सत्य नरायन तथा शिव मोहन और इनके संचालक/फाइनेंसर सर्वश्री प्रदीप कुमार गुप्त व शिव सरन लाल गुप्त के विरुद्ध आई0 पी0 सी0 की धारा 386/467/468/469/470/420/120-बी एवं 151 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया है, जो वहां विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

27–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने यह फर्जी चालान स्वीकार किये उनके विरुद्ध ता0 31-12-85 तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव, तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी, लखनऊ को निलम्बित किया गया था। वह सेवा अवधि पूर्ण होने के कारण 30-9-82 को सेवा निवृत्त हो गये। इनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन आबकारी लिपिक, लखनऊ को भी निलंबित किया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही थी इसी बीच जनवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह में उनकी मृत्यु हो गयी।

प्रश्न नही उठता।

जनपद सुल्तानपुर में कुरेभार ड्रेन तथा उधौला-मझुई ड्रेन की जल निकासी योजना

28–श्री जयनारायण तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर में कुरेभार ड्रेन तथा उधौला-मझुई ड्रेन की पानी निकासी न होने के कारण क्षेत्र में जल भराव होता है? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कूरेभार ड्रेन से पानी का समुचित निकास न होने के कारण जल भराव होता है। मझुई नदी एवं कुरेमार ड्रेन के लिये जिला जलोत्सारण योजना बनायी गयी है यह योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाई गयी है योजना की स्वीकृति तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य सम्भव हो सकेगा। उधौला-मझुई ड्रेन के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

29–श्री जय नारायण तिवारी–

[8 वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 152 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर स्थित धनपतगंज ब्लाक के ग्राम जजौर तथा बल्दीराय ब्लाक के जमालपुर तथा पिपरी ग्रामों में बांध के निर्माण पर विचार

30–श्री जय नारायण तिवारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर स्थित धनपतगंज ब्लाक के ग्राम जजौर तथा बल्दीराय ब्लाक के जमालपुर तथा पिपरी ग्राम गत वर्ष भीषण बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए ? यदि हां, तो इन ग्रामों की सुरक्षा हेतु बांध आदि का निर्माण शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत ग्राम गोमती नदी के बायें तट पर बाढ़ परिक्षेत्र में स्थित है और बाढ़ से प्रभावित होते हैं। बांध निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बांध बनाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं है।

श्रम न्यायालय को वर्तमान स्थल पर ले जाने के समर्थन में श्रमिक एवं सेवायोजकों द्वारा दिए गए ज्ञापन

31–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत नाटी इमली स्थित श्रम विभाग के भवन में चल रहे श्रम न्यायालय को वहां से हटाकर कबीर नगर (दुर्गाकुण्ड) स्थित किराए के मकान में चलाए जाने का जबरदस्त विरोध न्यायालय से सम्बद्ध श्रमिक एवं सेवायोजक पक्षों द्वारा किया जा रहा है, न्यायालय के बहिष्कार की कार्यवाही की गई है और शासन को ज्ञापन दिए गए हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्रम न्यायालय, वाराणसी पहले नाटी इमली स्थित उप श्रमायुक्त कार्यालय के एक छोटे कमरे में स्थित था । स्थान की कमी के कारण उक्त न्यायालय 42/2 आवास विकास परिषद् कालोनी (निकट दुर्गाकुण्ड) में ले जाया गया । कतिपय श्रमिक एवं सेवायोजक पक्ष के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया है तथा शासन को ज्ञापन भी दिया है । ज्ञापन में दिए गए सुझावों के बारे में श्रमायुक्त से आख्या मांगी गई है । यह उल्लेखनीय है कि श्रम न्यायालय को वर्तमान स्थल पर ले जाने के समर्थन में भी शासन को कई पत्र प्राप्त हुए हैं ।

32–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम न्यायालय वाराणसी को जिस भवन में स्थानान्तरित कर चलाया जा रहा है उससे कम किराए में और अधिक उपयुक्त भवन उपलब्ध होने की जानकारी शासन को जनपद के श्रमिक एवं सेवायोजक पक्ष के प्रतिनिधियों द्वारा अपने ज्ञापन में दी गई है ? यदि हां, तो श्रम न्यायालय को अब तक उनमें ले जाने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि जिस भवन में इस समय श्रम न्यायालय का कार्य चलाया जा रहा है वह कानपुर में कार्यरत एक प्रशासनिक अधिकारी का है और उन्हें अनुचित लाभ देने की मंशा से ही श्रम न्यायालय को उक्त भवन में ले जाने का आदेश नियमों की अवहेलना करते हुए दिया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

श्रमायुक्त द्वारा इस बिन्दु पर जांच की जा रही है ।

जी हां ।

अनुचित लाभ का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि तत्सम्बन्धी नियमों को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भवन को किराए पर लिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

33–श्री राम सजीवन–

[9वें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 41 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

34–श्री राम सजीवन–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

35–श्री राम सजीवन–

[9वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

36–श्री राम सजीवन–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

37–डा0 दिनेश जौहरी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

38–श्री सत्यपाल सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

जिला देवरिया में आबकारी गोदाम के निरीक्षक आवास में निरीक्षक द्वारा किए गए निर्माण के बारे में जांच

39–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पडरौना जिला देवरिया में आबकारी का गोदाम पड़रौना में है जिसमें निरीक्षक आवास भी है ? क्या यह सही है कि निरीक्षक द्वारा अपने आवास में बिना विभागीय स्वीकृति के निर्माण कराया गया है और निर्माण कराने में काफी धन खर्च हुआ है यदि हां, तो खर्च हुए धनराशि का स्रोत क्या है तथा क्या सरकार ने कोई निर्माण के लिए धनराशि दी है ? यदि नहीं, तो निर्माण में धनराशि के खर्च के बारे में जांच करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के पडरौना क्षेत्र में ताड़ी के नीलाम की धनराशि

40–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देवरिया के पडरौना क्षेत्र में ताड़ी के नीलाम की वार्षिक धनराशि सन् 1983-84 तथा 84–85 व 85–86 में क्या रही है, क्या यह सही है कि वर्ष 83–84 और 84-85 से कम धनराशि में ठेका वर्ष 1985–86 में दिया गया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है अब तक नवीनीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला देवरिया में आबकारी विभाग द्वारा तम्कूही राज्य में चेक पोस्ट का अस्थायी भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा व्यय की जांच

41–श्री कामेश्वर उपाध्याय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला देवरिया में आबकारी विभाग द्वारा तम्कूही राज्य में चेक पोस्ट का अस्थाई भवन निर्माण के लिये कितना धन स्वीकार हुआ ? और कितना धन खर्च हुआ ? क्या यह सत्य है कि निर्माण में मामूली पैसा खर्च किया गया है तथा घटिया किस्म का सामान लगाया गया है और पैसा बचा लिया गया है ? क्या इसकी जांच सरकार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

42–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

जनपद फर्रुखाबाद में एक ही परिवार के व्यक्तियों के पास मिट्टी तेल के फुटकर लाइसेंस

43–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद में इस समय ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक ही परिवार के कई लोगों के नाम से मिट्टी के तेल के लाइसेंस हैं ? क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद फर्रुखाबाद में एक परिवार के ऐसे लोगों जिनके पास एक से अधिक मिट्टी तेल के फुटकर लाइसेंस थे, उनकी कुल संख्या 46 थी जिन्हें निरस्त कर दिया गया है ।

तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में आवंटित मिट्टी तेल का कोटा थोक विक्रताओं द्वारा अन्यत्र बेचने का कथित मामला

44–श्री संतोष चतुर्वेदी–

क्या खाद्य एव रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील सदर, जिला फर्रुखाबाद में आवंटित मिट्टी तेल का कोटा वर्ष 1983 में कई बार थोक विक्रेताओं द्वारा बिना पूर्वानुमति के अन्यत्र बेचने का मामला प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी नहीं । प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने हेतु राजकीय योजना

45–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान की खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 21 दिसम्बर, 1985 को कितने धान की खरीद की गयी ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लगभग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपए प्रति कुंटल कम रही ?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 44079.8 मी0 टन धान की खरीद की गयी (जनपदवार विवरण संलग्न है) **जबकि गत वर्ष इसी दिनांक को 28,679** मी0 टन धान की खरीद की गयी थी । इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई । जहां कहीं धान के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे वहां ऐसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 95 पर)

जिला सिंचाई सलाहकार समितियों के सदस्य

46–श्री निहाला सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन जिला सिंचाई सलाहकार समि-

तियों को भंग कर दिया गया जिसके सदस्य विधान सभा तथा लोक सभा के सदस्य हुआ करते थे ? क्या यह सही है कि अब उसके स्थान पर गठित समिति के सदस्य केवल लोक सभा के सदस्य ही रहेंगे ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता है ।

घोसी रजवाहा के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने का लक्ष्य

47–श्री राम जनम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील सगडी में शारदा सहायक खण्ड 52 घोसी राजबाहा माइनर के अधूरे कार्य को कब तक पूरा किया जायेगा ? क्या यह सही है कि इसी माइनर से ग्राम चम्पापुर के 35 किसानों की फसलें नहर के पानी से नष्ट हुई हैं ? यदि हां, तो उनको कब तक क्षतिपूर्ति की जावेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

घोसी रजवाहा के अधूरे कार्य को जून, 1987 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है । कृषकों ने उक्त राजवाहे के कि0 मी0 2.8 के समीप स्थित ड्रेन द्वारा नहर के फालतू पानी को बंधा लगाकर उठाया था जिस ग्राम चम्पापुर के निचले क्षेत्र में पानी फैल जाने के कारण उक्त ग्राम के 4कृषकों की 1.46 एकड़ वर्तमान रबी की फसल नष्ट हुई है । इस क्षति के लिए कृषक स्वयं उत्तर दायी हैं । अत: क्षतिपूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

बस्ती गोरखपुर जिले की मुखलिसपुर पम्प नहर मुखलिसपुर से अमिहा ग्राम तक पक्के कार्यों में लगी निर्माण सामग्री

48–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती गोरखपुर जिले की मुखलिसपुर पम्प नहर पर मुखलिसपुर से अमिहा ग्राम तक जो पक्का कार्य हुआ है उसमें कितनी सीमेंट, ईंट, मोरंग, बालू लगा है तथा बालू, सीमेंट लगाने का क्या अनुपात है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती-गोरखपुर जिले की मुखलिसपुर पम्प नहर पर मुखलिसपुर से अमिहा ग्राम तक (मुख्य नहर के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 4.80 तक) मार्च, 1986 तक कराये गये पक्के कार्यों में निम्न-लिखित प्रश्नगत निर्माण सामग्री लगी है :–

1–प्रथम श्रेणी ईंटें	22,93,520 अदद
2–सीमेण्ट	17,382 बोरी
3–मोरंग बालू	1401.2 घन मी0

निर्माण कार्य के मुख्य कार्यों पर सीमेण्ट बालू का अनुपात निम्न प्रकार है :–

क–लाइनिंग का कार्य	1 सीमेण्ट : 3 बालू
ख–पक्के कार्य	1 सीमेण्ट : 4 बालू
ग–सीमेण्ट प्वाइन्टिंग	1 सीमेण्ट : 2 बालू
घ–सीमेण्ट कांक्रीट (स्लैब में)	1 सीमेण्ट : 2 बालू : 4 गिट्टी
च–सीमेण्ट कांक्रीट (फाउन्डेशन	1 सीमेण्ट : 4 बालू : 8 गिट्टी ।

बस्ती जिले में तिधरा माइनर के निर्माण में सीलिंग का कार्य

49–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प नहर में तिधरा माइनर पर मोहवरा माइनर तक सीलिंग किया जाना था ? यदि हां, तो उक्त कार्य पूर्ण हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कुआनों पम्प नहर परियोजना के अंतर्गत तिधरा माइनर के निर्माण में सीलिंग के कार्य का प्राविधान परियोजना में नहीं है । अतः इसके पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं है ।

50–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

[9वें सोमवार में अता0 प्र0 स0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प नहर में पानी का तल ऊंचा करने के लिए बैरियर पर व्यय

51–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प नहर में पानी का तल ऊंचा करने के लिए बैरियर पर 1980 से 1985 तक प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत बैरियर पर वित्तीय वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक प्रति वर्ष व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यय (रुपये में)
1980-81	शून्य
1981-82	4,00,625.00
1982-83	2,08,878.78
1983-84	7,52,238.20
1984-85	6,92,046.90

बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प नहर के तोड़ने से निकली ईंट का उपयोग

52–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प नहर में मुखलिसपुर से लेकर चंदौरी तक जो नहर तोड़ी गई है उससे कुल जो ईंट निकली है उनका क्या उपयोग हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बस्ती जिले में मुखलिसपुर पम्प नहर में मुखलिसपुर से लेकर चन्दौरी तक (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 3.80 तक) पक्की नहर तथा पक्के कार्य जो नहर को चौड़ा करने के लिए तोड़े गये हैं उससे प्राप्त आंशिक ईंट का रोड़ा कुआनों नदी के जल स्तर को ऊंचा करने के लिए अस्थाई बन्ध के निर्माण में उपयोग किया गया है । शेष ईंट का रोड़ा तथा ईंट मुखलिसपुर में कार्यस्थल पर विभागीय देख-रेख में मौजूद है ।

53-53 अ–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

बस्ती जिले के बांसी मिठवल तथा खेसरहा विकासखण्डों में राशन कार्ड बनवाने, मिट्टी का तेल महंगा मिलने तथा आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में पत्र

54–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी मिठवल तथा खेसरहा विकास खण्डों में लोगों के राशन कार्ड बनवाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1986 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । प्रश्नगत पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1986 शासन को प्राप्त हुआ है । जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन कार्ड दिलवाने एवं जीर्ण-शीर्ण कार्डों के स्थान पर नवीन कार्ड उपभोक्ताओं को दिलवाने के आदेश जिलाधिकारी बस्ती को दे दिए गए हैं ।

55–हरिश्चन्द्र, (हरीश जी)–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के बांसी मिठवल तथा खेसरहा विकास खण्डों में मिट्टी का तेल महंगा मिलने तथा उसकी आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 86 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां । प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 जनवरी, 1986 प्राप्त हुआ है । विकास खण्ड बांसी, मिठवल तथा खेसरहा के मिट्टी तेल के फुटकर लाइसेंसियों को शोहरतगढ़, नौगढ़ तथा बांसी के थोक विक्रेताओं के यहां से मिट्टी तेल की आपूर्ति कराई जाती है, क्योंकि तहसील बांसी में मात्र एक ही एजेन्ट (थोक विक्रेता) है । मिट्टी तेल विक्रेताओं द्वारा उठाए गए मिट्टी तेल को निर्धारित मूल्य पर वितरण कराया जाता है तथा इस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । बांसी तहसील के सांथा एवं सुधौली आदि ब्लाक मुख्यालयों पर मिट्टी तेल के एजेन्ट नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्टेट कोआर्डिनेटर एवं सीनियर डिवीजनल मैनेजर, इण्डियन आयल कारपोरेशन लि0, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि मिट्टी तेल के एजेन्टों की नियुक्ति तेल कम्पनियां भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ''मारकेटिंग-प्लान'' के अनुसार स्वयं करती हैं । वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जिला अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है ।

मेसर्स कैसर हुसैन एण्ड कम्पनी फतेहपुर को दिल्ली पाईप सेन्टर पर सी0 सी0 पाईप निर्माण व ढुलाई व बिछाई के लिये किया गया अनुबन्ध

56–श्री अमरनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में नलकूप खण्ड द्वारा किये गये अनुबन्ध नं0 2/ई-ई दिनांक 1-8-81 तथा अनुबन्ध नं0 2/ई-ई दिनांक 3-7-82 जो मेसर्स कैसर हुसैन एण्ड कम्पनी फतेहपुर को दिल्ली पाईप सेन्टर पर सी0 सी0 पाईप निर्माण व ढुलाई अथवा बिछाई के लिए किया गया था? इन अनुबन्धों का कितना भुगतान उपरोक्त फर्म को विभाग द्वारा करना बाकी है और अब तक यह भुगतान किन कारणों की वजह से उक्त फर्म को नहीं किया जा सका ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अनुबन्धित मात्रा से अधिक कार्य किये जाने के फलस्वरूप अनुबन्ध सं0 2/ई-ई, दिनांक 1-9-81 के अधीन अवशेष भुगतान की धनराशि अभी निर्णीत न होने के कारण अन्तिम भुगतान नहीं किया जा सका है।

अनुबन्ध सं0 2/ई-ई, दिनांक 3-7-82 के अधीन कोई भुगतान शेष नहीं है।

जनपद फर्रुखाबाद में विभागों में रिक्त स्थान तथा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

57—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जपद फर्रुखाबाद में ऐसे कितने विभाग हैं जहां पर अनेक कर्मचारियों के स्थान रिक्त पड़े हैं और उन्हें भरे जाने हेतु क्या नियम बनाये गये हैं? विगत वर्ष चयन समिति द्वारा चर्यानत सभी व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई है अथवा नहीं? यदि नहीं, तो अभी तक क्यों नहीं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद में इस समय राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी भी विभाग में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है।

राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती हेतु जिला चयन समिति का गठन किया गया है।

विगत वर्ष चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों में से 36 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कराई जा चुकी है तथा शेष 40 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद के सिंचाई विभाग आई0 डी0 तृतीय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी भुगतान एवं घपले के सम्बन्ध में लिखित-पत्र

58—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 23 जनवरी, 86 का लिखित पत्र पत्रांक 127-31 का शिकायती पत्र बांदा जनपद के सिंचाई विभाग आई0 डी0 तृतीय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी भुगतान एवं घपले के सम्बन्ध में मा0 मुख्य मंत्री, मुख्य सिंचाई अभियन्ता उ0 प्र0 लखनऊ, बुन्देलखण्ड सिंचाई विभाग के मुख्य अभियन्ता झांसी मण्डल, झांसी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई? क्या यह भी सही है कि पत्र में टेक्निकल आडिट सेल से जांच की मांग की गयी है? यदि हां, तो टेक्निकल आडिट सेल की जांच रिपोर्ट क्या है और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

शिकायतों की जांच के आदेश मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) सिंचाई विभाग, झांसी को दे दिये गये हैं।

जी हां।

अभी टी0 ए0 सी0 से जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन कार्यालयों में चलाये गये प्रशिक्षण एवं मार्ग निर्देशन केन्द्र में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव

59—श्री रघुबर दयाल वर्मा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालयों में चलाये गये प्रशिक्षण एवं मार्ग निर्देशन केन्द्र में नियुक्त अनुदेशकों के प्रोन्नति की व्यवस्था की गयी है इन्हीं अनुदेशकों में से प्रोन्नति करके इन केन्द्रों को चलाने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इन केन्द्रों के प्रभारी अधिकारी सहायक सेवायोजन

अधिकारी होते हैं। इन केन्द्रों के अनुदेशकों को भी सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पात्रता क्षेत्र में लाये जाने के औचित्य पर विचार किया जा रहा है।

केन नहर के अतर्रा ब्रांच की पटरी को पनगरा कोठी से अतर्रा कोठी तक पक्का कराने के सम्बन्ध में कथित प्रस्ताव

60—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7 जनवरी, 86 का लिखित पत्र बांदा की नरैनी तहसील में केन नहर के अतर्रा ब्रांच की पटरी को पनगरा कोठी से अतर्रा कोठी तक पक्का कराने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। नहरों की पटरी को पक्का करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

बांदा जनपद के महुवा ब्लाक गांव खानपुर कोलावल आदि के लिए सिंचाई सुविधा राजकीय नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में पत्र

61—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का लिखित पत्र दिनांक 9 जनवरी, 86 बांदा जनपद, महुवा ब्लाक गांव खानपुर कोलावल आदि के लिये सिंचाई सुविधा रा0 नलकूप लगवाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो पत्र का विवरण क्या है और उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, प्रश्नगत पत्र में राजकीय नलकूप लगवाये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त स्थल की टोपोग्राफी व भू-गर्भिक भौगोलिक स्थिति राजकीय नलकूपों के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है, अतः किसी कार्यवाही के किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

बांदा जनपद के बदौसा फतेहगंज क्षेत्र में बह रही कड़ैली एवं बान गंगा छोटी नदियों में चेक डैम बनवाने के सम्बन्ध में पत्र

62—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 जनवरी, 86 का लिखित पत्र बांदा जनपद के बदौसा फतेहगंज क्षेत्र में बह रही कड़ैली एवं बान गंगा छोटी नदियों में चेक डैम बनवाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में जिला स्तर पर कार्यवाही वांछित है। मामला जिलाधिकारी बांदा को सन्दर्भित कर दिया गया है।

62-अ—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[9वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जनपद के ग्राम सढ़ा में सिंचाई के लिये नलकूप लगवाने का प्रस्ताव

62-ब—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 27 दिसम्बर, 85 का लिखित संलग्न पत्र बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी के ग्राम सढ़ा के निवासियों के पत्र के साथ उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो सिंचाई सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में ग्राम सढ़ा में सिंचाई के लिए नलकूप लगवाने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में पर्याप्त भू-गर्भ जल धारक स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित मानक के राजकीय नलकूप लगाये जाने की सम्भावना नहीं है।

हरनोल स्कैप (मांट ब्रांच) में किये गये फर्जी पेमेन्ट के बारे में शिकायती पत्र

63–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने 25-6-85 को हरनोल स्कैप (मांट ब्रांच) में किये गये फर्जी पेमेन्ट के बारे में शिकायती पत्र दिया था जिसके उत्तर में सिंचाई मंत्री ने अपने दिनांक 2 जुलाई, 1985 के पत्र के द्वारा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नकर्ता सदस्य का एतद्विषयक शिकायती पत्र दिनांक 26-6-85 प्राप्त हुआ था, जिसे मूलरूप में जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भेज दिया गया था।

जांच कराई गई, जिसके फलस्वरूप फर्जी भुगतान किये जाने की शिकायत निराधार पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भरत सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को फर्जी भुगतान के संबंध में दिया गया पत्र

64–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-5-84 को एक प्रार्थना पत्र श्री भगत सिंह वरिष्ठ सहायक ने अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद को सिंभावली के पास फूलडेहरा नाले के पुनरुद्धार में फर्जी भुगतान के संबंध में दिया था? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कथित पत्र श्री भगत सिंह ने अधिशासी अभियन्ता को दिया था। पत्र में वांछित कार्यवाही जब नहीं की गयी, तब श्री भगत सिंह ने 26-6-84 को दूसरा पत्र सतर्कता सचिव को दिया जिस पर सतर्कता विभाग ने गोपनीय जांच कराकर आख्या शासन को दिनांक 5-11-85 को भेजी। विभागीय जांच कराकर समुचित कार्यवाही कराने की संस्तुति की गयी है। शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद से श्री भगत सिंह के स्थानान्तरण किये जाने का आधार, अधिशासी अभियन्ता द्वारा सरकारी धन के गबन के विषय में दी गयी सूचना

65–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद से केवल श्री भगत सिंह वरिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण जनपद से बाहर

अ0 शा0 प0 सं0 18/3/1982 कार्मिक–2 उ0 प्र0 कार्मिक अनु-2 लख-नऊ दिनांक 12 अप्रैल, 1983 के विपरीत क्यों और किस आधार पर किया गया था?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री भगत सिंह, वरिष्ठ सहायक, का सिंचाई निर्माण खण्ड, गाजियाबाद से स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया था और यह स्थानान्तरण कार्मिक विभाग के कथित शासनादेश में निहित आदेशों के विपरीत नहीं है।

66–श्री गजराज सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगत सिंह पुत्र श्री हरि-स्वरूप शर्मा, नया आर्य नगर, हापुड़ द्वारा दिनांक 28-6-84 में श्री रमा-कान्त वर्मा अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये सरकारी धन के गबन के विषय में सूचित किया था? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही हुयी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हां, तो क्या?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र 28-6-84 का नहीं है अपितु 26-6-84 का है जिसके बारे में स्थिति प्रश्न संख्या–64 के उत्तर में अंकित है। 28-6-84 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए विभिन्न जनपदों में धान की खरीद की राजकीय योजना

67–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान खरीद की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिये धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 31 नवम्बर, 85 को कितने-कितने धान की खरीद की गई? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लग-भग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति कुंटल कम रही?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 30 नवम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 18620.4 मी0 टन धान की खरीद की गयी (जनपदवार विव-रण संलग्न है) जब कि गत वर्ष इसी दिनांक को 15198 मी0 टन धान की खरीद की गयी थी। इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई। जहां कहीं धान के भाव सम-र्थन मूल्य से कम रहे वहां ऐसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 97 पर)

68–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 7 दिसम्बर, 85 को कितने धान की खरीद की गई? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लगभग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति कुंटल कम रही?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 7 दिसम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 25676.2 मी0 टन धान की खरीद की गयी (जनपदवार विवरण संलग्न है) जबकि गत वर्ष इसी दिनांक को 22,572 मी0 टन धान की खरीद की गयी थी। इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई। जहां कहीं धान के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे वहां एसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 98 पर)

69–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 14 दिसम्बर, 85 को कितने धान की खरीद की गई ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लगभग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति कुंटल कम रही?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 14 दिसम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 35,519.6 मी0 टन धान की खरीद की गयी (जनपदवार विवरण संलग्न है) जब कि गत वर्ष इसी दिनांक को 25,828 मी0 टन धान की खरीद की गयी थी। इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई। जहां कहीं धान के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे, वहां एसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 99 पर)

70–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान की खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में जनपदवार 31 दिसम्बर, 85 को कितने धान की खरीद की गई? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि यह खरीद इतनी कम थी कि लगभग सभी जगह धान की कीमत खुले बाजार में समर्थन मूल्य से 20 रुपये प्रति कुंटल कम रही?

श्री हुकुम सिंह–

कृषकों के धान की कीमत को समर्थन मूल्य से नीचे न गिरने देने के लिए धान खरीद की राजकीय योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जनपदों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक एजेंसियों द्वारा 62,391.7 मी0 टन धान की खरीद की गयी (जनपदवार विवरण संलग्न है) जब कि गत वर्ष इसी दिनांक को 30580 मी0 टन धान की खरीद की गयी थी। इस प्रकार धान की खरीद गत वर्ष की तुलना में कम नहीं हुई। जहां कहीं धान के भाव समर्थन मूल्य से कम रहे वहां एसा ही धान कम मूल्य पर बिका जो निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुसार निम्न श्रेणी का था।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 101 पर)

ग्राम मकनपुर, इलाहाबाद में जल आपूर्ति

71–श्री गोपाल दास यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा नहर के टेल में (मकनपुर इलाहाबाद) विगत कई वर्षों से सिंचाई हेतु पानी नहीं आया है? यदि हां, तो क्या टेल तक शीघ्र पानी पहुंचाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम मंकापुर नहीं बल्कि ग्राम मकनपुर है जो किशनपुर पम्प नहर के कि0 मी0 69·86 पर स्थित है। तैरते बाजों पर पम्प स्थापित होने से तथा नदी स्तर में घटा-बढ़ी होने के कारण पम्प नहर अपनी निर्धारित 300 क्यूसेक्स की क्षमता से नियमित रूप से नहीं चल पाती है जिसके कारण टेल भाग में स्थित ग्राम मकनपुर को जल आपूर्ति में व्यवधान रहता है। जी हां।

श्रम न्यायालय, वाराणसी में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया गया कार्य

72–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में स्थापित श्रम न्यायालय स्थायी कर दिया गया है? यदि हां, तो उसके लिए आव्यशक कर्मचारियों की व्यवस्था अब तक नहीं की गयी ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्रम न्यायालय, वाराणसी स्थायी नहीं किया गया है। अतः अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

73–श्री राज किशोर सिंह–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम न्यायालय, वाराणसी के पीठासीन अधिकारी वाराणसी ने वर्ष 1985 में वास्तव में कुल कितने दिन कार्य किया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय वाराणसी ने वर्ष 1985 में 209 दिन कार्य किया।

भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित की अध्यक्षता में बाजार कर्मचारियों तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के मालिकों और सरकार के त्रिदलीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय

74–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि दिनांक 24-12-81 को भूतपूर्व श्रम मंत्री श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित की अध्यक्षता में बाजार कर्मचारियों तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के मालिकों और सरकार का त्रिदलीय सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो इसमें क्या-क्या सुझाव आये थे और उनमें से किन-किन सुझावों को क्रियान्वित किया गया है और जिन सुझावों को क्रियान्वित नहीं किया गया है उनके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । इस सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे:–

(1) दुकानों के कर्मचारियों के काम के घन्टों एवं अन्य स्प्रेड ओवर विवादों के संबंध में प्रत्येक महानगरों में त्रिदलीय समितियां गठित की जायं।

(2) दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दरें तीन माह के अन्दर पुनरीक्षित की जायं ।

(3) उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम/नियमावली में आवश्यक संशोधन का कार्य विधान मण्डल की विभागीय सलाहकार समिति को सौंपा जाय ।

(4) कर्मचारियों की सेवा शर्तें एवं आचार संहिता बनाने का कार्य किसी औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपा जाय जो अपना निर्णय 6 माह के अन्दर दे ।

(5) संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का एक्ट, 1947 में लेबर कोर्ट एवं इण्डस्ट्रियल ट्रिब्युनल के समक्ष प्रतिनिधित्व विषयक प्राविधान में संशोधन के प्रश्न को भी विधान मण्डल की विभागीय सलाहकार समिति को सौंपा जाय ।

(6) प्रत्येक बड़े नगर में दुकानों के प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों के बीच उठने वाले छोटे-छोटे विवादों को आपसी वार्ता द्वारा सुलझाने के लिये स्थाई समितियां गठित की जायें । इसमें क्रमांक 1, 2 व 6 पर उल्लिखित निर्णयों का क्रियान्वयन हो गया है । क्रमांक 3 के निर्णय के संबंध में उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 में पंजीयन की प्रक्रिया को सरलीकरण करने हेतु यथावश्यक संशोधन कर दिया गया है । अन्य संशोधनों का मामला श्रम स्थायी समिति के समक्ष रखा गया था, लेकिन उस पर समिति द्वारा पूर्णरूप से विचार नहीं किया जा सका । क्रमांक-4 के निर्णय के क्रियान्वयन हेतु श्री हर स्वरूप शर्मा, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, कानपुर की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय गठित किया गया था किन्तु यह जांच न्यायालय इस कार्य को पूरा नहीं कर सका और श्री शर्मा उक्त पद से सेवानिवृत्त हो गये । तत्पश्चात् श्री शर्मा को श्रम सलाहकार की हैसियत से इस कार्य को सौंपा गया किन्तु इस बार भी वह इसे पूरा नहीं कर सके। क्रमांक-5 का निर्णय जो एक विधिक बिन्दु है, भी अभी विचाराधीन है।

जनपद देवरिया के ग्राम सकतुआ से ग्राम हरपुर मलसी तक ड्रेन की खोदाई का कार्य

75—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सिंचाई खण्ड 3 द्वारा पथरदेवा विकास खण्ड के ग्राम सकतुई से ग्राम हरपुर मलसी तक ड्रेन की खोदाई का कार्य विगत वर्षों में कराया गया ? क्या यह सही है कि ग्राम सकतुआ तथा हरपुर में ड्रेन की अधूरी खोदाई होने से हजारों एकड़ भूमि जल प्लावित हो रही है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को पूरा करने की भविष्य में कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां । जमीन उपलब्ध न होने के कारण केवल ग्राम सकतुआ में ड्रेन की 600 मीटर खुदाई का कार्य अधूरा है लेकिन उक्त स्थान पर प्राकृतिक नाला होने के कारण जल प्लावन की समस्या नहीं है । भूमि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा, जिसके प्रयास हैं।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-49 सुल्तानपुर को सम्बोधित उमराडीह ड्रेन से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

76—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियंता, शारदा सहायक खण्ड-49 सुल्तानपुर को सम्बोधित राम प्रताप सिंह पुत्र शिव बालक सिंह तथा ग्राम प्रधान उमराडीह ब्लाक जामों सुल्तानपुर का माह

अक्टूबर, 85 को प्रेषित रजि0 प्रार्थना पत्र, जिसमें क्या प्रति वर्ष ड्रेन तालों, जलभराव व नालों की खोदाई व सफाई न होने की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, उमराडीह ड्रेन से सम्बन्धित प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है । ड्रेन की समस्त समस्याओं का अध्ययन कर उन्हें ठीक कराने की एक योजना इस वर्ष बनाई गई है जिसके अन्तर्गत सभी ड्रेनों को जून, 1988 तक ठीक करा दिया जाना प्रस्तावित है । योजना का कार्यान्वयन कराने हेतु कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समय सारिणी के अनुसार करना सुनिश्चित किया गया है जिसके अनुसार उमराडीह ड्रेन को जुलाई, 1986 से मार्च, 1987 तक ठीक कराना प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड, सुल्तानपुर को गुलालपुर ड्रेन तथा खेमवा ड्रेन को ठीक कराने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र तथा व्यय

77–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड, सुल्तानपुर अधीक्षण अभियन्ता, शारदा सहायक लयमन को सम्बोधित ग्राम प्रधान कितियांवा, जुड़ियापुर, जैतपुर, चिलबिली ब्लाक गौरीगंज तथा शाहगढ़, सुलतानपुर तथा अन्य ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त दिनांक 19-8-85 का रजि0 प्रार्थना-पत्र गुलालपुर ड्रेन एवं खेमवाताल जिसमें क्षेत्र की पचासों हजार एकड़ जमीन के जलमग्न हो जाने की तथा उस पर प्रति वर्ष फर्जी काम करने की शिकायत तथा उसे समय से पूर्व खुदाई करने की मांग की गयी है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 19-8-85 का नहीं बल्कि 25-8-85 का प्राप्त हुआ है। गुलालपुर ड्रेन तथा खेमवा ड्रेन को ठीक कराने हेतु मिट्टी का कार्य कराया जा रहा है जिसके पूर्ण होने का लक्ष्य जून, 1987 है । इन ड्रेनों से वर्षा काल में अधिक से अधिक 5 हजार एकड़ भूमि जल भराव से प्रभावित होती है ।कथित फर्जी कार्य के बारे में पिछले वर्षों में हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन कराना अब सम्भव नहीं है किन्तु अभिलेखों से यह विदित है कि कार्य कराया गया है ।

77(अ)–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मंत्री जी उक्त ड्रेनों पर वित्तीय वर्ष 82-83, 83-84 व 84-85 में व्यय किये गये धन का मदवार, वर्षवार ब्योरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उक्त ड्रेनों पर व्यय किये गये धन का ब्यौरा संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 103 पर)

कमालपुर ड्रेन से संबंधित किसानों को मुआवजा न मिलने की शिकायत

78–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड-49 जनपद सुल्तानपुर को संबोधित श्री गया बक्स सिंह, ग्राम कमालपुर, ब्लाक जामों

सुल्तानपुर का दिनांक 2-12-85 का रजि0 प्रार्थना-पत्र जिसमें कमालपुर ड्रेन से संबंधित किसानों को मुआवजा न मिलने की शिकायत की गई, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सम्बन्धित किसानों को मुआवजा अब तक न दिये जाने का क्या कारण है तथा मुआवजा कब तक किसानों को दे दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । जमालपुर ड्रेन का प्रकरण चकबन्दी अधिकारी, सुल्तानपुर को जमीन छोड़ने हेतु वर्ष 1981 में ही भेजा गया था लेकिन उनके द्वारा जमीन चकबन्दी से अलग नहीं की गयी । धारा 52 के अधीन नये चक नम्बर न होने के कारण भू-प्रकरण भी नहीं बनवाया जा सकता था । बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी द्वारा धारा 52 की विज्ञप्ति के प्रकाशन के लिए भेजी जा चुकी है। विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद मुआवजा दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

बांदा जनपद के केन मुख्य नहर से निकला करतल रजबहा को नेदुवा ग्राम तक बढ़ाने के सम्बन्ध में योजना

79–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 10 जनवरी, 86 का लिखित पत्र बांदा जनपद के केन मुख्य नहर से निकला करतल रजबहा को नेढुवा तक बढ़ाने के सम्बन्ध में उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो यह रजबहा कब तक ग्राम नेदुवा तक पूरा हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव का अभी सर्वेक्षण कराया जा रहा है । तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में एक ही जिले में कार्यरत श्रम निरीक्षकों को अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने का कारण

80–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने श्रम निरीक्षक उ0 प्र0 में ऐसे हैं जो विगत 8-10 वर्षों से एक ही जिले में कार्यरत हैं ? इनका अन्यत्र स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रदेश में कुल चार श्रम निरीक्षक ही गत 8-10 वर्षों से एक ही जनपद में तैनात हैं, क्योंकि उपरोक्त अवधि में ये श्रम निरीक्षक सम्बन्धित जनपदों में एक से अधिक स्थान पर तैनात रखे गये हैं ।

81–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[8वें शुक्रवार में अता0 प्र0 स0 99 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के बाघला प्रखण्ड के अन्तर्गत बाघला बांध और यमुना पम्प नहर की मरम्मत का कार्य

82–श्री रमाकान्त मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के बाघला प्रखण्ड के अन्तर्गत बाघला बांध और यमुना पम्प नहर के मरम्मत का कार्य 83-84, 84-85 तथा 85-86 में कितने धनराशि का हुआ है और इससे कितने रुपये का सिंचाई राजस्व प्राप्त होता है ? वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाघला बांध के मरम्मत कार्य पर अन्यत्र का पैसा कैसे एवं क्यों स्थानान्तरित किया गया है ? इसमें संलग्न अधिकारियो के विरुद्ध की गई अनियमितता के कारण कौन सी कार्यवाही विभाग कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–
सूचना एकत्र की जा रही है।

खाद्य निगम तथा मार्केटिंग विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारियों को स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

83–डाक्टर दिनेश जौहरी–
क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि खाद्य निगम तथा मार्केटिंग विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारी जो 1980 से कार्यरत है, अभी तक स्थाई नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी 1980 से कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई पद दिला देंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–
मार्केटिंग विभाग में कार्यरत सीजनल कर्मचारियों को जो 1980 से प्रतिवर्ष सीमित अवधि के लिए नियुक्त किये जाते हैं अभी तक स्थायी नहीं किया गया है। इस संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।
प्रदेश के समस्त सीजनल कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बन जाने के उपरान्त रिक्त पदों पर ज्येष्ठता के आधार पर कर्मचारियों को नियमित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जनपद मिर्जापुर के रेणुकट स्थित हिण्डालकों में श्रमिकों को आवास आवंटित करने पर विचार

84–श्री शारदा नन्द अंचल–
क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के रेणुकूट स्थित हिण्डालकों में श्रमिकों को आवास आवंटित करने की प्रक्रिया में विगत 10 वर्षों से नियुक्त स्थायी श्रमिकों को भी आवासीय सुविधा नहीं दी गई है जिससे श्रमिकों को काफी असुविधा उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या श्रम विभाग हिण्डालकों के प्रबन्धकों को निर्देश जारी करेगा कि श्रम कानूनों के अन्तर्गत अपने श्रमिकों के जीवन के हित में आवासीय सुविधा उपलब्ध करावें? क्या सरकार श्रम कानूनों की अवहेलना के कारणों की जांच कराने पर विचार कर रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–
यह सही है कि विगत 10 वर्षों से नियुक्त सभी स्थायी श्रमिकों को पारिवारिक आवासीय सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी है, किन्तु शेष स्थायी श्रमिकों को अकेले रहने के लिये बैरेक टाइप आवासीय सुविधा उपलब्ध है। सेवायोजकों द्वारा कुल 4631 आवासों का निर्माण किया गया है। उसमें से 3236 आवास सहायता प्राप्त औद्योगिक आवासीय योजना (सब्सीडाइज्ड इण्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम) के अन्तर्गत बनाये गये हैं। श्रम कानूनों के अन्तर्गत सेवायोजकों द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्राविधान नहीं है। अतः श्रम कानूनों की अवहेलना का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

चैनपुर गुलौरा और हल्दीरामपुर पम्प नहरें बन्द रहने से कृषकों को क्षति

85–श्री शारदा नन्द अंचल–
क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र की दो चैनपुर गुलौरा पम्प नहर व हल्दी-रामपुर पम्प नहर प्रायः बंद रहने से किसानों को भारी क्षति होती है ? क्या दोनों पम्प नहरों को चलाने के लिए सरकार निर्देश जारी करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

चैनपुर गुलौरा और हल्दीरामपुर पम्प नहरें चालू हालत में है । वर्ष 85-86 में चैनपुर गुलौरा पम्प नहर ट्रान्सफार्मर के हटाने से 1-7-85 से 31-8-85 तक तथा हल्दीरामपुर पम्प नहर वेक्यूम पम्प की खराबी से 28-11-85 से 22-12-85 तक बन्द रही है। उक्त दोनों दोषों के ठीक होने के उपरान्त दोनों पम्प नहरें बराबर चलाई जा रही हैं।

सीयर क्षेत्र में स्थित दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर पर ओवर ब्रिज का निर्माण

86–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर क्षेत्र में स्थित दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर पर चौकिया मोड़ के सामने ओवर ब्रिज निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किया गया तथा स्वीकृत भी हो गया लेकिन आज तक कुछ मिट्टी के कार्य के अतिरिक्त दूसरा कार्य न शुरू होने से आम जनता में असंतोष व्याप्त है? क्या सरकार अविलम्ब ओवर ब्रिज निर्माण हेतु कार्यवाही करने जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, परन्तु ओवर ब्रिज निर्माण के लिए कोई टेंडर स्वीकृत नहीं किया गया था। प्रश्नगत ब्रिज के निर्माण हेतु मिट्टी या अन्य किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इस प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया जा रहा है तदोपरान्त ही कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

बलिया जनपद में फैक्ट्रियां तथा श्रमिकों की आवासीय सुविधा पर विचार

87–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर में श्रम विभाग के आंकड़े के अनुसार कितनी फैक्ट्रियां हैं और उनमें कितने-कितने श्रमिक नियुक्त हैं तथा उन्हें आवासीय सुविधा के लिए सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

88–श्री शारदा नन्द अंचल–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

मेसर्स कनोडिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 रेणुकूट, मिर्जापुर में कार्यरत स्थायी तथा अस्थायी श्रमिक तथा प्राप्त आवासीय सुविधा

89–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जनपद स्थित कनोडिया केमिकल्स फैक्ट्री में श्रम विभाग के आंकड़े के अनुसार कितने श्रमिक विभिन्न वर्गों में स्थाई और अस्थाई रूप से कार्यरत हैं और उसमें से कितने श्रमिकों की प्रबन्धकों ने आवासीय सुविधा दिया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रबन्धकों को श्रम नियमों के अनुसार श्रमिकों को आवासीय सुविधा देने के लिए सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मेसर्स कनोडिया केमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0, रेणुकूट, मिर्जापुर में 764 स्थायी तथा 11 अस्थायी श्रमिक कार्यरत है। इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर), प्रशिक्षार्थी (अप्रेन्टिस) तथा बदली श्रमिक भी कार्यरत हैं । प्रतिष्ठान के सभी श्रमिकों को आवासीय सुविधा प्राप्त है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ति निरीक्षकों की जारी की गई ज्येष्ठता सूची

90–श्री राम कृष्ण–

क्या खाद्या एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे की पूर्ति निरीक्षकों की 1979

में जारी की गई ज्येष्ठता सूची को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया तथा सन् 1982 तथा 84 में कई वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों को विभाग द्वारा प्रोन्नतियां दी गई ? क्या उपरोक्त प्रोन्नतियों में वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों की अवहेलना करके कनिष्ठ पूर्ति निरीक्षकों को प्रोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

90-अ–श्री राम कृष्ण–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के स्टैफ्को गैस सर्विस में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण

91–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अन्तर्गत स्टैफ्को गैस सर्विस, लखनऊ में अक्टूबर, 1984 से कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी निरन्तर रूप से कार्यरत हैं ? क्या सरकार उन्हें नियमित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के अन्तर्गत स्टैफ्को गैस सर्विस, लखनऊ में दिनांक 31 अक्तूबर, 1984 से कुल 4 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी निरन्तर रूप से कार्यरत हैं ।

कर्मचारियों की सेवा नियमावली तैयार की जा रही है और उसके अन्तिम रूप लेने के उपरान्त नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

92–श्री जनार्दन प्रसाद झोझा तथा श्री राम गोविन्द चौधरी–

[9वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

तहसील हैदरगढ़, जनपद बाराबंकी के कृषकों द्वारा दिया गया कथित मांग-पत्र

93–श्री राम सागर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र के कृषकों ने तहसील हैदरगढ़, बाराबंकी की मुख्यालय पर कई हजार की तादात में मिलकर दिनांक 21-10-85 को प्रदर्शन किया था और क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता खण्ड 28 प्रखण्ड हैदरगढ़ के विरुद्ध मांग-पत्र में कई गम्भीर एवं आपत्तिजनक आरोपों का उल्लेख किया गया था? यदि हां, तो मांग-पत्र की शिकायतों पर अब तक क्या जांच कार्यवाही प्रशासन की ओर से की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

किसी जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम बिसुनपुरा व परसिया, जनपद देवरिया में घाघरा नदी पर ठोकर निर्माण की मांग

94–श्री विष्णुदेव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ देवरिया जनपद की सीमा पर ग्राम बिसुनपुरा व परसिया, जनपद देवरिया में घाघरा नदी के कटाव से सुरक्षा हेतु ठोकर निर्माण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-11-85 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर में ड्रेनेज के कार्य हेतु पृथक खण्ड स्थापित करने की मांग

95–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाढ़ तथा अति वर्षा के कारण सीतापुर में ड्रेनेज का काफी कार्य होंने तथा वर्तमान शारदा खण्ड द्वारा उसे पूरा न करवाने के कारण हो रही कठिनाई को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार जिला सीतापुर में ड्रेनेज का सर्वे तथा निर्माण हेतु एक पृथक खण्ड स्थापित करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो खण्ड की स्थापना कब तक हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । ड्रेनेज की समस्या का निराकरण वर्तमान शारदा नहर खण्ड, सीतापुर, कार्यों की स्वीकृति एवं आवंटन के अनुसार करा रहा है।

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में वसूला जा रहा सिंचाई कर

96–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 में सरकार ने ट्यूबवेल के क्षेत्र पर कमाण्ड कर के नाम से कर लगाया था जो सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था किन्तु अभी भी प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इस कर को वसूल किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

97–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

[11वें मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ जिला चयन समिति द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार

98–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जिला चयन समिति के द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा जो विगत जुलाई 1985 में हुई थी उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखनऊ जिला चयन समिति के द्वारा आयोजित टंकण परीक्षा जो विगत जुलाई, 1985 में हुई थी उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं हुआ है क्योंकि जिला चयन समिति की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है।

99–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

[7वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 89 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

100–कु0 अलमेलु अम्माल–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

आगरा जनपद में नहरों से की गयी सिंचाई एवं जल आबपासी का क्षेत्रफल

101–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद में विगत चार वर्षों में नहरों से कितने क्षेत्रफल की सिंचाई की गई है और इसमें जल आबपासी का क्षेत्र फल क्या है ? क्या जल आबपासी का क्षेत्रफल प्रति वर्ष बढ़ा है ? यदि हां, तो क्षेत्रफल के बढ़ने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आगरा जनपद में विगत चार वर्षों में नहरों द्वारा की गई कुल सींच व कुल

डाल सींच के वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं:–

वर्ष फसली	कुल सींच (हेक्टेयर में)	कुल डाल सींच (हेक्टेयर में)
1389 फसली (1981-82)	81765	18493
1390 फसली (1982-83)	80182	17515
1391 फसली (1983-84)	78482	17320
1392 फसली (1984-85)	58745	12157

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में नलकूप निर्माण खण्ड विभाग की स्थापना तथा कुल निर्मित नलकूप

102–श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में नलकूप निर्माण खण्ड विभाग कब से खोला गया तथा वर्ष 1985 तक कितने नलकूपों का निर्माण कब और कहां कराया गया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह खण्ड अप्रैल, 1983 में खोला गया था ।

दिसम्बर, 1985 तक छिद्रित नलकूपों का विवरण निम्नवत् है:–

जनपद का नाम	छिद्रण 83-84	84-85	85-86 (12/85 तक)	योग
जौनपुर	0	13	8	21
आजमगढ़	6	7	4	17
प्रतापगढ़	6	5	0	11

उपरोक्त छिद्रण जिला प्लान के अनुसार है । इसमें से जनपद जौनपुर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ में क्रमश: 6, 13, 9 नलकूपों का ऊर्जीकरण हो चुका है तथा शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

श्री डी0एन0 सिंह, जिलेदार कप्तानगंज, देवरिया के विरुद्ध शिकायतीपत्र पर जांच एवं स्थानान्तरण

103–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलेदार कप्तानगंज (देवरिया) श्री डी0 एन0 सिंह के अधीन नेवुइया जगदीशपुर, बारी गांव, परतावल आदि दर्जनों गांवों के लोगों ने फर्जी पड़ताल की शिकायत पिछले चन्द माह में कर के जांच की मांग की है? यदि हां, तो क्या जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कप्तानगंज (देवरिया) के श्री डी0एन0 सिंह जिलेदार के अधीन ग्राम बारी गांव के एक काश्तकार का शिकायती-पत्र दिनांक 16-10-85 तथा ग्राम नेवुइया के चार काश्तकारों के शिकायती-पत्र दिनांक 1-2-86, 5-2-86, 13-3-86 एवं 24-3-86 प्राप्त हुए थे । उक्त शिकायती-पत्रों में उल्लिखित तथ्यों की जांच सहायक अभियन्ता द्वारा करायी गयी तथा आगामी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की गयी ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

104–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या यह सही है कि सभी आरोपों के आधार पर दो वर्ष पूर्व सिंह का स्थानान्तरण इसी स्थान से किया गया था लेकिन वे नहीं गए एवं एक वर्ष कार्यालय से संबंद्ध रहने के बाद पुन: इन्हें पूर्व स्थान पर ही तैनात कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा रही है।

105–106–श्री काशी सिंह ऐरी–

[9वें बुधवार के लिए स्थगित]

मेरठ मण्डल में समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत धान का क्रय

107–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मेरठ मण्डल में धान की कितनी मात्रा शासन की समर्थन मूल्य योजना में क्रय किया गया है, क्या यह गत वर्षों से कम है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि समर्थन मूल्य पर क्रय न किये जाने से किसानों को कम दर पर धान बाजार में बेचने से व्यापारी लाभान्वित हुये ? यदि हां, तो क्या शासन किसानों को कोई मुआवजा देने को सोच रहा है तथा दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा?

श्री हुकुम सिंह–

मेरठ मण्डल में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत इस वर्ष क्रय एजेंसियों द्वारा 5,411 मी0 टन धान क्रय किया गया है जो गत वर्षों की खरीद से कम नहीं है।

जी नहीं, मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्धारित क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप जो धान बिक्री के लिये लाया गया उसे एजेंसियों द्वारा समर्थन मूल्य पर ही खरीदा गया है। निर्धारित गुण-निर्दिष्टियों के अनुरूप किसानों का धान एजेंसियों द्वारा न खरीदने की कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुयी है।

उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय रेलवे स्टेशनों पर उतारा गया नमक

108–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि देवरिया जिले के पडरौना तम्कुही रोड तथा बस्ती जिले के नौगढ़, शोहरतगढ़ एवं बढ़नी रेलवे स्टेशनों पर 1 जनवरी, 85 से लेकर 31 दिसम्बर, 85 तक प्रत्येक पर कितना नमक उतरा है तथा इसी अवधि में बस्ती जिले के बभनान और फैजाबाद जिले के अकबरपुर रेलवे स्टेशनों पर कितना नमक उतरा है ?

श्री हुकुम सिंह–

संबंधित जिलाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार इंगित स्थानों पर 1 जनवरी, 85 से 31 दिसम्बर, 85 तक नमक प्राप्त होने की सूचना निम्नवत है :–

देवरिया–पडरौना--शून्य

तमकुही रोड–शून्य

बस्ती–नौगढ़–2880 बोरी

शोहरतगढ़–3577 बोरी

बढ़नी–40402 बोरे

बभनान–शून्य

फैजाबाद (अकबरपुर) 2784 बोरे बढ़नी (बस्ती जनपद) रेलवे स्टेशन पर उतरे 40402 बोरे में से 37439 बोरे नेपाल देश के लिये उतरे है।

प्रधान प्रबन्धक, बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर, नैनीताल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

109–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि0 बाजपुर (नैनीताल) के प्रधान प्रबन्धक द्वारा गन्ना पेराई सत्र 1982-83 तथा 1983-84 में उत्तर प्रदेश गजट नोटि-

फिकेशन संख्या 5457/(एच0 आई0) 36-3-(2) एच0 आई0/66 दिनांक 3 फरवरी, 1972 में प्रकाशित राजाज्ञा की अवहेलना करते हुए प्रेसमड हटाने तथा हार्ड कोक (कोयला) तुड़वाने का काम ठेकेदारी प्रथा से करवाया गया ? यदि हां, तो श्रम विभाग के अधिकारियों ने उपरोक्त राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाले प्रधान प्रबंधक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही ।

आंख का अस्पताल, सीतापुर के श्रमिकों द्वारा दिये गये मांग-पत्र पर कार्यवाही

110–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या मुख्य मंत्री (श्रम मंत्री) बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिक नियमों की अवहेलना के संबंध में प्रश्नकर्ता के उपरि-पत्र के साथ आंख का अस्पताल सीतापुर के श्रमिकों का कोई मांग-पत्र दि0 15-10-85 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत पत्र की फोटोस्टेट प्रति माननीय सदस्य ने 6 मार्च, 1986 को शासन को उपलब्ध करायी है जिसमें कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देने तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किये जाने का उल्लेख किया गया है । सीतापुर आंख अस्पताल का न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निरीक्षण किया जा चुका है जिसमें 130 कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन देते हुये पाया गया है। न्यूनतम वेतन का अन्तर श्रमिकों को दिलाने हेतु निर्देशवाद, श्रम निरीक्षक, सीतापुर द्वारा दायर कर दिया गया है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित कराये जाने के संबंध में कर्मचारी द्वारा अभी कोई विवाद संराधन तंत्र के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

जिलेदार, कप्तानगंज, देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

111–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम प्रधान विशुनपुर गवडुआ विकास क्षेत्र धुधली, जनपद गोरखपुर के श्री चन्द्रभान तथा अन्य लोगों ने विगत माह विभाग द्वारा फर्जी परताल कराने के सम्बन्ध में उनका ध्यान आकर्षित किया है ? क्या यह सही है कि जिलेदार कप्तानगंज (देवरिया) द्वारा न केवल खाली खेत और पोखरी बल्कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का भी पड़ताल करा दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभाग कौन सी कार्यवाही करने जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री चन्द्र भान ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामवासी ग्राम विशुनपुर गवडुआ, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर से सींच की फर्जी परताल के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र की जांच पर परताल में जिन्स को गलत दर्ज करने तथा चक रोड दर्ज किये जाने की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग की पक्की रोड को दर्ज करने, अधिक रकबा दर्ज करने और गलत नाम लिखने की पुष्टि हुई । जांच रिपोर्ट के आधार पर पाई गयी त्रुटियों को सही करने हेतु आमूल परिवर्तन करने के आदेश पारित कर दिये

गये हैं । दोषी कर्मचारी सींचपाल एवं सांच पर्यवेक्षक को एक-एक वार्षिक वेतन वृद्ध एक साल के लिये रोकने तथा इसका उल्लेख उनकी सर्विस बुक एवं 1392 एफ0 की कारगुजारी में करने के आदेश दे दिये गये हैं । जिलेदार दोषी नहीं पाये गये ।

समयबद्ध वेतनमान दिये जाने की मांग

112–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि समयबद्ध वेतनमान दिए जाने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 18-12-85 को अथवा उसके आसपास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस संदर्भित विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

कथित पत्र में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 20-8-83 के कार्यान्वयन से संबंधित कतिपय बिन्दुओं के बारे में स्थिति स्पष्ट कराये जाने के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 28-1-86 को समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) को निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ समस्त खंडों में लिपिकों के पदों का विभाजन खण्डवार कर दें, जिस पर आवश्यक छान-बीन करके कार्यवाही की जा रही है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र, जनपद बलिया के अन्तर्गत श्रम संविदा समिति को आवंटित सस्ते गल्ले की दुकानें तथा शिकायतों की जांच

113–श्री मैनेजर सिंह तथा

श्री शिक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र जनपद बलिया के अन्तर्गत श्रम संविदा समिति को कितनी, कौन-कौन सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की गयी और जनवरी, 1985 से वितरण में धांधली की कब-कब कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह–

जनपद बलिया के द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र में श्रम संविदा सहकारी समिति जगदेवा को निम्नलिखित केन्द्रों पर आठ सस्ते गल्ले की दुकानें आवंटित की गयी थी :–

1–मुरारपट्टी
2–दोक्टी
3–सोनवरसा
4–सुकरौली
(कोडहरा उपरवार)
5–चेता छपरा
6–सुकुल छपरा
7–जगदेवा ढाही
8–बैरिया ढाही

श्रम संविदा सहकारी समिति बैरिया ढाही दिनांक 19-8-83 को चोर-बाजारी के आरोप में निरस्त की गयी थी । शेष सात समितियों के विरुद्ध वर्ष 1985 के अगस्त/सितम्बर में शिकायतें प्राप्त होने पर इनकी जांच परगनाधिकारी बलिया को दिया गया उनके द्वारा दोक्टी एवं सोनवरसा केन्द्रों के वितरण सम्बन्धी अभिलेख मांगे जाने पर समिति के सचिव ने प्रस्तुत नहीं किया। फलस्वरूप इन दोनों केन्द्रों की आपूर्ति अक्टूबर, 1985 से रोक दी गयी है। शेष पांच केन्द्र माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन-आदेश के आधार पर पूर्ववत् कार्यरत हैं ।

गण्डक नहर निर्माण मण्डल-3, गोरखपुर में सिंच पर्यवेक्षक के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा

114–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गण्डक नहर निर्माण मण्डल-3 गोरखपुर के सिंचाई खण्ड प्रथम, देवरिया में 42 सिंच पर्यवेक्षकों में सिर्फ 3 सिंच पर्यवेक्षक ही अनुसूचित जाति के नियुक्त किये गये हैं जबकि शासनादेश के अनुसार 7 होना चाहिए ? यदि हां, तो क्या बाकी 4 जगहों पर अनुसूचित जाति के कर्मचारी रखे जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम-301 के अन्तर्गत मुझे 77 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से 12 सूचनाएं स्वीकार हुई हैं ।

इनके नाम हैं–माननीय श्री मुहम्मद आजम खां; श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री मैनेजर सिंह, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री फजलुल बारी, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री सरदार सिंह, श्री राज किशोर सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी और श्रीमती सरोज वर्मा ।

एक सदस्य–

मान्यवर, ये पढ़ी हुई मान ली जायं ।

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन की अनुज्ञा हो तो सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जायं ।

(सदन की सम्मति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री राम शरण लाल, सेवा निवृत्त अमीन के अवशेष देयों के भुगतान न होने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुहम्मद आजम खां–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण तथ्य लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री राम शरण लाल, जो विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (प्रथम) उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ कलेक्ट्रेट में अमीन के पद पर कार्यरत थे दिनांक 31-1-84 को सेवा निवृत्त हुये थे पर अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ता है कि इनकी ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य बकाया देयों का आज तक भुगतान नहीं किया गया है जिससे यह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । इन्होंने सम्बन्धित कार्यालय में अनेकों प्रार्थना-पत्र दिये लेकिन अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी और आज तक यह मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन कोई सुनवायी नहीं हो रही है । इनकी पुत्री का विवाह भी आर्थिक तंगी के कारण नहीं हो पा रहा है । विवश होकर यह विधान भवन के सामने धरना देने वाले हैं अस्तु आपके संज्ञान में यह महत्वपूर्ण तथ्य लाकर प्रभावी कार्यवाही करने तथा इनके बकाया देयों का भुगतान कराने की मांग करता हूं।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा की नगर बस सेवा में सुधार की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश विकल–

[मान्यवर, आगरा महानगर में वहां की आवश्यकतानुसार नई बसों की कमी तथा पुरानी बसों में से अधिकांश के खराब पड़े रहने से नगर बस सेवा अत्यन्त अस्त-व्यस्त, अव्यवस्थित तथा अनियमित हो गई है जिससे नागरिकों द्वारा स्कूली छात्रों को आवागमन के गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। आगरा के चतुर्दिक विस्तार होते चले जाने से ऐसी कई नई आवासीय कालोनियां है जहां बस सेवा की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रांसयमुना कमला नगर, अर्जुन नगर तथा लायर्स कालोनी आदि कई ऐसी कालोनियां है जहां या तो बस सेवा ही रद्द कर दी गयी है अथवा उसके कई ट्रट बंद कर दिये गये है।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं परिवहन मंत्री से मांग करता हूं कि वे आगरा नगर में बस सेवा को सुधारे जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें तथा आवश्यक हो तो निजी बसों को अनुबंधित करके इस कमी को दूर करने पर विचार करें।]

गाजियाबाद में मुर्दा मवेशियों के ठेके के सम्बन्ध में विवाद एवं तनावपूर्ण स्थिति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रिछपाल सिंह बंसल–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान लोनी 17 मार्च, 1986 जिला विकास अधिकारी एस0 एन0 शर्मा की अध्यक्षता में ग्राम पंचायतों के मुर्दा मवेशियों के ठेके नीलामी की बैठक में हो हुल्लड़ में बिना कोई कार्यवाही हुए स्थगित हो गयी। जिलाधिकारी द्वारा 18 फरवरी, को जारी प्रपत्र के अनुसार जब इस बैठक का आयोजन क्षेत्र विकास कार्यालय द्वारा स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर में किया गया। ग्राम प्रधानों के प्रवक्ता महराज सिंह जावली तथा धर्मपाल सिंह भूपखेड़ी ने बतलाया कि पंचायत एक्ट की धारा 145-क के अनुसार जिन्दा पशु का मालिक ही मुर्दा पशु का मालिक है। अतः मृत पशुओं की हड्डियां एवं खाल आदि का स्वामी पशुपालक स्वयं है। सफाई आदि की व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से गांव में रहने वाले चर्मकार आदि ग्राम समाजों से अधिकृत होने पर मृत पशुओं की खाल तथा हड्डियां उठाने आदि का कार्य परम्परागत रूप से करते रहे है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद् द्वारा यह ठेका न केवल न्याय विरुद्ध है अपितु ग्राम सभाओं के स्वतंत्र कार्यों में नौकरशाही द्वारा हस्तक्षेप करना है। लोनी क्षेत्र के सभी प्रधानों द्वारा इस बैठक का पूर्ण बहिष्कार कर इनका विरोध किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर जिला विकास अधिकारी ने कहा कि ग्राम प्रधानों ने न केवल हठधर्मी का प्रदर्शन किया बल्कि ठेकेदारों को जबरन रोक रखा है। यदि ग्राम प्रधानों का यही रवैया रहा तो मजबूर होकर जिला परिषद् कार्यालय में 28 मार्च 1986 को उक्त ठेके नीलाम कर दिये जायेंगे और 28 मार्च में ठेका छोड़ दिया गया है। साथ ही ग्राम प्रधानों ने यह प्रण किया कि यदि निर्वाचित सभाओं के अनुमति के बिना ठेके आदि नीलाम किये गये तो ठेकेदारों को गांव में घुसने नहीं दिया जायेगा।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः उपरोक्त गम्भीर मामले को सरकार व सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

प्रदेश में हरिजन प्राथमिक विद्यालयों के अनावर्तक अनुदान को बन्द करने से अध्यापकों में भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मैनेजर सिंह–

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से लोक महत्व के निम्नलिखित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। उ0 प्र0 में लगभग 900 हरिजन प्राथमिक विद्यालय वर्षों से अनावर्तक अनुदान के सहारे चल रहे हैं। इस विद्यालय में कार्यरत अध्यापक और अध्यापिकाएं मूलतः हरिजन एवं निर्बल वर्ग से ही आते हैं और इन विद्यालयों में गरीब उपेक्षित पिछड़े क्षेत्र के साधनहीन परिवार के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह और भी चिन्तनीय प्रश्न है कि इन विद्यालयों को वर्षों से प्राप्त हो रहे अनावर्तक अनुदान भी पिछले 2 वर्षों से बन्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अध्यापकों के सम्मुख भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

इन विद्यालयों में 554 विद्यालयों को आवर्तक अनुदान हेतु प्रस्तावित हैं। किन्तु खेद है कि विभाग कोई निर्णय करने में असमर्थ हो रहा है।

दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को अनिवार्य छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत होते हुए भी इन विद्यालयों का आवर्तक अनुदान देने के लिये धन उपलब्ध नहीं कराया गया । शासन के इस रवैये से 20 सूत्रीय कार्यक्रम का उपहास हो रहा है। सत्ता पक्ष के चुनाव घोषणा पत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं में अव्यवस्था उत्पन्न होने तथा अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व में अति अविलम्बनीय विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बदायूं के राजकीय पालीटेक्निक में प्राध्यापकों की अत्यधिक कमी के कारण वहां अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है । छात्रों के बार-बार अनुरोध करने पर प्रधानाचार्य द्वारा उन्हें अभी किताबों की भी सही जानकारी नहीं दी गयी है तथा न ही लाइब्रेरी में उन्हें आवश्यक पुस्तकें उपलब्ध कराई गयी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राध्यापकों की कमी के कारण यूनिट आपरेशन द्वितीय के छात्रों को केवल मैकेनिकल इन्जीनियरिंग के अतिरिक्त अन्य विषयों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ाया गया है। रबड़ एवं प्लास्टिक प्रोसेसिंग का प्रयोगात्मक कार्य भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। यही हाल यूनिट आपरेशन प्रथम का भी है।

राजकीय पालीटेक्निक, बदायूं के छात्रों की दयनीय स्थिति को देखते हुए मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वहां शीघ्र प्राध्यापकों को नियुक्त किया जाये, छात्रों को आवश्यक

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पुस्तकें उपलब्ध करायी जायें तथा 15 अप्रैल, से द्वितीय वर्ष की प्रारम्भ होने वाली परीक्षायें कोर्स पूरा होने तक स्थगित कराई जायें ।]

ग्राम सभा परवल पूरब, थाना मोहनलाल-गंज में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा होने तथा पुलिस की बर्बरता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फजलुल बारी–

[मान्यवर, मैं लोक महत्व के चिन्तनीय विषय पर सदन के द्वारा सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं थाना मोहनलालगंज के ग्राम सभा परवल पूरब में इस समय 1100 बीघा जमीन है । ग्राम प्रधान द्वारा इस ग्राम के भूमिहीनों को बांटने का प्रस्ताव था । उक्त भूमि पर सवर्ण भट्ठा मालिकों का कब्जा है जिन्होंने सवर्ण उप प्रधान एवं स्थानीय प्रशासन तंत्र को अवैध धन देकर भूमि आवंटन रोक रखा है ।

भूमिहीन दलितों ने सरकारी अधिकारियों को भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जिसे दबा दिया गया, इस पर भूमिहीनों ने दिनांक 28-3-86 को गांव में दलितों की सभा आयोजित की। सभा स्थल पर मोहनलालगंज की पुलिस तथा गांव के किनारे एक टक पी0 ए0 सी0 तैनात थी। सभा के बीच में उप प्रधान 20–30 सवर्णों के साथ आया और लाठियों से हमला बोल दिया । सभा स्थल पर मौजूद सवर्ण दरोगा दलितों को बचाने के बजाय "मारो चमारों सालों को" कहकर पुलिस दल के साथ टूट पड़ा। सभा स्थल पर उक्त दरोगा ने जानबूझकर हरिजन तथा पिछड़ी जाति के पुलिस वालों को नहीं लगाया।

मार खाये घायल दलित दादरसी के लिये जब मुख्य मंत्री के बंगले पर गये तो मुख्य मंत्री उनसे मिले बगैर हैलीकाप्टर से उड़ गये ।

अत: मेरा अनुरोध है कि उक्त मामले की किसी अनुसूचित या अल्पसंख्यक अधिकारी से तुरन्त जांच कराकर दोषियों को सख्त सजा दी जाये।]

तहसील नरैनी, बांदा में बागे नदी पर निर्माणाधीन बरछा बांध के दुष्परिणाम के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[मान्यवर, बांदा जनपद की नरैनी तहसील में बागे नदी में बरछा बांध बंधवाया जा रहा है। इस बांध के बंधने से 27 गांव उजड़ रहे हैं। साथ ही बांध के ठीक नीचे तहसील मुख्यालय, ब्लाक मुख्यालय, बैंक तथा लगभग 30–40 हजार की आबादी वाला नरैनी कस्बा कभी भी बांध की चपेट में आ सकता है इस बांध के बंधने से हानि ज्यादा है। इस बांध के बंधने के विरोध में कई बार जनता द्वारा जुलूस प्रदर्शन एवं हड़तालें हो चुकी हैं जनता में भी भीषण आक्रोश, असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है, 27 गांव के लोगों में बुरी तरह उजड़ने एवं भविष्य का भय व्याप्त है स्थिति विस्फोटक हो रही है गांवों के सैकड़ों लोग बंध रहे बांध के पास भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं मांग करता हूं कि तुरन्त बरछा बांध के सर्वे एवं निर्माण को रोका जाये तथा सिंचाई व्यवस्था के लिये अधूरे निर्मित मसौनी पम्प कैनाल का निर्माण पूरा किया जाय, नदी में नेदुआ, बड़ैछा तथा रेहुची बदौसा करारी के पास से लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का सर्वे करके निर्माण कराया जाय एवं फतेहगंज क्षेत्र तथा लूक धोरही क्षेत्र एवं खनपुर कोलावल स्योढ़ा आदि में राजकीय नलकूप लगवाये जायें।]

जनपद मथुरा की तहसील सादाबाद, मांट एवं छाता के मुख्यालयों पर निर्मित एस0 डी0 ओ0 काम्पलेक्स में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के न रहने से जनता को कष्ट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह–

[मान्यवर, जनपद मथुरा तहसील सादाबाद, मांट एवं छाता के मुख्यालयों पर लाखों रुपये की लागत से प्रदेश सरकार ने एस0 डी0 ओ0 काम्पलेक्स आज से करीब तीन वर्ष पूर्व बनाकर तैयार कर दिये हैं। परन्तु सरकार का ध्यान बार-बार आकर्षित करने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी, मजिस्ट्रेट एवं अन्य अधिकारी गण तहसील मुख्यालयों पर नहीं जा रहे हैं, यह अधिकारी सरकारी वाहनों से जिला मुख्यालय से प्रतिदिन तहसील मुख्यालयों पर विलम्ब से जाते हैं और निर्धारित समय से पूर्व ही अपने घरों को वापस आ जाते हैं। इस प्रकार सरकारी खजाने के पैसे का अपव्यय प्रतिदिन हो रहा है। तहसील मुख्यालयों पर न रहने के कारण आम जनता को भारी परेशानी हो रही है और उनकी समस्याओं का समाधान भी नहीं हो पाता है। पुलिस के प्रभारी निरीक्षक को तहसील मुख्यालय मांट पर रहना चाहिये लेकिन वह मांट से करीब 25 कि0मी0 दूर सुरी में रहते हैं और थाने को मुख्यालय पर नहीं आने दे रहे हैं। इससे जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। इमारतें क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं।

आपके माध्यम से शासन एवं सम्मानित सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाते हुए अविलम्ब उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

वाराणसी में गंगा के अस्सी घाट के निर्माण में धांधली व धन का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राज किशोर सिंह–

[मान्यवर, वाराणसी नगर में गंगा नदी के तट पर अस्सी घाट का निर्माण लाखों रुपये के परिव्यय से मई, 1985 तक पूरा होना था किन्तु 2700 बोरी सीमेंट की चोरी, इंजीनियरों व ठेकेदारों द्वारा बिल्डिंग सामान का भारी गोलमाल करने और रद्दी सामान प्रयुक्त होने से घाट का प्लेटफार्म बह जाने के कारण भारी धनराशि का नुकसान हो जाने से घाट का निर्माण कार्य ठप्प हो गया है। आंशिक रूप से बने हुए घाट का भी निकट भविष्य में बह जाने का खतरा है। स्थिति के बारे में संबंधित अधिकारियों व माननीय मुख्य मंत्री को अवगत कराया गया किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला। घाट के निर्माण के प्रति शासन की उपेक्षा से नागरिकों में क्षोभ व्याप्त है।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से प्रभावी कार्यवाही और अस्सी घाट का निर्माण शीघ्र सम्पन्न कराने की मांग करता हूं ।]

मुजफ्फर नगर की तहसील बुढ़ाना एवं मुजफ्फर नगर के कतिपय गांवों में भीषण ओलावृष्टि से क्षति तथा उसकी क्षतिपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री हरेन्द्र सिंह मलिक–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन व सरकार का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दिनांक 29/30 की रात्रि में भीषण ओलावृष्टि से तहसील सदर के ग्राम कादीखेड़ा, मान्डी, ताबली आदि एवं तहसील बुढ़ाना के ग्राम बुल-हरा, कांकड़ा, रसूलपुर, कमालपुर, भिण्डावली, सोरों सेरडब्बा आदि की फसल व आम की फसल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और किसानों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। कृपया सारी सरकारी देयों की वसूली स्थगित करके वहां के गरीब किसानों को राहत देने के लिए तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाये ।]

जनपद इलाहाबाद के जूनियर बेसिक स्कूलों में की गयी उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के अन्तर्गत नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के जूनियर बेसिक स्कूलों में शासनादेश के विरुद्ध की गई 94 उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जनपद इलाहाबाद के बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय में धन के प्रभाव एवं भ्रष्ट तरीके से 94 उर्दू शिक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं । उनमें 29 नगर एवं शेष 65 ग्रामीण क्षेत्र स्कूलों में की गई थीं । परन्तु 28 नवम्बर और 20 दिसम्बर, 1985 के संशोधित आदेश द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के पांच शिक्षकों को नगर क्षेत्र में कर दिया गया है । जबकि नगर क्षेत्र के निर्धारित मानक से 21 अध्यापक 36 अध्यापिकायें अतिरिक्त कार्यरत थे । ग्रामीण क्षेत्र में भी यह पद सृजित नहीं है और न ही निकाय अधिकारियों की ओर से उपरोक्त नियुक्तियों की मांग का कोई प्रस्ताव है । यही नहीं यह नियुक्तियां बिना चयन समिति के अनुमोदन के केवल बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भ्रष्ट तरीके से की गई हैं । जहां उर्दू पढ़ने वाला एक भी छात्र नहीं है उन विद्यालयों में नियुक्तियां की गई हैं ।

परिणामतः नगर के 14 बालक 10 बालिका विद्यालयों में दो-दो, एक बालिका विद्यालय में तीन उर्दू शिक्षक कार्यरत हैं। इस धांधली में सीनियर उर्दू शिक्षक एवं 1984 के प्रशिक्षित बी0 टी0 सी0 को छोड़ दिया गया है। जिससे जनपद में गहरा असन्तोष व्याप्त है ।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि तुरन्त प्रभावी आदेश देकर उपरोक्त नियुक्तियों को रद्द कराकर

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन विरोधी भ्रष्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी को दंडित किया जाये ।]

ग्राम डीहबलई, तहसील कुण्डा, प्रतापगढ़ में हो रही चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती सरोज वर्मा–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। प्रतापगढ़ की कुण्डा तहसील के गांव डीहबलई में चकबन्दी चल रही है । गांव सभा की भूमि सं0 301, 393, 436, 576, 587, 609, 610, 804, 843, 960, 863, 867, 879, 873, 881, 883, 885, 886, 893, 1200, 1260 लगाय 1268 जिसका रकबा लगभग सैकड़ों एकड़ है और जो ऊसर बंजर खाते की भूमि है, उसे गांव का ही एक परिवार धोखे-धड़ी से हड़पना चाहता है । यह परिवार बहुत पैसे वाला और बाअसर है । चकबन्दी अधिकारी इनका दूर का रिश्तेदार है । इस परिवार ने इस अधिकारी के माध्यम से अपनी मां, बहन एवं भाइयों के नाम फर्जी कब्जा कराकर समस्त जमीन अपने खाते में दर्ज करवा ली है । यह जमीन भूमिहीन हरिजनों को पट्टे पर दी गई थी उस पर पड़तालों कब्जा दिखाकर इस परिवार ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है।

इस संबंध में गांव वालों ने एक हस्ताक्षर युक्त प्रार्थना-पत्र 20-2-86 को बा0अ0च0, डी0 डी0 सी0 एवं डी0 एम0 को दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई । अतः 18-3-86 को फिर दुबारा एक दरखास्त दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः चकबन्दी प्रक्रिया रोककर कार्यवाही न की गई तो गांव में अशान्ति उत्पन्न हो जायेगी तथा गांव सभा की सैकड़ों एकड़ जमीन चली जायेगी।

अतः इस गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर आवश्यक कार्यवाही कराने की मांग करती हूं ।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं–माननीय श्री अवधेश प्रसाद, श्री सत्यपाल सिंह व श्री अशोक बाजपेयी, श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी । सूचना संख्या–1, 2 और 3 नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं लिहाजा अस्वीकार किया । जहां तक श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की सूचना है, यदि आज के बाद सदन बैठा तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

नियम 301 की सभी सूचनाओं को स्वीकार किये जाने का अनुरोध

श्री रेवती रमण सिंह–

आज नियम 301 में जितनी सूचनायें थीं, कृपापूर्वक सबको स्वीकार कर लेते तो बड़ा उपकार होता। यह परम्परा भी रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो हो गया, आप बैठें।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री हरि मोहन सिंह सदस्य विधान परिषद् से बन्दूक के लाइसेंस हेतु जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा दरोगा तथा मैजिस्ट्रेट के चरित्र प्रमाण-पत्र मांगे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राम सरन–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

क्या सरकार के ऐसे आदेश चले गये हैं, जिलाधिकारियों को और एस0 एस0 पी0 को कि जितने भी विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के उनके चरित्र प्रमाण-पत्र हासिल किये जायं ? जो हथियारों के लाइसेंस के नवीनीकरण की दरखास्त दे रहे हैं, उसके संबंध में मैजिस्ट्रेट का चरित्र प्रमाण-पत्र देना पड़ेगा, ऐसे आदेश चले गए हैं । उत्तर प्रदेश के विधायक श्री हरिमोहन सिंह 14 साल से विधायक हैं । अभी 4 साल बाकी हैं। उनसे कहा गया है कि दरोगा का सर्टीफिकेट लाओ और मैजिस्ट्रेट का चरित्र प्रमाण-पत्र पेश कीजिए। श्री हरिमोहन सिंह जैसे विधायक, जो कि पुराने हैं, उनसे ऐसा कहा जायेगा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सरकार के ऐसे आदेश हैं? अगर हैं तो संसदीय कार्य राज्य मन्त्री बतायें? अगर नहीं है तो आदेश दें कि जो अधिकारी इस तरह के चरित्र प्रमाण-पत्र विधायकों से मागेंगे, आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। निवेदन करूंगा कि इसका जवाब तुरन्त दिलवायें । बड़ी बेइज्जती है, दरोगाओं मैजिस्ट्रेटों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है । चरित्र प्रमाण-पत्र तो हमको ही उन्हें देना चाहिये।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय राम सरन जी ने जो सूचना दी है, जो तथ्य दिये हैं, इसका परीक्षण करा लूंगा और जो आवश्यक कार्यवाही होगी, की जायेगी।

छाता, जिला मथुरा के क्षेत्राधिकारी एवं थाने की पुलिस द्वारा अत्याचार के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 7-3-86 को क्षेत्राधिकारी छाता, थाना छाता की चेकिंग व निरीक्षण हेतु थाना छाता पर लगभग 6 बजे सायंकाल पहुंचे । थाना छाता की गाड़ी खराब होने के कारण प्रभारी निरीक्षक, थाना छाता, के अनुरोध पर क्षेत्राधिकारी ने अपनी गाड़ी थाना क्षेत्र में स्थित दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय मार्ग के रोड गश्त व पिकेट की चेकिंग के लिये सब इन्सपेक्टर श्री राम आतार जयन्त को अपने कांस्टेबिल ड्राइवर व एक आरक्षी के साथ दे दी । सब इन्सपेक्टर श्री जयन्त मय फोर्स व गाड़ी के रोड गश्त चेकिंग व पिकेट चेकिंग के लिए जैसे ही मुख्य बाजार से बाहर छाता तिराहे पर पहुंचे तो बीच सड़क पर झब्बो उर्फ राजपाल व शेर सिंह पुत्रगण सूरजपाल, बच्चू पुत्र शिवनारायन, सुल्लहड़ उर्फ रमेश पुत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना माना गया।

भुल्ला, तथा कुल्लहड़ उर्फ रनवीर पुत्र रक्षपाल आपस में खींचा-तानी व हाथा-पाई कर रहे थे । सब इन्स्पेक्टर ने गाड़ी रोककर और उतर कर इन लोगों को टोका तो सभी ने एक राय होकर इन पर हमला कर दिया। कांस्टेबिल ड्राइवर एवं आरक्षी, जो साथ में थे, ने बचाना चाहा लेकिन उपरोक्त सभी पांचों व्यक्तियों ने मिलकर डंडे और चाकू से इनको तथा सब इन्सपेक्टर को चोटें पहुंचाई। सब इन्सपेक्टर श्री जयन्त को झब्बो ने जान से मारने की नीयत से गरदन पर चाकू से प्राणघातक हमला किया और अभियुक्तगण मारपीट कर चैलेंज करते हुए बस स्टैण्ड की ओर भाग गये ।

इस घटना के आधार पर थाना छाता पर सब इन्सपेक्टर श्री राम औतार जयन्त की मौखिक सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 33, धारा 147, 148, 149 307, 332, 353 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 7-3-86 को पंजीकृत किया गया । घायल पुलिस कर्मचारियों का डाक्टरी परीक्षण कराया गया । इस अभियोग की विवेचना के दौरान सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 10-3-86 को धारा 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई । अभियुक्त कुल्लहड़ को दिनांक 10-3-86 को कस्बा गोबरधन में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा उसके विरुद्ध दिनांक 11-3-86 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया । शेष चार अभियुक्तों के विरुद्ध भी पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मफरूरी में आरोप पत्र दिनांक 11-3-86 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

जांच से किसी महिला के साथ दुर्व्यहार अथवा किसी वृद्ध के साथ अभद्र व्यवहार किया जाना नहीं पाया गया और न ही फसल को किसी प्रकार से हानि पहुंचाई गई । पुलिस द्वारा हरिजन बहोरी, गयासी, कट्टू आदि के घरों को जला दिये जाने और ग्राम साखी, रहेड़ा, बुखरारी, रान्हेरा आदि में जाकर पुलिस द्वारा लोगों को आतंकित करने और उनके घरों को लूटने आदि के आरोप भी प्राप्त सूचना के अनुसार निराधार हैं । सभी नामजद अभियुक्तों की कस्बा छाता में स्थित उनके निवास स्थानों से चल सम्पत्ति की ही कुर्की की गई है । यह आरोप भी निराधार पाये गये कि लोग डर के कारण गांव छोड़कर भाग गये हैं तथा उनको तंग करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा जनप्रतिनिधियों के आवासों पर पुलिस लगा दी गई है। छाता तहसील में भय व आतंक का वातावरण व्याप्त नहीं है बल्कि स्थिति शान्त है । क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध शराब पीकर मारपीट करने के आरोप भी निराधार हैं ।]

श्री सरदार सिंह–

जिस समय आपकी पुलिस गयी थी तो उस समय उनके साथ कितने सिपाही थे और उन पर क्या-क्या असलहे थे और जो लोग उनसे लड़ रहे थे उन पर कौन-कौन से असलहे थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

एक सब इन्स्पेक्टर, राम औतार जयन्त, एक कांस्टेबिल, ड्राइवर और एक आरक्षी साथ में थे ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप वक्तव्य को देखें जो कि सत्य से परे है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, वैसे कल इस पर मुख्य मंत्री जी ने सी0 आई0 डी0 की जांच बैठा दी है

लेकिन फिर भी मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वहां पर लोगों के सामान आदि की कुर्की हो गयी तो क्या घटनास्थल पर एस0 एस 0पी0, मथुरा गये थे ? यदि हां, तो कब गये थे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

जो रिपोर्ट है उसी के बारे में यह वक्तव्य है ।

*श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी

मैं मंत्री जी के वक्तव्य के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने कहा है कि पुलिस जनों पर प्राण घातक हमला किया गया और आगे उल्लेख किया गया है कि उनका डाक्टरी परीक्षण भी कराया गया । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डाक्टरी परीक्षण की रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो तो उसे पढ़ने की कृपा करें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

किस व्यक्ति की रिपोर्ट आप चाहते हैं ?

श्री हरिशचन्द्र, हरीश जी–

जिस व्यक्ति पर प्राणघातक हमला हुआ है और उसका जो डाक्टरी परीक्षण कराया गया है जिसे आपने अपने वक्तव्य में कहा है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

1/2×1/10 का गहरा घाव से0मी0 1/2 से0मी0 मसल्स के अन्दर की गहराई। एवरेजन 4 से0मी0 1/40 से0 मी0 दाहिने हाथ पर 4 से0 मी0 की खरोंच । $3\frac{1}{2}$ से0मी0 और 1/6 से0 मी0 दाहिने हाथ पर एवरेजन । यह चोटें राम औतार जयन्त सब इंस्पेक्टर के आयी थीं। दूसरे ओमबीर सिंह हैं, जो ड्राइवर हैं, इनकी पहली चोट है अब्रेजन $3\frac{1}{2}$×1/6 इंच कोहिनी के आगे हिस्से पर, दूसरी चोट है अब्रेजन 9 इंच×1/8 इंच दाहिनी ओर की पीठ पर और उसके सारे शरीर पर दर्द है और सूजन के निशान हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों को चोटें आयी हैं, उनमें से एक के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और भूतपूर्व मजिस्ट्रेट भी थे, उनके यहां पर पुलिस ने कुर्की की, तो क्या जब कुर्की की गयी तो क्या उसके साथ महिला पुलिस भी थी, या नहीं थी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

महिला पुलिस नहीं थी। कुर्की केवल अभियुक्तों के घर में की गयी और यह कहना कि अन्य लोगों को आतंकित किया जा रहा है, सत्य से परे है। मुलजिमान के यहां पर कुर्की हुई है और अच्छी तरह से हुई है।

श्री बाबूराम यादव–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी पुलिस के पास कौन-कौन से हथियार थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

यहां से नेशनल हाई वे गुजरती है। गश्त करने वाली पुलिस थी और जो पिकिटिंग करती है वह थी । उनके पास हथियार नहीं थे।

प्रधान प्रभूदयाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब पुलिस चलती है, तो क्या गुलाब के फूल लेकर चलती है, हथियार लेकर नहीं चलती है ? क्या उनके मामा का गांव है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

थाना कासिमपुर, हरदोई की पुलिस द्वारा ग्राम कहचरी के हरिजनों पर कथित अत्याचारों के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार...

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

[दिनांक 11-3-86 को प्रातः 9-30 बजे ग्राम प्रधान श्री शहजादे ने थाना कासिमपुर में लिखित रिपोर्ट दी कि ग्राम कहचारी के लोग लाठी डण्डों से तैयारी के साथ ग्राम समाज के तालाब से अनधिकृत रूप से मछलियां मार रहे हैं। अंदेशा है कि यदि वह उन लोगों को मना करने वहां जायेंगे तो वह लोग मारपीट करेंगे। प्रभारी उप निरीक्षक कुछ आरक्षियों के साथ घटनास्थल के लिये रवाना हुए किन्तु होरीलाल के घर पर पहुंचते ही पुरुषों व महिलाओं ने शोर मचाना व ईंट पत्थर मारना प्रारम्भ किया। उ0 नि0 ने स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी संडीला को स्थिति से अवगत कराते हुए अधिक पुलिस बल की प्रार्थना की। क्षेत्राधिकारी, संडीला सूचना पाते ही उपलब्ध पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे । क्षेत्राधिकारी ने स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को रेडियो संदेश द्वारा सूचित कर पी0 ए0 सी0 उपलब्ध कराने की प्रार्थना की तथा अपने क्षेत्र के थानाध्यक्षों से मय फोर्स तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचने के आदेश भेजे। इसी दौरान परगनाधिकारी व तहसीलदार, संडीला भी घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामवासी, जिनमें पुरुष व महिलायें दोनों सम्मिलित थे, छतों से प्रहार करते रहे और देशी कट्टे से फायर भी किया, जिसमें एक आरक्षी व क्षेत्राधिकारी के ड्राइवर को काफी चोटें आयीं। पी0 ए0 सी0 व अन्य थाने की फोर्स पहुंचने पर पुलिस बल का दबाव देखते हुए कुछ लोग छतों से कूद-कूद कर भागने का प्रयास करने लगे, जिनमें से कुछ को साधारण चोटें आयीं व कुछ भागने में सफल भी हुए। 34 पुरुष व 18 महिलाओं जो पुरुषों से किसी भी प्रकार हमले में पीछे नहीं थी, को गिरफ्तार करके थाने लाया गया एवं थाना कासिमपुर में अपराध संख्या 28/86 धारा 147/148/149/307/332/336/353/186 भा0 दं0 वि0 व अपराध संख्या 29 धारा 25 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत अंकित कराया गया। महिलाओं की जमानत उन्हीं के परिचितों से लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। पुरुषों को नियमानुसार हवालात में बन्द किया गया। बंदी बनाये गये पुरुषों को दिनांक 12-3-86 को प्रातः जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत किया गया व बाद में वारण्ट बनाकर जेल भेज दिया गया।

यह सही नहीं पाया गया कि बंदी बनाये गये लोगों की पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। यह सही नहीं है कि महिलाओं के साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया क्योंकि महिलाओं को रात्रि में छोड़ दिया गया था। ग्राम कहचारी के ताल के पट्टे के संबंध में तहसील में नीलामी की कार्यवाही की गयी थी और अधिकतम बोली के आधार पर श्री एतेराम पासी द्वारा एक चौथाई धनराशि जमा की गई थी । तालाब में

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

मछली मारना एक हस्तक्षेपीय अपराध होना तथा ग्राम समाज को सम्पत्ति की हानि की रिपोर्ट अंकित कराये जाने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस व पी0 ए0 सी0 के सुनियोजित ढंग से आक्रमण कर निर्मम अत्याचार करने, पुलिस के आतंक से लोगों के गांव छोड़कर भागने एवं कुछ के मरणासन्न होने की बात सही नहीं पाई गई। यह भी सही नहीं है कि घरों को लूटा गया बल्कि ग्रामवासी अपने घरों को बंद करके छतों से प्रहार कर रहे थे। ग्रामवासियों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने व आक्रमण करने पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही विवेकपूर्ण ढंग से बिना किसी क्षति के सुनिश्चित की गई है। इस घटना की मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये जा चुके हैं।]

*श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, उससे ऐसा लगता है कि दरोगा ने लिख कर दे दिया हो और उसे मंत्री जी ने पढ़ दिया हो और पुलिस वालों ने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा उससे मालूम होता है। वहां पर एस0 डी0 एम0 और अन्य अधिकारी थे और जब घटना घटी तो औरतों और पुरुषों ने पथराव किया तो मैं जानना चाहता हूं कि जब दोबारा पुलिस गयी तो क्या उनके साथ महिला पुलिस साथ में थी अथवा नहीं ? उसमें बड़े-बड़े अधिकारी हैं और उसकी जांच मैजिस्ट्रेट कर रहा है, तो क्या इस की अपराध अनुसंधान शाखा से जांच करायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा कि मैंने सम्मानित सदन को अपने वक्तव्य से जानकारी कराई है इस मामले में ग्राम समाज का तनाव था और यह कहना सत्य से परे है कि यह परम्परागत तरीके से इस तालाब में गांव के लोग मछली मारने का काम करते थे। सन् 1981 में भी इस तालाब का आक्सन हुआ। चूंकि इसकी नीलामी हो चुकी थी और यह ग्राम समाज की प्रापर्टी थी और जैसा कि आपने बताया कि हरिजन लोग नाजायज तरीके से इस तालाब में मछली मारते थे। इसे रोकने के लिए जब पुलिस के लोग वहां गये तो इस पर वहां झगड़ा हो गया। पुलिस के ऊपर कट्टे और अवैध हथियारों से फायर किया गया। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि भारी भीड़ ने, गांव के लोगों ने छतों से महिलाओं और पुरुषों ने पथराव किया, इन्जरी रिपोर्ट पुलिस की है सी0आई0डी0 से इंक्वायरी कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है उसमें कन्फ्यूजन है। मैं जानना चाहता हूं कि जब यह ग्राम समाज की जमीन थी लेकिन वक्तव्य में कहा गया है कि एतराम पासी को इसका पट्टा किया गया था और उसने एक चौथाई धनराशि भी जमा कर दी थी। मछली के तालाब का वह मालिक था न कि प्रधान था। इसकी रिपोर्ट शहजादा प्रधान करता है। तो पहली बात यह है कि जिसके नाम पट्टा था उसने रिपोर्ट नहीं की, शहजादे प्रधान ने की। इसी के ऊपर पुलिस सक्रिय हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट की

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गई वह किन-किन लोगों के विरुद्ध थी और क्या उनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, पहला प्रश्न तो यह है कि जिसको नीलामी हुई उसने रिपोर्ट न करके शहजादे प्रधान ने की। मान्यवर, गांव का जो प्रधान होता है वह वहां का रखवाला होता है, संरक्षक होता है । उसका रिपोर्ट करना परम कर्तव्य हो जाता है कि ग्राम समाज की जमीन पर कोई इस तरह से करता है तो वह रिपोर्ट करता है ।

दूसरी बात आपने यह कही कि उस जमीन का आक्सन हो चुका था । पट्टा नहीं हुआ था । जब तक पट्टा नहीं हुआ तब तक उसका इस्तेमाल कोई और नहीं कर सकता है । उसने खजाने में एक चौथाई रुपया जमा भी कर दिया था । इसमें कोई गलती की बात नहीं हुई । आपने कहा कि जिसके नाम आक्सन हुआ, उसने क्यों रिपोर्ट नहीं की ? मान्यवर, उसका कर्तव्य था कि वह रिपोर्ट करे ।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस पट्टे की नीलामी इस साल और पिछले दो-तीन सालों में किस अधिकारी ने की और वह कितने रुपए में हुई थी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, नीलामी उस परगने के डिप्टी कलेक्टर ने की थी और वह 14 सौ रुपये में हुई थी । उसका एक चौथाई यानी 350 रुपया उसने जमा कर दिया था ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं आया । जो प्रथम रिपोर्ट शहजादे प्रधान ने की थी वह किन-किन के खिलाफ थी ? क्या वह नामजद रिपोर्ट थी ? क्या उसके ऊपर मुकदमा किया गया था ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, वह नामजद रिपोर्ट थी केदारी, राम औतार, होती लाल पासी, कल्लू पुत्र कालिका . . . (व्यवधान)

श्री राम सागर–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ग्राम प्रधान की तरफ से की गई और जिसके नाम पट्टा था उसकी तरफ से नहीं की गई तो क्या हरिजनों ने ग्राम प्रधान से रिपोर्ट लिखाने के लिए कहा था या प्रधान ने हरिजनों से कहा कि तुम रिपोर्ट दर्ज कराओ ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जिसको नीलाम किया है वह भी हरिजन है और उस गांव का एक पासी है । उसकी सहमति से ही ग्राम प्रधान ने रिपोर्ट की थी ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना है। इसमें दोनों तरफ से पुलिस और गांव वाले दोनों एफैक्टेड हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है । तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने में उन्हें क्या आपत्ति है? तो क्या इस पूरे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सत्यपाल सिंह यादव जी के प्रश्न पर मैंने सम्मानपूर्वक निवेदन किया था कि सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें फायर आर्म्स, ईंटे, पत्थर की चोटें पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों

को आई है । तो मैं इतना आश्वासन देता हूं कि कमिश्नर से जांच करा देंगे।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, इसमें हमारा भी नाम है हमें भी प्रश्न करना है ।

श्री अध्यक्ष–

कमिश्नर से जांच कराने के लिए उन्होंने कहा है ।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित निर्बल वर्ग हेतु दुकानों के आवंटन में कथित अनियमितता के सम्बन्ध में वक्तव्य

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

[इलाहबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नवाब युसूफ रोड पर बनाई गई गुमटियों के आवंटन के सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सत्य प्रकाश मित्तल, किरनपाल सिंह द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से आख्या प्राप्त की गई । प्राप्त आख्या के अनुसार इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा नवाब यूसुफ रोड पर 22 गुमटियां (6'×8') वर्ष 1981 से वर्ष 1983 के मध्य बनाई गई थीं। इन दुकानों का आवंटन तत्कालीन प्रशासक द्वारा दिनांक 15-10-81 को समाचार पत्रों के माध्यम से मांगे गये अधिकतम आफर के आधार पर किया गया । प्राप्त टेण्डर में न्यूनतम आफर 9000/- रु0 का था और अधिकाधिक आफर 15250/- रु0 का श्रीमती रंजना बाजपेयी का था, किन्तु श्री अशोक कुमार बाजपेयी ने अपना टेन्डर 15000/– रु0 का दिया था पर साथ ही यह भी आफर किया था कि वह अधिकाधिक आफर से 1000/- रु0 अधिक देंगे इसलिए अधिकाधिक आफर रु0 16250/– मान कर स्वीकार किया गया और उस आधार पर गुमटियां आवंटित की गई । इन आवंटियों ने गुमटियों का कब्जा 1-2-85 को लिया ।

इस आवंटन में किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव का प्रश्न नहीं था । इलाहाबाद नगर महापालिका से प्राप्त आख्या के अनुसार यह दुकानें हरिजनों एवं निर्बल वर्गों के लिए नहीं बनाई गई थीं अपितु सर्व साधारण के लिए बनाई गई थीं ।]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है उसको मैंने ध्यान से पढ़ा है लेकिन मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा सत्ता के दुरुपयोग का दूसरा घिनौना उदाहरण नहीं मिल सकता है । इनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं श्री अर्जुन सिंह वह एक ओर कोड आफ कंडक्ट की बात करते हैं और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री को उसी आधार पर निकाला जा रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में उसके विपरीत मापदण्ड अपनाया जाता है । सत्ता के दुरुपयोग का इतना घिनौना उदाहरण दूसरा नहीं मिलता है हरिजनों के ऊपर हमला किया गया है । तो यह जो बयान है इसके आखिर में कहा गया है कि इस आवंटन में किसी भी प्रकार के राजनैतिक

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दबाव का प्रश्न नहीं था । इलाहाबाद नगर महापालिका से प्राप्त आख्या के अनुसार यह दूकानें हरिजनों एवं निर्बल वर्गों के लिए नहीं बनाई गई थीं अपितु सर्व-साधारण के लिए बनाई गई थीं ।

तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो एफिडेविट प्रति शपथ पत्र दिया है उसमें स्वयं कहा गया है । यह अंग्रेजी में है उसको मैं पढ़ कर अनुवाद कर दूंगा–

"इट इज स्टेटेड दैट क्राइटेरिया फार एलाटमेंट आफ गुमटीज आन नवाब यूसुफ रोड वाज दैट टेन्डर वेयर इनवाइटेड एण्ड दि बिड्स एज वेल एज दि फैक्ट ह्वेदर दि परशन वाज नीडी डिजर्विंग एण्ड बी-लांग टू वीकर सेक्शन वाज टेकेन इन्टू कन्सीडरेशन" ।

इस बात को मद्देनजर रखते हुए इन दुकानों के एलाटमेंट के लिए बोली और टेन्डर में भी कि कौन आदमी दीगर सैक्सन, नीडी और डिजरविंग है को एलाटमेंट किया गया ।

तो वह आदमी कौन हैं इलाहाबाद के वह चार ऐसे जो प्रशासक हैं, वे बेरोजगार पाए गए उसमें श्री अशोक बाजपेयी जो इस आदरणीय सदन में सदस्य रह चुके हैं जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो ढाई करोड़ के मालिक हैं और दूसरे 13 सौ रुपया पेंशन पाते हैं । तो ऐसे लोग वीकर सेक्शन में है। अशोक बाजपेयी, जो डा0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के पुत्र हैं उनकी सेवाएं हमेशा हरिजनों के लिए रहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो बयान दिया है उसमें जो कहा गया है तथा जो एफिडेविट है उसमें वीकर सैक्सन और नीडी परसन होने की बात कही है उनको न देकर दीगर सेक्शन के लोगों को आवंटित किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

मान्यवर, प्रथम यह दुकानें इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नहीं हैं । दूसरे, नगर पालिका इलाहाबाद ने इसका निर्माण किया । तीसरे-इसको नगरपालिका, इलाहाबाद ने इनके आवंटन के लिये टेण्डर मांगे । चौथा-यह जो सबसे अधिक बिड दे उसको दुकानें दी जायं । पांचवा-यह दुकानें निर्बल वर्ग के लिए अथवा अनुसूचित जाति के लिये नहीं बल्कि सर्व-साधारण के लिये निर्मित हुई हैं । छठा-श्री अशोक बाजपेयी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य थे, मगर सदस्य होने के नाते उनको यह अधिकार नहीं है कि अपनी दुकान के लिये कोई जगह लें । इसमें कोई अनैतिकता नहीं है और न कोई राजनैतिक दबाव है । लेकिन श्री गुप्ता जी ने इसको ऐसा बनाया कि सदन में उत्तेजना जरूर व्याप्त हो गयी थी ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि एक तो यह बात है कि जिनको यह दुकानें एलाट की गयीं उनका नाम बार-बार लेना ठीक नहीं है, वह श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के सुपुत्र हैं । मान्यवर, जिस व्यक्ति के नाम तीन फैक्टरियां हैं, तीन करोड़ का लोन ले रखा है, उसके पास तीन-तीन गोदाम य0 पी0 एस0 आई0 सी0 ने एलाट कर रखे हैं । श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी के पति जो लिंगियुस्टिक कमिश्नर हैं, जिनका वेतन तीन हजार रुपये है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य प्रश्न पूछें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मान्यवर, यह छोटी-छोटी गुमटियां, जो बेरोजगार हैं उनको उठाने के लिए, रोजगार करने के लिये बनायी गयी हैं

और जैसा कि श्री गुप्ता जी ने एफिडेविट का जिक्र किया, जब यह गुमटियां आम लोगों को नीलामी द्वारा देने के लिये थीं तो सत्ता पक्ष का यह परिवार जिसके पास तीन-तीन फैक्टरियां हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करें ।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं जानना चाहता हूं कि तीन-तीन फैक्टरियां जिसके पास हैं उसको क्यों एलाट की गयीं और जो एफिडेविट आपकी नोटिस में लाया गया है-वीकर सेक्शन का और सेवा किया है, इसलिये पात्र हो गये हैं तो उस एफिडेविट का क्या औचित्य था ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

मान्यवर, नवाब यूसुफ रोड पर जो 8 दुकानें हैं उनका संबंध एफिडेविट से नहीं है ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, यह बात सही है कि मंत्री जी ने बताया है कि इलाहाबाद नगर पालिका ने सूचित किया है कि यह दुकानें निर्बल वर्ग के लिये आवंटित नहीं थीं लेकिन जो भी इस ढंग के प्राधिकरण या नगरपालिका या सरकार ऐसी दुकानें बनाती हैं, उनको ऐसे व्यक्तियों को देने के लिये होती हैं जो उसमें व्यापार करते हों । लेकिन यदि उन दुकानों को लेकर कोई उसका उपयोग किराये पर देकर या अन्य कामों के लिये करता हो तो वह तो सर्वथा अनुचित है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विन्दु पर विचार करते हुए वह ऐसा फैसला लेंगे और उसकी घोषणा करेंगे कि अगर ऐसी गुमटियां ऐसे व्यक्तियों को आवंटित हो गई हैं, जो व्यापारी नहीं हैं या इस किस्म का काम नहीं करते हैं, तो उनको निरस्त करके उनके हकदार लोगों को आवंटित करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह तो साधारण नियम है-नगरपालिका का । यह देते ही उनको हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, इसीलिए टेण्डर करती है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

जब नियम 56 में यह सवाल उठाया गया था, तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन को आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करवायेंगे, तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि किस एजेंसी के द्वारा यह जांच कराई जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, इसमें जाच का प्रश्न ही नहीं उठता है । यह तो अखबारों में सूचना प्रकाशित हुई है, टेण्डर काल किये गये थे और कहा गया था कि यह सर्व-साधारण लोगों के लिए है । यह नहीं कहा गया है कि यह किसी वर्ग विशेष के लिए है। 'व्यवधान' एफिडेविट दूसरी जगह का था, वह दुकानें अलग बनी हैं, जिसके संबन्ध में विवाद है । अशोक बाजपेयी को जहां दुकानें दी गयीं, जिसके बारे में सदन को चिन्ता है, उससे इसका सम्बन्ध नहीं है ।

श्री सैलेजर सिंह–

मंत्री जी ने कहा कि एफिडेविट जो है वह इस मामले से सम्बन्धित नहीं है, किन्तु एफिडेविट में स्वंय नगर-पालिका ने कहा है कि :–"टेन्डर्स वर इन्वाइटेड एण्ड दि बिड्स एज वेल एज दि फैक्ट वेदर दि पर्सन वाज नीडी । डिजर्विंग एण्ड बिलांगिंग टू वीकर सेक्शन

बाज टेकेन इन्टू कांसिडरेसन दि एर्सन सेट सीरियल नम्बर 6 इज ऐन एक्स एम0 एल0 ए0, हू हैज वर्कड आल हिज लाइफ टाईम फार वीकर सेक्शन सोसाइटी एण्ड हैज मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस फार वीकर सेक्शन' तो श्रीमन्, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें लिखा है कि यह देखा गया कि वीकर सेक्शन का भी विचार किया गया और सीरियल नं0 6 पर जो श्री अशोक बाजपेयी का नाम दिया गया है, वह भूतपूर्व विधायक हैं और सारा जीवन त्याग किया है और वीकर सेक्शन के लिए काम किया है, इसको मद्देनजर रखकर इनको आवंटित किया गया है, तो मंत्री जी कैसे कहते हैं कि यह एफीडेवेट उससे सम्बंधित नहीं है? नाथूराम शिक्षक जो एक सक्रिय और कर्मठ हरिजन नेता है, इस सदन के भूतपूर्व विधायक हैं, उनका आवंटन काटा गया है, ...

श्री लोकपति त्रिपाठी–

उनको आवंटन किया गया है, काटा नहीं गया है ।

श्री मैनेजर सिंह–

अशोक बाजपेयी तब पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से नाथूराम शिक्षक वीकर सेक्शन के लिए उनके बीच में कम करते हैं, तो इसके बारे में मंत्री जी को क्या कहना है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ? 22 लोगों को हमने दिया है, जिनके नाम हमारे पास हैं ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

पढ़ दूं या इसे आपके पास भिजवा दूं श्रीमन्, ।

श्री अध्यक्ष–

आप भिजवा दें मेरे पास ।

(सम्बन्धित सूचना पत्र श्री अध्यक्ष जी के पास भिजवा दिया गया ।)

(व्यवधान)

श्री शफीकुर्रहमान वर्क–

यह तो सदन की प्रापर्टी बन गया है । आपके पास भेजने से कैसे चलेगा? इसे यहां पर सुनाया जाना चाहिए था ।

(व्यवधान)

*श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह दूकानें किन तारीखों में आवंटित की गयी थीं। इनके आवंटन का आधार क्या था? अगर एफीडेविट गलत पाया तो जिस व्यक्ति ने गलत एफीडेविट दिया है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आवंटन का आधारबिन्दु टेंडर था, जिन लोगों ने अधिक आफर दिया उनको दी गयीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि जिन लोगों को दुकानें आवंटित की गयी थीं वह उनको नहीं चला रहे हैं बल्कि दुकानें उन्होंने किराये पर दे दी हैं? जो दूकानों के लिये अनुबंध किया गया है इससे उसका उल्लंघन हुआ है। तो इसको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानते हुये क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, जिन लोगों को दुकानें मिली हैं उनके बारे में ऐसा आरोप नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसके तीन अंशों को देखने की कृपा करें । यह दुकानें वीकर सेक्शन के लिए नहीं थीं। दूसरी बात जो एफीडेविट का संदर्भ दिया गया है तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वह किसी और जगह का है लेकिन उसमें भी श्री अशोक बाजपेयी का नाम है । यह परस्पर विरोधी बातें है। तीसरी बात यह है कि दुनियां में कहीं ऐसा नहीं होता कि वीकर सेक्शन को दुकानें टेंडर से दी जायं । नगर पालिका और नगर महापालिका जो यह दूकानें बनवाती हैं उसमें आदेश है कि हरिजनों को प्रतिशत के हिसाब से दुकानें दी जायेंगी और ओपेन आक्शन होगा । तो इसमें विसंगतियां हैं । यह सत्तापक्ष द्वारा दुरुपयोग का साफ मामला है । तो इसकी जांच किसी जुडीशियल अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

मान्यवर, मेरी जानकारी है कि यह मामला हाई कोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया कि दुकानों का कब्जा अभी न दिया जाय । लेकिन सन् 85 में श्री अशोक बाजपेयी, उनके पिता जी, उनके साले और उनकी पत्नी को कब्जा क्यों दिला दिया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, उनके साले को नहीं दिया गया है, अशोक बाजपेयी की पत्नी को जरूर दिया गया है। उनकी विड हुयी थी और उनको 16,250 रुपये को विड पर दिया गया है।

मान्यवर, नगर महापालिका तीन प्रकार की दुकानों या आवासों का निर्माण करती है । कुछ हायर इन्कम ग्रुप के लिये, कुछ मध्यम वर्ग के लिये और कुछ निर्बल वर्ग के लिए होती हैं । इसके अलावा कुछ और दुकानें भी होती हैं, यह जो दुकानें हैं, जिसके बारे में सदन चिंतित है वह दुकानें इस श्रेणी में नहीं आती हैं, यह सबके लिये हैं ।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा और मेरी जानकारी भी है कि यह जो गुमटियां एलाट हुई थी माननीय बाजपेयी जी के परिवार के लिये उन गुमटियों पर उनको बैठना चाहिये था और दुकान करनी चाहिये थी । मेरी जानकारी है कि कोई उन दुकानों पर नहीं बैठा है और किराये पर दे दिया है, क्या इसकी जांच करायेंगे ? यह मेरी निजी जानकारी है, इसके बारे में आप जांच करायें उसके अनुसार 24 से 26 हजार रु0 तक सबसे अधिक बोली उस दिन आयी थी, उस अधिक बोली वाले को न देकर मा0 बाजपेयी व इनके परिवार के लोगों को दे दी गयीं, इसलिए मान्यवर पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जांच क्यों नहीं कराई जा रही है ? जांच यदि कराई जाए तो सारी स्थिति स्वयं ही स्पष्ट हो जायेगी, इसको कराइए।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, सम्मानित नेता विरोधी दल ने दो बिन्दु उठाए हैं, एक तो मा0 अशोक बाजपेयी और उनके परिवार के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोगों के द्वारा दूसरों को किराए पर दिए जाने संबंधी और. . . .

एक सदस्य–

खुद बैठते नहीं हैं, यह आरोप है।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

खुद बैठें या उनका नौकर यह बात सत्यता से परे है कि मा0 अशोक बाजपेयी ने उन दुकानों को किराए पर उठाया है। अगर उनके पिता के नाम, उनकी पत्नी के नाम या उनके परिवार के जिन लोगों के नाम हैं, वह लोग न बैठ कर यदि उनके नौकर बैठ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि इसको अन्यथा नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे श्रीमन् जब विड हुई थी, तो उस समय 16,250 रु0 की सबसे अधिक विड थी जो मा0 अशोक बाजपेयी की ही थी। हां आज अगर यह विड होती तो इसकी कीमत हो सकता है बढ़ जाती। जैसे हमारे पास बनारस में बहुत सी जमीन है. पहले उस जमीन की कीमत मान लीजिए 2 हजार रु0 थी तो आज उसकी लाखों की कीमत होगी तो इसके बारे में क्या कहना है?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर मेरा साफ आरोप है कि मा0 अशोक बाजपेयी की और उनके परिवार के लोगों की गुमटियों पर कोई नहीं बैठता है, परन्तु मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि यह बात सत्य से परे है, और मान्यवर आपने भी कहा। तो मान्यवर जांच के आधार पर ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकती है, क्योंकि इस तरह से किस की बात सत्य मानी जाए, आप हमारी या मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी की। इसलिए मान्यवर इस मामले को अब जनता के बीच जाना आवश्यक हो गया है, जांच होगी तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी और जनता इसका फैसला कर देगी और अगर मान्यवर मेरी बात मेरी जानकारी गलत होगी, तो मैं सदन में माफी मांगूंगा।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अब मैं मान्यवर इसमें क्या कहूं? (व्यवधान) जांच किस बात की कराएं? कि मा0 अशोक बाजपेयी को यह दुकानें क्यों दी गयीं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मा0 किरन पाल सिंह जी आप बैठ जाइये तथा सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि शान्ति बनाए रखें। (घोर व्यवधान)

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन् यदि सभी लोग बोलेंगे तो मैं मा0 नेता विरोधी दल और मा0 नेता कांग्रेस (जे0) की बात का उत्तर कैसे दूंगा? अगर सदन में यह मान्यता बन जाए या आप यह निर्णय कर दें कि जो भी इस सदन का सदस्य होगा, वह कभी भी भविष्य में किसी ऐसी प्रापर्टी को नहीं खरीदेगा और अगर खरीद ही लेगा तो उसे मानने को तैयार नहीं हो।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री फजलुल बारी, सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मैंने कौन सी गलती की है कि मुझे बोलने का मौका ही नही दिया जा रहा है? सभी को दिया जा रहा है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल के प्रयास से श्री फजलुल बारी अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 6(4) मा0 मुख्य मंत्री जी (घोर व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस मामले में आप हस्ताक्षेप कीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, मैं बड़ी नम्रता पर्वक अनरोध करूंगा कि इस तरफ से

सदन के फ्लोर पर टहलना कहां तक उचित है? आज सदन का आखिरी दिन है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं या कोई भी मा0 सदस्य किसी ऐसे वातावरण के साथ उठें कि दिलों में मलाल हो।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैं भी नहीं पसन्द करता हूं। आपकी आज्ञा हुई वह वापस चले गये, आपकी आज्ञा का तो पालन हो ही जाता है, आप काहे परेशान हैं? स्वास्थ्य मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं। सच बात यह है कि मुख्यमंत्री कोई बन जाय वह भी मुख्यमंत्री की हैसियत में नम्बर में है और नम्बर आ भी सकता है। मैं इनका आदर करता हूं। सवाल यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं। आप जांच कराने के लिये क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? एक तो हम लोगों का यह आरोप है कि निर्बल वर्ग के लोगों को दी जानी चाहिए थी, क्यों नहीं दी गई? आवंटन का आधार क्या था? दूसरी बोली इससे ज्यादा की गई, उनको नहीं दी गई, तीसरी बात मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कहना चाहता हूं कि अशोक बाजपेयी के परिवार का कोई आदमी इन गुमटियों में नहीं बैठता है। दूसरे लोगों को किराये पर दी गई हैं। आप कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं, सत्य से परे हैं तो आप सदन की एक कमेटी बैठा दीजिये, मैं सब की तरफ से कह रहा हूं कि हमारी बात गलत निकले तो मैं सदन से माफी मांग लूंगा। आप डाटिये, चेतावनी दीजिये, जब जांच के लिए तैयार नहीं हैं तो उत्तेजना होना स्वाभाविक है। आपको ठेस पहुंचाने या आपका अपमान करने की कोई मंशा नहीं है। जांच इसलिये जरूरी है कि आप कहते रहिये की मैं ईमानदार हूं, बाजपेयी ईमानदार हैं, तय सब होगा जब निष्पक्ष एजेन्सी जांच के लिये बैठे। सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों में आपका बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, देश में स्थान रखता है, बाजपेयी जी का परिवार देश में स्थान रखता है। इस वक्त जांच कराना नैतिकता है। मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में आश्वासन दिया था। आप जांच के लिये तैयार नहीं होते, तो क्या करूं?

श्री आर0 एन0 पाठक–

जिन तथ्यों को सदन में उठाया गया उसका मंत्री जी ने पूरा-पूरा उत्तर दिया, उसके बाद जांच किस लिये होनी चाहिये?

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह–

इनको कैसे सुन रहे हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर मैं अपने कर्तव्य और अधिकार दोनों को जानता हूं। आपकी आज्ञा से मैं अपने धर्म संकट को आपके सामने रखता हूं। नेता विरोधी दल और नेता सदन दोनों इस सदन के प्रमुख स्तम्भ है। नेता विरोधी दल ने कहा कि जो जानकारी मैं जानता हूं, मैं स्वयं जानता हूं वह असत्य है, जो वह कहते हैं वही सत्य है। मैं आपके पास विज्ञापन भेज रहा हूं इलाहाबाद नगरपालिका का। इस विज्ञापन में क्यों चर्चा नहीं है कि यह दुकानें निर्बल वर्ग और अनुसूचित जाति के लिये हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बोलते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, हम सब लोगों की भावनाओं का अनादर कर रही है सरकार और आप भी हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे मामले को छिपाने की सरकार कोशिश

कर रही है और इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए एक केन्द्रीय मंत्री के परिवार से सम्बन्धित मामले पर सरकार जांच नहीं कराना चाहती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है, इसलिये हम सब लोग सदन से त्याग कर रहे हैं।

(नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये तथा कुछ विपक्ष के सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये)

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के भण्डार गृहों में कोयला, लोहा आदि की बिक्री न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री निसार अहमद अन्सारी–

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 का मुख्य कार्य . . .

एक सदस्य–

मान्यवर, वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अन्सारी)–

[विभिन्न प्रकार के कच्चेमाल की व्यवस्था कर उन्हें छोटी औद्योगिक इकाईयों के लिए आवश्यकतानुसार वितरित करना है। निगम को कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में एक साथ ही मुख्य आपूर्तिकर्ता से खरीद करनी होती है तथा छोटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा धीरे-धीरे अपने आवंटित माल को उठाया जाता है। अतएव स्वाभाविक रूप से कच्चे माल का स्टाक प्रत्येक समय बनाए रखना पड़ता है। निगम के भण्डारों में जो कच्चामाल है वह चलनशील है अर्थात एक तरफ माल क्रय किया जाता है तो दूसरी तरफ छोटी औद्योगिक इकाईयों द्वारा इसको यथा समय उठाया जाता है, कच्चेमाल के कुछ आइटम जिनकी मांग औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रर्याप्त होती है, शीघ्र बिक जाते हैं जबकि कुछ आइटम देर से बिकते हैं क्योंकि खुले बाजार में भी कोयले, लोहे तथा इस्पात के बिक्री की व्यवस्था है तथा कुछ मुख्य आपूर्तिकर्ता सीधे लघु औद्योगिक इकाईयों को रिवेट माल बेच देते हैं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के भंडारों में अक्टूबर, 1985 से फरवरी, 1986 तक 498.37 लाख रुपए लेकर 659.81 लाख रुपए का लोहे तथा इस्पात का भंडार था जबकि इस अवधि में 471.87 लाख रुपए का नया माल आया एवं 386.65 लाख रुपए के माल की बिक्री हुई। इसी प्रकार उक्त अवधि में पिग आयरन का 35.00 लाख रुपए से 146.00 लाख रुपए का स्टाक रहा। इस अवधि में 226.00 लाख रुपए का नया माल खरीदा गया तथा 117 लाख रुपए का माल बेचा गया। उक्त अवधि में 0.96 लाख रुपए से लेकर 133.06 लाख रुपए का कोयले का स्टाक था, 120.42 लाख रुपये का कोयला क्रय तथा इस अवधि में 18.82 लाख रुपये का कोयला बेचा गया है।

नोट :–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निगम को विभिन्न प्रकार के कच्चामाल क्रय करने हेतु कार्यशील पूंजी की व्यवस्था बैंकों से करनी होती है तथा इसके लिए प्रचलित बैंक दर पर ब्याज देय होता है। बैंक में कुल 2.20 करोड़ रुपए कार्यशील पूंजी की सीमा दिसम्बर तक थी जो कि जनवरी, 1986 में 4.00 करोड़ की हुई। इसी हिसाब से खरीद में वृद्धि हुई। इस प्रकार की व्यवस्था प्रत्येक व्यवसाय में की जाती है, अतः ब्याज के रूप में दी जाने वाली धनराशि को हानि की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इस अवधि में कार्यशील पूंजी के लिए लगभग 2.00 लाख रुपए से 5.00 लाख रुपए प्रतिमाह तक ब्याज देय हुआ।]

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं मा0 मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि सितम्बर, 85 में कानपुर में लघु उद्योग निगम का जो भण्डारगृह है, उसमें कितना लोहे और इस्पात का स्टाक रहा और कितनी खरीद की गयी और कितनी बिक्री की गयी? कितने रुपये का नया स्टाक आया और पुराना स्टाक कितना था, यह बताने का कष्ट करें?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर, अक्टूबर, 1985 के शुरू में 498.37 लाख रुपये का माल स्टाक में था, अक्टूबर में ही...

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा सवाल सितम्बर का है और यह अक्टूबर का जवाब दे रहे हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, मैंने सितम्बर के बारे में पूछा है।

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने सितम्बर के बारे में पूछा है।

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर मेरे पास सूचना अक्टूबर से लेकर फरवरी के अंत तक की है, जो मा0 सदस्य ने पूछा है, उसके बारे में वक्तव्य है और वही सूचना मैंने आपको उपलब्ध करा दी।

श्री अध्यक्ष–

ये सितम्बर का चाहते हैं, आप मा0 सदस्य को दे दीजिये।

श्री मैनेजर सिंह–

मा0 मंत्री जी को कक्ष में बुलाकर समझा दीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह करोड़ों रुपये का मामला है और प्रदेश का हित इससे सम्बन्धित है। यही सवाल विधान परिषद् में भी किया गया था और श्री कृष्ण बाजपेयी का यह सवाल था जो विधान परिषद् में 1986 के चौथे बुधवार के लिये निर्धारित था। उसमें मान्यवर, सितम्बर से लेकर के फरवरी के बीच में कितने का माल था, इसका जवाब दिया गया था और अब अक्टूबर से फरवरी तक कितना माल है? इसका जवाब दे रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक मैं निवेदन करूंगा कि क्या यह सच है कि 445 लाख रुपए से लेकर 659 लाख रुपये का लोहा और इस्पात सितम्बर से फरवरी माह के बीच में स्टाक के रूप में विभिन्न भण्डारगृहों में मौजूद था? यह बयान मंत्री जी ने विधान परिषद् में दिया था। इसमें 498.3 लाख रु0 से लेकर 659.8 लाख रु0 की बात थी, क्या यह सच है नया स्टाक सितम्बर से फरवरी में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

659 लाख का था और सितम्बर के महीने में 164.81 लाख रु0 का माल लोहे और इस्पात का नये स्टाक के रूप में आया और यह भी सच है कि सितम्बर महीने में 106 लाख रु0 का माल बेचा गया। यह भी सच है कि करीब 50 लाख रु0 का अन्तर, जो सरकार ने विधान परिषद् और विधान सभा में जवाब दिया है, आ रहा है। क्या इस अन्तर को देखते हुए कोई जांच कराने का विचार करेंगे? क्योंकि विधान परिषद् और विधान सभा में जो जवाब आया है इन आंकड़ों में 50 लाख रु0 का अन्तर आ रहा है और कुल डेढ़ से तीन करोड़ रु0 का फर्क आ रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लाखों करोड़ों रु0 का जो अन्तर आ रहा है क्या इस संपूर्ण मामले की जांच कराने पर विचार करेंगे?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर, यहां इस वक्त जो प्रश्न चल रहा है उसमें सूचना जो मांगी गयी थी वह पहली अक्टूबर से फरवरी, 1986 आखिर तक मांगी गयी थी और वह मैं दे रहा हूं। मान्यवर, अक्टूबर, 1985 में ओपनिंग बेलेंस 498.37 लाख रु0 का था, शुरू अक्टूबर में। इस अक्टूबर के बीच में 77.32 लाख रु0 का माल आया, 56.80 लाख रु0 का माल बिका। अब नवम्बर में देखें शुरू नवम्बर में ओपनिंग बेलेंस 518.89 लाख रु0 का था, माल आया 66.62 लाख रु0 का, माल बिका 41.20 लाख का। दिसम्बर के शुरू में माल था 554.31 लाख रु0 का, माल आया 48.01 का, बिका 39.85 लाख का, जनवरी, 1986 के शुरू में माल था 552.47 लाख का, माल आया इस अवधि में 174.00 लाख रु0 का, बिका 66.66 लाख का। फरवरी, 1986 के शुरू में माल था 659.81 लाख का, महीने के बीच में माल आया 105.92 लाख का, बिका 182.14 लाख का। मान्यवर, इस तरह से शुरू अक्टूबर में 498.37 लाख रु0 का माल था, स्टाक था, जब फरवरी, 1986 आखिर हुई वह स्टाक हमारा बढ़कर 583.59 लाख रु0 का बचा। इस तरह से मान्यवर माल आता गया बिकता गया और बचा-यह प्रक्रिया रही।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो जवाब आया है, उससे यह स्पष्ट है कि माल गोदामों में अभी भी है उसमें लगातार सरकार को उससे नुकसान हुआ है। मान्यवर, यह जो लघु उद्योग निगम को घाटा हुआ है, यह घाटा होना नहीं चाहिये था। मान्यवर, जैसा कि आप अवगत हैं कि लघु उद्यमियों के लिये जो माल का आवंटन होता है, वह लघु उद्योग द्वारा ही होता है। मान्यवर, एक तरफ तो स्थिति यह है कि उक्त निगम लघु उद्यमियों को सम्पूर्ण मात्रा में उनकी आवश्यकतानुसार माल दे नहीं पा रहा है, दूसरी तरफ माल इनके यहां डम्प है। माननीय मंत्री जी क्या इस सम्पूर्ण प्रकरण की विजिलेंस से जांच करायेंगे जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि इसके लिये कौन अधिकारी दोषी है?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य बार-बार माल डम्प होने की बात कहते हैं। मान्यवर, इस निगम की सरकार ने स्थापना ही इसी उद्देश्य से की कि यह हर किस्म का माल अपने पास पूरी मात्रा में रखे, इसके पास उपलब्ध रहे और छोटी छोटी इकाइयों को उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें माल दे। तो, हमको हर सिलसिले में स्टाक तो रखना ही होगा। तो उस सिलसिले में डम्प का कोई

सवाल पैदा नहीं होता है । माल रहेगा तो बिकेगा अवश्य, यदि माल ही नहीं रहेगा तो बिकेगा क्या ? दूसरा कच्चा माल उपलब्ध कराने की जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है, उसे हम कैसे पूरा कर पायेंगे ?

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, लाखों रुपए का माल इनके यहां पड़ा हुआ है और लाखों रुपए इनको ब्याज के रूप में देने पड़ रहे हैं । उस पर सारा पैसा सरकार का लगा हुआ है। यह कोई अक्टूबर और नवम्बर की बात नहीं है । 1980 से ही यह मामला चल रहा है । 1981 में भी मुख्य सचिव ने एक शासनादेश निर्गत किया था तमाम विभागाध्यक्षों, प्रबन्धकों आदि को कि जो माल उनके यहां डम्प पड़ा हुआ है, उसे निगम तुरन्त उठवाये । मेरी माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त है कि वह पत्रावली मंगवाकर देख लें कि उसमें मुख्य सचिव का 1981 में निर्गत किया गया शासनादेश है कि नहीं । शासनादेश संख्या 6323-क/18-7-81-726/81 है । यह मामला 5–6 साल से चल रहा है । ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी को जांच करवाने में क्या आपत्ति है ? क्या इन सारी चीजों को देखते हुए माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ताकि जो घाटा इस निगम में हो रहा है, वह समाप्त हो सके ?

श्री निसार अहमद अन्सारी–

मान्यवर, निगम कच्चा माल मंगवाकर छोटी-छोटी इकाइयों को देता है । जाहिर है कि कोई भी व्यवसाय बैंक का सहारा लेता है, इसलिए बैंक से उसे कार्यशील पूंजी मिल पाती है। जो सूद की शक्ल में दिया जाता है, उसे कभी भी नुकसान की संज्ञा देना उचित नहीं है। जो माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत ज्यादा सूद दिया जाता है, ऐसा भी नहीं है। अक्टूबर में 2 लाख 65 हजार 992 रुपये दिया, नवम्बर में 2 लाख 57 हजार 413 रुपये दिये और दिसम्बर में 2 लाख 65 हजार 993 रुपये दिया गया। माल तो रखना ही पड़ेगा। विभिन्न भंडारों में यदि माल को नहीं रखा जायेगा तो जिस मुख्य उद्देश्य से यह निगम कायम किया गया था, वह पूरा नहीं हो पायेगा। दूसरी बात यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी यह निगम घाटे में नहीं चल रहा है ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम छोटी-छोटी इकाइयों को मदद करने के लिए बनाया गया है। कानपुर में बहुत सी फर्जी इकाइयां हैं। उन इकाइयों को कच्चा माल देने का काम यह लघु उद्योग निगम करता है, [x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा । कोई आरोप नहीं लिखा जायेगा।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी ने नियम 56 में इसे उठाया और मैंने नियम 301 में इसे उठाया और विधान परिषद् में भी यह मामला उठाया गया।

श्री अध्यक्ष–

परिषद् की बात को आप छोड़ दीजिए।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मनोहर लाल–

इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला है। फर्जी इकाइयों को माल देने के लिए माल को डम्प किया जाता है उसके बाद उसे ऊंचे रेट पर देकर इन फर्जी इकाइयों से सौदे-बाजी की जाती है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि अक्टूबर, 1985 से फरवरी, 1986 तक 498.37 लाख रुपये से लेकर 659.81 लाख रुपये का लोहे तथा इस्पात का भण्डार था...

श्री अध्यक्ष–

जो कुछ वक्तव्य में है, उसे दोहराइये नहीं।

श्री मनोहर लाल–

मैं तो छोटा-मोटा हिसाब बता रहा हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि यह जो 751.13 लाख रु0 का माल डम्प है, इस सम्बन्ध में वक्तव्य में नहीं लिखा है कि यह माल कहां गया ? दूसरी बात, जो फर्जी इकाइयां हैं उनको माल दिया जा रहा है, इसकी जानकारी सरकार को है या नहीं ? तीसरी बात, जहां पर डम्प माल है, ऊंचे रेट पर किराया दिया जा रहा है, जिससे निगम को करोड़ों रुपये का घाटा हो रहा है।

श्री निसार अहमद अन्सारी–

माल जो डम्प होने की बात बार-बार कही जा रही है, तो माल डम्प होने का सवाल ही नहीं है। माल आयगा, बिकेगा, बचेगा, फिर आयेगा। माननीय सदस्य ने फरवरी के शुरू का हवाला दिया कि 659.81 लाख रुपये का लोहे तथा इस्पात का भण्डार था, उसमें से 182.14 लाख रु0 का माल बिका, जो रह गया 583.59 लाख रु0 का फिर फरवरी में बिका होगा, फिर और माल आया होगा मार्च में। जो भी भारत सरकार से माल का आवंटन होगा, इस निगम को जो भी आइटम आवंटित होंगे, वह माल उठाना होगा। निगम उसे उठाकर अपने भण्डार में रखेगा और जैसे-जैसे जरूरत होगी, उसको बेचेगा। उसके डम्प होने की कोई बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए इसकी आप जांच करा लीजिये।

श्री निसार अहमद अन्सारी–

ठीक है, मान्यवर।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत....

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अखबारों में भी छपा और काफी चर्चा है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया है...

श्री अध्यक्ष–

इसको उठाने की मैं अनुमति नहीं देता हूं।

नियम 56 के अन्तर्गत 29 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(1) सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की प्रदेश के किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य कम मिलने से असन्तोष के संबंध में मूल्य कम मिलने से असन्तोष के संबंध में है, (2) सूचना श्री महेन्द्र सिंह भाटी की गाजियाबाद जनपद में ओला वृष्टि के सम्बन्ध में है, (3) सूचना श्री सत्यपाल सिंह व श्री अशोक बाजपेयी की शाहजहांपुर में कर्फ्यू तथा दंगे के सम्बन्ध में है,

(4) सूचना श्री मनोहर लाल की बांदा में लोकदल के कार्यकर्ता की हत्या के संबंध में है, (5) सूचना भी इसी विषय पर श्री देव कुमार यादव की है, (6) सूचना श्री कौशिक रमाशंकर की वाराणसी में जहरीली शराब से मौतों के सम्बन्ध में है, (7) सूचना श्री राम सरन तथा श्रीमती विमला राकेश की हरिद्वार अतिथि गृह के चौकीदार के अपहरण के सम्बन्ध में है, (8) सूचना डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री भगौती सिंह की वन निगम में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, (9) सूचना श्री रिछपाल सिंह बंसल की मोती लाल गर्ल्स इण्टर कालेज में वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में है, (10) सूचना श्री रामसागर की खेत में काम करती महिला के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में है, (11) सूचना श्री राजकिशोर सिंह की बिजनौर में पुलिस दल द्वारा लूटपाट के सम्बन्ध में है, (12) सूचना श्री किरनपाल सिंह की जिला बुलन्दशहर में श्रीपाल की हत्या के सम्बन्ध में है। (13) माननीय सत्य प्रकाश विकल जी की बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा करोड़ों रुपयों का घपला, (14) माननीय शफीकुर्रहमान वर्क जी की है सम्भल, मुरादाबाद के विधायक को धमकी भरा पत्र के बारे में। (15) माननीय यदुनाथ सिंह जी की है मिर्जापुर में प्रदूषण के बारे में। (16) माननीय सूर्य प्रताप शाही जी की है देवरिया में चीनी मिलों के बन्द होने के संबंध में। (17) माननीय हरेन्द्र सिंह जी की जनपद मुजफ्फरनगर में हत्या के बारे में। (18) माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की जनपद मुजफ्फरनगर में 13 वर्षीय रिक्शा चालक की हत्या के बारे में। (19) माननीय विजय सिंह राणा जी की इटावा में बिक्रीकर अधिकारी द्वारा लूट के बारे में। (20) माननीय फजलुल बारी जी की बहराइच में पी0 ए0 सी0 द्वारा मुसलमानों पर हमला के बारे में। (21) श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा जी की बुन्देलखण्ड में जल स्तर के नीचे गिरने के बारे में। (22) माननीय गोपाल दास यादव तथा माननीय अनुग्रह नारायण सिंह जी की इलाहाबाद में परिवार नियोजन की समस्या के बारे में। (23) माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा माननीय अकबर हुसैन बाबर की रामायण मेले के नाम पर फिजूलखर्ची। (24) माननीय शतरुद्र प्रकाश जी की जगदीशपुर, सुल्तानपुर में किसानों की भूमि का अधिग्रहण। (25) माननीब राम गोविन्द चौधरी जी की बलिया जनपद में बिहार के लोगों द्वारा पी0 ए0 सी0 पर कब्जा। (26) माननीय सरदार सिंह जी की कु0 कटोरी देवी पर पुलिस द्वारा अत्याचार। (27) माननीय बुनियाद हुसैन जी की हरदोई में हरिजन की हत्या। (28) माननीय हर्षवर्धन, माननीय गौरी शंकर भइया, माननीय रंजीत सिंह, माननीय मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय, माननीय मैनेजर सिंह तथा माननीय विष्णुदेव जी की गोरखपुर के जिला परिषद् सदस्य, श्री केदार नाथ द्वारा मुख्य मंत्री के नाम पर भ्रष्टाचार। (29) माननीय शारदा प्रताप जी की लखनऊ के विकास परियोजना में भ्रष्टाचार के बारे में है।

*श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह बात सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह निर्विवाद सत्य है कि खेती में उत्पादन के काम में आने वाली वस्तुओं के दाम, सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं । खाद, बीज, पानी तथा डीजल के भाव निरन्तर बढ़ने से खेती की लागत बढ़ती चली जा रही है । खेत में एक क्विंटल गेहूं के उत्पादन में कितना खर्च करना पड़ता है यह आपके चन्द्र शेखर आजाद विद्यालय के प्रोफेसर का आंकड़ा है कि 244 रु0 28 पैसा एक क्विंटल गेहूं के उत्पादन में खर्चा करना पड़ता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाद, कीटनाशक दवाइयां, बीज और पानी पर निरन्तर सरकार की तरफ से गत कई वर्षों से कीमत में अपेक्षाकृत वृद्धि हो रही है इसका असर गेहूं के उत्पादन व्यय पर सीधा पड़ रहा है जिसके कारण खाद्यान्न का मूल्य भी बढ़ रहा है । 162 रु0 प्रति क्विंटल गेहूं के मूल्य की मांग है जबकि 82 रु0 एक क्विंटल गेहूं में उत्पादन व्यय का नुकसान होता है । इसके कारण खेती में बराबर गिरावट आ रही है और किसानों में निराशा पैदा हो रही है क्योंकि उन्हें मुनाफे की कीमत नहीं मिल पा रही है ।

यह हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा कि यदि किसानों में गेहूं के उत्पादन के प्रति निराशा आ गई और इसके प्रति उनमें उपेक्षा पैदा हो गयी तो खाद्यान्न का भीषण संकट पैदा हो जायेगा । किसानों की निराशा को और उनकी इसके प्रति उपेक्षा को तोड़ने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनको मुनाफे की कीमत दें और सरकार ने गेहूं के मूल्य की घोषणा 162 रुपए की है, और उसी गेहूं को सरकार अपने सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से 210 रुपए के हिसाब से बेच रही है, 82 रुपए का मुनाफा कमा रही है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार उसमें 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस किसानों को दे और वह इसकी घोषणा करे । पंजाब में और हरियाणा में जब इस तरह की स्थिति पैदा हुई तो उन्होंने 20 रुपए कुन्तल के हिसाब से बोनस दिया। किसानों में उत्साह बना रहे और पैदावार भी बढ़े । इसलिए मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि सदन के अन्य कार्यों को रोककर इस पर चर्चा करा दें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जो वर्मा जी ने कहा है कि पूरे प्रदेश के किसानों को 20 रुपए प्रति कुन्तल के हिसाब से बोनस दिया जाये, तो मैं मांग करता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बिजली और पानी में छूट देकर किसानों की मदद करेंगे ?

श्री राम सरन–

मान्यवर, मैं भी एक बात रख दूं..

श्री अध्यक्ष–

तो फिर सिलसिला चालू हो गया, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जानकारी है कि गेहूं का समर्थित मूल्य 157 रुपए था और उसमें 5 रुपए की वृद्धि करके 162 रुपए कर दिया गया । माननीय वर्मा जी ने कहा कि लागत 244.28 रुपए आती है, न जाने कहां से वर्मा जी यह लागत निकाल लाए, इसका प्रश्न नहीं उठता है । उन्होंने बताया कि 162 रुपए में सरकार ले रही है और 210 में बेच रही है और मुनाफा 32 रुपए कमा रही है । 210 और 162 का अन्तर निकाले तो मान्यवर, 48 रुपए आता है, पता नहीं 82 रुपए कैसे निकाल लिए ? मान्यवर, आपको जानकारी है कि 37 रुपए से लेकर 42 रुपए ट्रान्सपोर्टेशन के रूप में और ब्याज के रूप में खर्च होता है, एक कुन्तल पर । मान्यवर, किसानों

की स्थिति को देखते हुए ही केन्द्रीय सरकार 1400 करोड़ की सब्सीडी देती है खाद्यानों पर । और साथ ही साथ उप-भोक्ताओं से इसकी दर जुड़ी हुई है । यह जो सब्सिडी दी जाती है वह भी तो सरकारी पैसा है, सरकारी खजाने से निकलता है । यह जो मूल्य दिया जा रहा है, वह लाभकारी दर है और माननीय वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसका प्रश्न नहीं उठता है । दूसरी बात जो माननीय रेवती रमण सिंह जी ने उठाई कि बिजली और पानी की दर में कमी कर दी जाए, तो मान्यवर, वह स्वयं विद्युत मंत्री रह चुके हैं, अगर उसकी दरों में कमी कर दी जायेगी तो कैसे काम चलेगा? आप इसको सुदृढ़ करें और मजबूत करें जिससे कि किसानों को बिजली अधिक से अधिक मिल सके ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

किसान विरोधी नीति के कारण हम सदन का त्याग करते हैं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए)

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, गत 18/19 मार्च की दादरी, हापुड़ और गाजियाबाद तहसीलों में ओला-वृष्टि के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ । कुछ जगहों में 100 प्रतिशत, कुछ में 90 प्रतिशत और कहीं पर 75 प्रतिशत नुकसान हुआ । जिसकी वजह से अब वहां किसानों के पास कुछ नहीं बचा है और मजदूरों के पास भी कुछ नहीं है । इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके सरकारी देयों को रोक दिया जाय और उसके ऊपर जो ब्याज आता है, उसे भी रोक दिया जाय । वहां के मजदूरों के लिए एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत योजना बनाई जाय जिससे वे अपनी रोजी-रोटी चला सकें ।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उनकी भावना के अनुरूप ही वहां पर आर0 एल0 जी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 योजनाओं के अन्तर्गत निर्देशित कर दिया गया है कि जो कार्य चल रहे हैं उनको तेजी से चालू किया जाय और नए कार्य भी प्रारम्भ किए जायं । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है मैं यह कहते हुए माफी चाहता हूं कि अपर जिलाधिकारी के यहां से जो हमें सूचना प्राप्त हुई है वह यह है कि 10/15 फरवरी, 1986 को वहां पर ओलावृष्टि की एक छरीं आई थी जिससे तहसील दादरी में सरसों की फसल पर 25 से 30 प्रतिशत तक की क्षति हुई । मान्यवर, जब तक 50 प्रतिशत की क्षति न हो तब तक कोई छूट देने का प्राविधान नहीं है । फिर भी लोगों को दिक्कत न हो, इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए पुनः 28-3-86 को समस्त जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देशित कर दिया गया है कि ओला वृष्टि के जो क्षेत्र हैं, जहां ओलावृष्टि हुई है वहां राहत कार्य सुनिश्चित कर दिए जायं और एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 जी0 पी0 की जो योजनाएं चल रही हैं उनके कार्य में तेजी लाई जाय और नए कार्य भी प्रारम्भ किए जायं । साथ ही जहां 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची हो वहां पर भू-राजस्व स्थगित करने का अधिकार जिलाधिकारी को है । मान्यवर, शासन स्वयं इस विषय में सतर्क है और जागरूक है । ऐसी दशा में यह विषय कार्यस्थगन अथवा औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाना या उस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मेरा भी है . . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय सत्यपाल सिंह जी और माननीय अशोक बाजपेई ने जो सूचना दी है उसके बारे में कल पीठासीन अधिकारी ने कहा था कि इसे आज ले लिया जाय । मैं नम्रतापूर्वक यह अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे विषय अगर न लिये जायं . . (व्यवधान) यह साम्प्रदायिक विषय है . .

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं उस पर नहीं बोलूंगा (श्री अशोक बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप और माननीय अशोक बाजपेई तो समझदार व्यक्तियों में से हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं साम्प्रदायिकता पर नहीं बोलूंगा। अगर उस पर कुछ कहूं तो आप रोक दीजियेगा . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इस बारे में आपसे ही सहयोग चाहूंगा कि ऐसे विषय पर यदि हम लोग न बोलें तो अच्छा है . . .

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अगर आपको यह आभास हो कि मैं उस पर बोल रहा हूं तो आप मुझे बिठा दें ।

मान्यवर, शाहजहांपुर जनपद हमेशा शहीदों की नगरी रही है, हिन्दू और मुसलमानों में भाई-चारे की नगरी है। असफाक और बिस्मिल की नगरी कही जाती है । वहां पर प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है ? जो अपराध है वह किस तरह से बढ़ रहे हैं ? उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, उस समय होली का त्योहार था । जिलाधिकारी ने एक मीटिंग की और कहा कि वहां पर कोई भी गुन्डागर्दी और बदतमीजी नहीं होनी चाहिए । लेकिन वहां के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष ने कहा कि बदतमीजी तो होगी ही । इसका अंजाम यह हुआ कि जब लोग जलूस के साथ और झुण्ड में चल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे तो पुलिस के लोग देखते रहे, उन्होंने किसी को नहीं रोका । इसके परिणामस्वरूप शाहजहांपुर में कर्फ्यू लग गया । दुकानें जला दी गईं, मजदूर बेघरबार हो गए, घर जला दिए गए और पी0ए0 सी0 के लोग . . .

श्री अध्यक्ष–

अब आपकी बात काफी सुन ली . . .

श्री सत्यपाल सिंह–

जिस समय कर्फ्यू लगा था उस समय किसी भी व्यक्ति को पास नहीं दिया गया न प्रेस वालों को पास दिया गया । घरों में घुस कर महिलाओं और बच्चों को पीटा गया। मान्यवर, आपसे कहना चाहता हूं कि यह एक षड़यंत्र सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा रचा गया। (व्यवधान) एक गलत परम्परा ऐसे लोगों के द्वारा चलाई जा रही है चाहे वह विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जमाना हो चाहे वीर बहादुर सिंह जी की सरकार हो . . .

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें (व्यवधान) अब आगे कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

[* * *]

नोट [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार व्यर्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । मैंने श्री अशोक बाजपेयी को बुलाया है । अगर बाजपेयी जी आप नहीं बोलते हैं तो मैं दूसरे को बुलाता हूं ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जो श्री सत्यपाल सिंह जी ने कहा उसके अलावा कुछ नए तथ्य आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं । गत 27 मार्च को मेरे विधान सभा क्षेत्र से 31 लोग एक ट्रक में नंदा देवी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे (व्यवधान) शाहजहांपुर में चारखंभा एक इलाका है जो किला मोहल्ला के नाम से जाना जाता है । वहां पर वह ट्रक रुका तो रात्रि के एक बजे का समय था तो एकाएक सैकड़ों लोगों ने उन पर हमला कर दिया . . .

श्री राम औतार मिश्र–

यह मेरे क्षेत्र का मामला है मैं भी कुछ कहूंगा ।

श्री अशोक बाजपेयी–

तो रात्रि के एक बजे निर्दोष लोगों के ऊपर अमानुषिक तरीके से कांते, बल्लम और लाठियों से हमला कर दिया और सारे लोग हताहत हुए । ट्रक का मालिक श्री राम कुमार गुप्त को लोग जिन्दा खींच कर ले गए उसका आज तक कोई पता नहीं है । आज मुझे जानकारी मिली है कि कहीं उसकी लाश पाई गई है। जो लोग हताहत हुए, उनका इलाज का कोई प्रबन्ध नहीं हुआ । अगर शासन ने सतर्कता बरती होती तो राम कुमार गुप्ता को बचाया जा सकता था । इस सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मेरी मांग है कि इस संबंध में तत्काल समुचित कार्यवाही की जाय और मृतक राम कुमार गुप्ता के आश्रतों को आर्थिक सहायता तथा हताहत लोगों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाय और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(व्यवधान)

श्री राम औतार मिश्र (उर्फ ननकू)–

मान्यवर, होली के सुहावने अवसर पर विरोधी दल के लोगों द्वारा दंगा भड़काया गया। यह काम अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिये किया गया लेकिन वहां पर पुलिस और सेना ने सराहनीय कार्य किया जिसकी वजह से दंगा रुक गया ।

श्री अशोक बाजपेयी–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान) जो बोल रहे हैं वह नहीं लिखा जायेगा।

श्री अशोक बाजपेयी–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मैंने मनोहर लाल जी को पुकारा है। कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं दो शब्द कहना चाहता हूं

(श्री हुकुम सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री कुछ व्हना चाहते हैं, आप बैठें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं यह अपना कर्तव्य समझता हूं क्योंकि यहां पर बड़ी उत्तेजना माननीय सदस्यों ने दिखाई । जो लेटेस्ट स्थिति है शाहजहांपुर की उसके बारे में बताना चाहता हूं । वहां पर स्थिति बिलकुल सामान्य होती जा रही है आज

नोट [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गयी है । बाजार खुले हैं, जन जीवन सामान्य है । मेरा आग्रह है कि यह जो स्थिति सामान्य होती जा रही है उसमें आप सब योगदान दें ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय, मैं इस सरकार की विफलता और उदासीनता का एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं जिसके लिए मैंने नियम 56में सूचना दी है। 22 तारीख को लोकदल के एक नेता जो दो बार विधान सभा के लिए चुनाव लड़े हैं श्री जगरूप सिंह निषाद की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। वहां के सी0ओ0 और कमासिन के थानाध्यक्ष का इस घटना में हाथ था। वहां के डकैतों के गिरोहों से सी0 ओ0 और थानाध्यक्ष की सांठगांठ थी जिसके कारण वहां के जगरूप सिंह निषाद, एडवोकेट उच्च अधिकारियों से बराबर शिकायत करते थे कि इनकी डकैतों से सांठगांठ है और चौकीदार से मिलकर डकैती डलवाते है और इसकी उन्होंने आई0 जी0, डी0 आई0 जी0, जिलाधिकारी आदि से शिकायत किया था जिससे सी0 ओ0 और थानाध्यक्ष, कमासिन श्री जगरूप सिंह की हत्या कराने पर तुल गए थे । श्री जगरूप सिंह जहां वकालत करते थे वहां थानाध्यक्ष गए और कहा कि तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आते हो तुमको हम देख लेंगे । दिनांक 22 को थानाध्यक्ष ने श्री जगरूप सिंह एडवोकेट को एक पत्र लिखा और अपने पैरोकार को पत्र दे कर कहा कि एडवोकेट श्री जगरूप सिंह को दे देना और उनको बुला लाना और कहना कि बबेरु में आ जांय तो बबेरु में सी0 ओ0 और चौकीदार से समझौता करा देगें । श्री निषाद ने बबेरु में 4 बजे तक सी0 ओ0 का इन्तजार किया लेकिन वह नहीं आये तो निषाद जी थाना कमासिन के लिये बस से चले तो रास्ते में थानाध्यक्ष ने उनको मारने का सारा प्रबन्ध कर दिया था और उसी के अनुसार श्री जगरूप सिंह को बस से घसीटकर उनकी गोली से हत्या कर दी और उनकी लाश को वरा से निकालकर, पेट्रोल डालकर लाश को फूंक दिया । श्री निषाद की जेब में एक पर्चा था, जिसके द्वारा उनको बुलवाया गया था, उसको भी जला दिया गया । इस घटना के बाद बांदा के आस-पास के क्षेत्रों में रोष व्याप्त है, वकीलों ने कहा है कि हड़ताल करेंगे जबतक कि सी0 ओ0 और थानाध्यक्ष को मुअत्तल नहीं किया जायेगा और उनके विरुद्ध दफा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाये । इसलिये मैं मांग करता हूं कि इस दिन दहाड़े हत्याकाण्ड में जो सी0 ओ0 और थानाध्यक्ष की साजिश से हुई है, आज की सारी कार्यवाही रोककर इस मामले पर चर्चा कराई जाये । चूंकि श्री जगरूप सिंह निषाद लोकदल के सक्रिय कार्यकर्ता थे और दो बार विधान सभा के चुनाव लड़ चुके थे । मेरा आरोप है कि यह सरकार लोकदल के पीछे पड़ी है और सरकार पर चार्ज है कि यह लोकदल के लोगों की हत्या करवा रही है ।

श्री देव कुमार यादव–

माननीय, जिस विषय पर नियम 56 में श्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव दिया है उसी पर मैंने भी प्रस्तुत किया है । यह बांदा जनपद का ही नहीं बल्कि 10–12 जनपदों में यह संगीन घटना घटी है । यह सामान्य हत्या नहीं है बल्कि सुरक्षा और जानमाल के उत्तरदायी

पुलिस के उच्च अधिकारियों की साजिश और नितांत अवांछनीय व्यवस्था की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

मान्यवर, श्री जगरूप सिंह की हत्या के संबंध में जो तथ्य श्री मनोहर लाल ने दिये वह सही हैं और सी0 ओ0 एवं थानाध्यक्ष ने मिलकर सुनियोजित ढंग से एक लोकदल कार्यकर्ता की हत्या करवाई है । हत्या के दो तीन दिन पहले एक पत्र पैरोकार ने, थानाध्यक्ष के माध्यम से, श्री जगरूप सिंह को दिया था और कहलाया गया था कि वह बबेरु में आ जायं तो समझौता सी0 ओ0 और चौकीदार में करवा दिया जायेगा । श्री जगरूप सिंह बबेरु गये और सारा दिन सी0 ओ0 के कार्यालय में बैठे रहे किन्तु वह गायब थे और जब नहीं मिले तो 4 बजे बस से वे थाना कमासिन जा रहे थे जबकि उसके पहले सी0 ओ0 और थानाध्यक्ष की साजिश से बदमाश और उनके दुश्मन उनके पीछे लगे थे जिन्होंने श्री जगरूप सिंह को बस से खींचकर गोली मार दी और पेट्रोल डालकर आग लगा दिया एवं लाइसेंसी राइफल को छीनकर ले गये । यही नहीं, पूरे बांदा जनपद में बबेरु में अपराधियों की बाढ़ सी आ गयी है । मैं इस गम्भीर मामले को अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यहां उठाना चाहता हूं । जो आज वहां पुलिस का रवैय्या है उसके चलते हम लोगों की और हमारी जान का भी खतरा है । यह हमारे क्षेत्र का मसला है . . .

(अगली सूचना लिये जाने पर कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर व्यवधान उत्पन्न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

जब मैंने कहा तो आप समाप्त कर दीजिए, यह ठीक नहीं है । अब आपका नहीं लिखा जाएगा . . . (व्यवधान) यह क्या तरीका है ? आप बैठ जाइये . . (व्यवधान) . . कतई कुछ नहीं लिखा जाएगा । आप बोलते रहिये दिनभर । आप शिकायत करते हैं, लेकिन दुनियां आपको देखेगी क्या कहेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैं आपकी आज्ञा से इस बात को कहना चाहता हूं कि अभी जो कुछ मनोहर लाल जी ने कहा है, वह केवल एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या का प्रश्न नहीं है, उसमें पुलिस प्रशासन की साजिश पाई गई है । अतः मेरा निवेदन है सत्ता पक्ष से और गृहराज्य मंत्री जी से कि वह सी0 आई0 डी0 को निर्देशित कर दें, इस मामले में जांच करने के लिए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हुकुम सिंह—

ठीक है, इसमें राजेन्द्र सिंह जी ने जो इच्छा व्यक्त की है सी0 आई0 डी0 से जांच करा देंगे ।

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, वाराणसी में 5 व्यक्ति जहरीली शराब पीने से मर गये । यह शराब ठेके की दुकान से ही ली गई थी, जिससे स्पष्ट है कि निश्चित रूप से इसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की ठेकेदारों के साथ मिलीभगत है, साजिश है, सांठगांठ है । इससे पांच व्यक्ति कालकवलित हो गए । अनेक लोग अब भी अस्पताल में बीमार पड़े हैं, जो मौत के साथ संघर्ष कर रहे हैं । इस प्रकार का सवाल जब दक्षिण भारत के, प्रदेशों के मामले में पार्लियामेंट में उठा था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री, माननीय राजीव गांधी ने यह बात कही थी कि जहां कहीं भी ऐसी दुर्घटनाएं हों,

वहां पर आबकारी विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए । लेकिन इस मामले में अभी तक शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है और मृतक परिवारवालों की कोई देखभाल भी नहीं की गई है, साथ ही बीमार लोगों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आबकारी अधिकारी जो इसके लिए दोषी है, उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित प्रश्न को सदन में रखना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि आप इस पर चर्चा करवा दें, सदन की सारी कार्यवाही को रोककर ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरी सूचना यह है कि बनारस में इस समय तीन-चार बार यह हो चुका है. . . (व्यवधान)

श्री राम सरन–

मान्यवर, एक बहुत गम्भीर मामला है, जिसे मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । 17 से 21 फरवरी, के बीच में हरिद्वार में पी0 डब्लू0 डी0 के डाक बंगले के ऊपर, एक होमगार्ड का चौकीदार, जो हरिजन था. . मंत्री जी सुनिये, आपका ध्यान तो और कहीं है । मान्यवर, हरिद्वार के पी0 डब्लू0 डी0 के डाक बंगले के अन्दर 17 फरवरी से 21 फरवरी के भीतर राम लखन नाम का एक हरिजन चौकीदार ड्यूटी पर था। (व्यवधान उत्पन्न होने पर) मान्यवर, यह बर्दाश्त के बाहर हो गया है। मेरे पास तरह-तरह के लोग हैं। यह [xxx] लोग हैं कोई हरिजन मर जाय तो भी हंसते हैं । शर्म आनी चाहिये।

[x x x]

श्री चेतराम गंगवार–

(बैठे-बैठे) मान्यवर, यह सब न लिखवाइये।

श्री राम सरन–

मान्यवर, मुझे यह बर्दाश्त नहीं है, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों।

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य को [xxx] कह रहे हैं।

श्री राम सरन–

मान्यवर, डिवीजनल कमाण्डेंट, मेरठ श्री डी0 के0 भोला, आई0 पी0 एस0 इसी दौरान जब 18 तारीख को शाम को वहां पहुंचे तो वह शराब पीकर गये थे और उनके साथ औरतें थीं । सब नशे में थे और कुछ बदमाश किस्म के लोग भी थे । तो खाने के ऊपर कुछ झगड़ा हुआ, खाना अच्छा नहीं लगा, तो आई0 पी0 एस0, डिवीजनल कमान्डेंट, श्री भोला ने चौकीदार को इतना मारा कि आज तक उसका पता नहीं है कि वह कहां है ? उसको मार दिया गया है या किडनैप किया गया है । उसकी औरत दर-दर भटक रही है । उसकी औरत ने मुख्य मंत्री जी को भी दरख्वास्त दी है । वह सब जगह दरख्वास्त दे चुकी है । चौकीदार का आज तक पता नहीं चला है । चौकीदार का सिर्फ कसूर यह था कि वह हरिजन था । डिवीजनल कमाण्डेंट ने कहा कि तुम भंगी-चमार लोग, हमारा खाना खराब किया गया है, तुम्हारी मौजूदगी में किया गया है । तो यह एक गम्भीर मामला है । आप इस पर चर्चा कराइये और उस अधि-

---

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कारी के खिलाफ कार्यवाही कीजिये । आज पूरे सहारनपुर के अन्दर हरिजनों में रोष है । वह सिर्फ इसलिये मारा गया है कि वह एक हरिजन था । यह हरिजनों के बड़े हिमायती मेरे सामने बैठे हैं, रोज हरिजनों की दुहाई देते हैं । आप इस पर सख्त एटीट्यूट लेकर, इस पर चर्चा भी कराईये और आई0 पी0 एस0 अफसर को दंडित भी करें ।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, कटोरी देवी का मामला रह गया है ।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, मुझे भी सुन लें । वह बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 2, पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। सूचना नं0 4 एवं 5 पर सी0 आई0 डी0 की जांच की जायेगी। सूचना नं0 12 और 18 पर सरकार को जांच करने के लिये निर्देशित करता हूं। सूचना नं0 6, 7, 10, 11, 21, 23, 25, 27 पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं । बाकी सूचनाएं अस्वीकार हुईं ।

(शोर)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है, आप इजाजत दे दें । ऐसे नहीं चलेगा।

श्री फजलुल बारी–

ऐसे नहीं चलेगा । इसका कोई तरीका होना चाहिये।

(श्री शारदा प्रताप और श्री फजलुल बारी सदन के फ्लोर पर आ गये और श्री अध्यक्ष के आसन की तरफ बढ़ने तथा शोर करने लगे)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, यह मूंगफली के दाने हैं जो पी0 सी0 एफ0 ने सप्लाई किये हैं।

(श्री शारदा प्रताप ने मूंगफली के दानों का एक पैकेट दिखाया)

(फ्लोर पर सर्वश्री शारदा प्रताप, हरिशंकर तिवारी, फजलुल बारी तथा श्री सरदार सिंह व अन्य कुछ सदस्यों द्वारा खड़े होकर और एक साथ जोर-जोर से चिल्लाने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

अब हम 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित करते हैं।

(तत्पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित हुई और 2 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई)

अनिश्चित काल के लिए सदन के स्थगन का प्रस्ताव

श्री हुकुम सिंह–

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 2 बजकर 16 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ ;
2 अप्रैल, 1986

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0सं0–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29पर)

बस्ती जनपद के मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता का नाम तथा वितरण हेतु उनसे सम्बद्ध विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र का विवरण––

क्रम सं0	जनपद में मिट्टी तेल के थोक-विक्रेता के नाम व पता	वितरण हेतु थोक विक्रेता से सम्बद्ध विकास खण्ड/शहरी क्षेत्र का नाम
1	2	3
1	मै0 ज्ञानदास एण्ड क0, पाण्डेय बाजार, बस्ती ।	1––बस्ती सदर, 2––सल्टौवा गोपालपुर, 3––साऊंघाट, 4––कुदरहा (पार्ट) ।
2	मै0 जिवधनराम प्रताप नारायन पाण्डेय बाजार, बस्ती ।	1––कुदरहा (पार्ट), 2––विक्रमजोत, 3––कप्तानगंज, 4––सांथा (पार्ट) ।
3	मै0 कैलाश नाथ गुप्ता, पाण्डेय बाजार, बस्ती ।	1––हरैया (पार्ट), 2––गौर (पार्ट) ।
4	मै0 अग्रवाल आयल कं0, पाण्डेय बाजार, बस्ती ।	1––बनकटी, 2––बहादुरपुर ।
5	मै0 प्यारे लाल कन्हैया लाल, स्टेशन रोड, बस्ती ।	1––सेमरियावा (पार्ट), 2––परसरामपुर (पार्ट), 3––साँथा (पार्ट), 4––रूधौली (पार्ट) ।
6	मै0 राधाकृष्ण बिमल कुमार, (प्रा0) लि0, पाण्डेय बाजार, बस्ती ।	1––नगरपालिका बस्ती के दुकानदार, 2––शैक्षिक संस्थाए, 3––विभागीय कोटा, कार्ड आदि ।
7	मै0 राधाकृष्ण विमल कुमार (प्रा0) लि0, बमनान, बस्ती ।	1––परसरामपुर (पार्ट), 2––गौर (पार्ट), 3––हरैया (पार्ट) ।
8	मै0 जिवधनराम प्रताप नरायन, बमनान, बस्ती ।	1––परसरामपुर, (पार्ट) ।
9	मै0 राधाकृष्ण विमल कुमार (प्रा0) लि0, खलीलाबाद, बस्ती ।	1––हैसर बाजार, 2––नाथनगर, 3––बघौली, 4––सेमारियांवा (पार्ट) ।
10	मै0 जयजवान आयल कं0, खलीलाबाद, बस्ती ।	1––खलीलाबाद, 2––नोटीफाइड एरिया मगहर
11	मै0 राम आसरे ध्रुवचन्द्र, खलीलाबाद, बस्ती ।	1––खलीलाबाद नगरपालिका, 2––हरिहरपुर टाउन एरिया ।
12	मै0 आर0डी0सैनिक तेल भण्डार, मेहदावल, बस्ती ।	1––मेहदावल, 2––मेहदावल टाउन एरिया ।
13	मै0 राधा कृष्णविमल कुमार (प्रा) 0लि0, डुमरियागंज, बस्ती ।	1––डुमरियागंज, 2––रामनगर, 3––भनवापुर (पार्ट) ।
14	मै0 केदारनाथ गोपीराम, इटावा बस्ती ।	1––भनवापुर (पार्ट), 2––खुनियांव ।

1	2	3
15	मै0 ज्ञानदास एण्ड कं0 इटवा, बस्ती ।	1—इटवा ।
16	मै0 सीताराम परशुराम शोहरतगढ़, बस्ती ।	1—नौगढ़ (पार्ट), 2—बढ़नी (पार्ट) 3—टी0ए0 शोहरतगढ़ (पार्ट) ।
17	मै0 सीताराम परशुरामका, नौगढ़, बस्ती ।	1—जौगिया (पार्ट, 2—बईपुर (पार्ट), 3—खेसरहा (पार्ट), 4—टी0ए0 तेतरी बाजार (पार्ट) ।
18	मै0 खेतान आयल कं0, तेतरी बाजार, बस्ती ।	1—नौगढ़ (पार्ट), 2—उस्का बाजार (पार्ट), 3—जौगिया (पार्ट), 4—बर्डपुर (पार्ट) ।
19	मै0बालमूकुन्द कमला प्रसाद,तेतरी बाजार बस्ती ।	1—नौगढ़(पार्ट) 2—उस्का बाजार(पार्ट) 8—बर्डपुर (पार्ट) 4—टी0ए0 तेतरी बाजार (पार्ट)
20	मै0 लखीचन्द्र रामकुमार, तेतरी बाजार, बस्ती ।	1—बर्डपुर (पार्ट), 2—नौगढ़ (पार्ट), 3—मिठवल (पार्ट), 4—टी0ए0 तेतरी बाजार बस्ती (पार्ट) ।
21	मै0 लखीचन्द्र राम कुमार, शोहरतगढ़, बस्ती ।	1—जोगिया (पार्ट), 2—बढ़नी (पार्ट), 3—टी0ए0 शोहरतगढ़ (पार्ट), 4—मिठवल (पार्ट) ।
22	मै0 केदारनाथ गोपीराम, उस्का बाजार, बस्ती ।	1—उस्का बाजार (पार्ट) ।
23	मै0 केदारनाथ गोपीराम, बढ़नी, बस्ती ।	1—बढ़नी (पार्ट), 2—टाउन एरिया बढ़नी,
24	मै0 बृजमोहन लाल देवी प्रसाद, शोहरतगढ़, बस्ती ।	1—जोगिया (पार्ट), 2—टी0ए0 शोहरतगढ़ (पार्ट), 3—बढ़नी (पार्ट), 4—बांसी, 5—टी0ए0 बांसी ।
25	मै0 बृज मोहनलाल देवी प्रसाद, बढ़नी, बस्ती ।	1—बढ़नी (पार्ट)
26	मै0 बृजमोहन लाल देवी प्रसाद, वर्डपुर, बस्ती ।	1—बर्डपुर (पार्ट) ।
27	मै0 बालमुकुन्द कमला प्रसाद, उस्का बाजार, बस्ती ।	1—जोगिया (पार्ट) ।
28	मै0 राधाकृष्ण विमल कुमार(प्रा0) लि0, बांसी बस्ती ।	1—सांथा (पार्ट), 2—रुधौली (पार्ट), 3—खेसरहा (पार्ट) ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

खरीफ क्रय योजना वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 21 दिसम्बर, 1985 तक की गयी धान खरीद की मात्रा (मी0 टनों में)

क्रम-स0	जनपद	एजेंसीवार खरीद की मात्रा					
		भा0खा0नि0	रा0खा0नि0	सह0 संघ	एग्रो-कार0	म0वि0 निगम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली	19	155.8	764	27	..	965.8
2	हरदोई	17	195.5	78	55	..	354.5
3	उन्नाव	..	20.4	56	51	..	127.4
4	सीतापुर	6	499.0	137	6	..	648.0
5	लखीमपुर खीरी	96	225.2	360	165	..	846.2
6	बाराबंकी	201	60.8	280	31	..	572.8
7	गोरखपुर	3733	215.4	2700	300	30	6978.4
8	देवरिया	467	66.1	967	50	25	1575.1
9	बस्ती	289	116.3	871	59	20	1355.3
10	बरेली	52	120.0	146	61	..	379.0
11	बदायूं	..	50.0	31	..	..	81.0
12	पीलीभीत	223	316.7	410	78	..	1027.7
13	शाहजहांपुर	1427	250.0	891	188	..	2756.0
14	मुरादाबाद	632	210.0	706	15	..	1563.0
15	रामपुर	952	175.0	1858	32	..	3017.0
16	बिजनौर	451	725.0	924	14	..	2114.0
17	हल्द्वानी (नैनीताल)	1173	250.0	5249	255	..	6927.0
18	मैनपुरी	..	32.2	1	90	..	123.2
19	एटा	..	162.2	397	105	..	664.2
20	अलीगढ़	..	134.0	38	65	..	237.0
21	मथुरा	..	32.6	..	..	..	32.6
22	मुजफ्फरनगर	184	201.0	424	1	..	810.0
23	सहारनपुर	961	236.0	1665	122	869	3853.0
24	मेरठ	..	..	115	5	..	120.0
25	इटावा	..	..	103	27	..	130.0
26	फतेहपुर	..	..	843	10	..	853.0
27	गोण्डा	66	23.6	350	..	..	439.6
28	बहराइच	103	..	806	14	..	923.0
29	प्रतापगढ़	84	..	59	..	..	143.0

1	2	3	4	5	6	7	8
30	सुल्तानपुर	142	..	487	..	..	629.0
31	इलाहाबाद	..	..	168	30	..	198.0
32	फैजाबाद	3061	..	173	58	..	3292.0
33	फर्रुखाबाद	..	..	47	..	..	47.0
34	कानपुर	..	..	70	..	..	70.0
35	बांदा	..	..	33	..	..	33.0
36	वाराणसी	..	..	20	11	..	31.0
37	मिर्जापुर	..	..	4	10	..	14.0
38	जौनपुर	..	..	1	10	..	11.0
39	गाजीपुर	..	..	28	14	..	42.0
40	बलिया	..	..	5	8	..	13.0
41	आजमगढ़	..	..	10	..	..	10.0
42	कोटद्वार	..	..	42	..	..	42.0
43	लखनऊ	..	..	..	40	..	40.0
	योग	14,339	4,472.8	22,317	2,007	944	44,079.8

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 44 पर)

खरीफ क्रय योजना वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 30-11-85 तक की गयी धान खरीद की मात्रा (मी0 टनों में)

क्रम-सं0	जनपद	एजेंसीवार खरीद की मात्रा					
		भा0खा0नि0	रा0खा0नि0	सह0 संघ	एग्रो कार0	म0वि0 निगम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली	..	48.5	200	..	..	248.5
2	हरदोई	..	24.6	..	..	..	24.6
3	उन्नाव	..	20.4	..	..	..	20.4
4	सीतापुर	..	19.2	81	..	..	100.2
5	लखीमपुर	27	36.0	65	..	..	128.0
6	बाराबंकी	..	13.4	50	..	..	63.4
7	गोरखपुर	2118	117.4	557	..	15	2807.4
8	देवरिया	..	28.7	121	..	15	164.7
9	बस्ती	..	79.3	101	..	10	190.3
10	बरेली	992	14.2	39	..	..	1045.2
11	बदायूं	160	6.5	..	..	..	166.5
12	पीलीभीत	99	104.6	88	..	..	291.6
13	शाहजहांपुर	855	107.4	250	..	..	1212.4
14	मुरादाबाद	10	430.5	420	..	..	860.5
15	रामपुर	420	137.0	1839	..	..	2396.0
16	बिजनौर	30	232.5	550	..	..	812.5
17	हल्द्वानी (नैनीताल)	517	120.0	2900	..	..	3537.0
18	मैनपुरी	..	22.2	..	..	..	22.2
19	एटा	..	35.2	102	..	..	137.2
20	अलीगढ़	..	43.4	..	..	..	43.4
21	मथुरा	..	12.6	..	..	..	12.6
22	मुजफ्फरनगर	136	137.1	403	..	..	676.1
23	सहारनपुर	813	99.4	1382	..	671	2965.4
24	मेरठ	..	..	115	..	..	115.0
25	इटावा	..	..	3	..	..	3.0
26	फतेहपुर	..	..	374	..	..	374.0
27	गोण्डा	..	6.3	20	..	..	26.3
28	बहराइच	54	..	8	..	..	32.0
29	प्रतापगढ़	..	..	20	..	..	20.0
30	सुल्तानपुर	..	..	48	..	..	48.0
31	इलाहाबाद	..	..	31	..	..	31.0
32	फैजाबाद	..	..	15	..	..	15.0
	योग	6231	1896.4	9782	..	711	18620.4

नत्थो 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 68 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

खरीफ क्रय योजना वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 7 दिसम्बर, 1985 तक की गयी धान खरीद की मात्रा (मी0टनों में)

क्रम-स0	जनपद	एजेंसीवार खरीद की मात्रा					
		भा0खा0नि0	रा0खा0नि0	सह0 संघ	एग्रो कार0	म0वि0 निगम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली	..	68.8	305	..	..	373.8
2	हरदोई	..	27.8	7	..	..	34.8
3	उन्नाव	..	20.4	..	..	..	40.4
4	सीतापुर	..	72.0	81	..	..	153.0
5	लखीमपुर	27	60.0	189	30	..	306.0
6	बाराबंकी	21	21.6	118	..	..	160.6
7	गोरखपुर	2456	146.4	1264	70	15	3951.4
8	देवरिया	184	41.7	300	145	15	685.7
9	बस्ती	50	79.3	245	77	10	461.3
10	बरेली	38	26.2	86	22	..	172.2
11	बदायूं	296.5	41.5	5	..	..	343.0
12	पीलीभीत	130	116.0	215	41	..	502.0
13	शाहजहांपुर	1141	132.7	445	118	..	1836.7
14	मुरादाबाद	122.5	140.1	420		.	682.6
15	रामपुर	582	137.0	1839	..	..	2558.0
16	बिजनौर	30	281.1	783	..	..	1094.0
17	हल्द्वानी (नैनीताल)	568	144.9	4141	..	..	4833.9
18	मैनपुरी	..	32.2	..	20	..	52.2
19	एटा	..	59.6	180	..	..	239.6
20	अलीगढ़	..	43·4	12	..	..	55.4
21	मथुरा	..	22.6	..	..	..	22.6
22	मुजफ्फरनगर	182	143.6	424	..	..	749.6
23	सहारनपुर	945	131.1	1535	35	743	3389.1
24	मेरठ	..	..	115	..	..	115.0
25	इटावा	..	..	40	..	..	40.0
26	फतेहपुर	..	..	619	..	..	619.0
27	गोण्डा	9	18.2	97	..	..	142.2
28	बहराइच	24	..	280	..	..	304.0
29	प्रतापगढ़	..	..	23	..	..	23.0
30	सुल्तानपुर	21	..	120	..	..	141.0
31	इलाहाबाद	..	..	73	20	..	93.0
32	फैजाबाद	1232	..	40	20	..	1292.0
33	कानपुर	..	..	2	..	..	2.0
34	वाराणसी	..	..	5	..	..	5.0
35	गाजीपुर	..	..	11	..	..	11.0
	योग	8059	2008.2	14208	618	783	25676.2

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता 0प्र0सं0 69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

खरीफ क्रय योजना वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 14 दिसम्बर, 1985 तक की गयी धान खरीद की मात्रा (मी0 टनों में)

क्रम-सं0	जनपद	एजेंसीवार खरीद की मात्रा					
		मा0खा0नि0	रा0खा0नि0	सह0 संघ	एग्रो कार0	म0वि0 निगम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली	6	97.7	507	8		618.7
2	हरदोई	7	164.3	13	35	..	219.3
3	उन्नाव	..	20.4	..	32	..	52.4
4	सीतापुर	..	372.1	66	..	..	438.1
5	लखीमपुर	87	174.9	325	75	..	661.9
6	बाराबंकी	136	31.1	140	20	..	327.1
7	गोरखपुर	3056	171.0	1687	70	15	4999.0
8	देवरिया	384	66.1	567	144	15	1176.1
9	बस्ती	122	100.0	452	77	10	761.0
10	बरेली	42	26.2	109	22	..	199.2
11	बदायूं	800	190.7	10	..	..	1000.7
12	पीलीभीत	198	104.6	282	41	..	625.6
13	शाहजहांपुर	1357	179.4	545	118	..	2199.4
14	मुरादाबाद	390	568.2	420	4	..	1382.2
15	रामपुर	900	169.0	1839	18	..	2926.0
16	बिजनौर	190	550.3	913	14	..	1667.3
17	हल्द्वानी (नैनीताल)	936	185.3	4984	64	..	6169.3
18	मैनपुरी	..	32.2	1	25	..	58.2
19	एटा	..	87.9	242	25	..	354.9
20	अलीगढ़	..	91.5	19	25	..	135.5
21	मथुरा	..	32.6	..	..	..	32.6
22	मुजफ्फरनगर	182	169,9	424	1	..	776.9
23	सहारनपुर	948	204.6	1665	55	841	3713.6
24	मेरठ	..	..	115	5	..	120.0
25	इटावा	..	..	100	40	..	140.0
26	फतेहपुर	..	..	722	..	..	722.0
27	गोण्डा	46	23.6	151	..	..	220.6
28	बहराइच	60	..	472	..	,,	532.0
29	प्रतापगढ़	..	..	47	..	..	47.0

1	2	3	4	5	6	7	8
30	सुल्तानपुर	81	..	380	..	..	461.0
31	इलाहाबाद	..	..	107	35	..	142.0
32	फैजाबाद	2377	..	42	..	..	2419.0
33	फर्रुखाबाद	..	..	9	100	..	109.0
34	कानपुर	..	..	25	.	,	25/0
35	बांदा			21			21.0
36	वाराणसी			15			15.0
37	मिर्जापुर			3		..	3.0
38	गाजीपुर		.	28	.	..	28.0
39	कोटद्वार	..	..	20	..	..	20.0
	योग	12305	3813.6	17467	1053	881	35,519.6

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0सं0–70 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45 पर)

खरीफ क्रय योजना वर्ष 1985–86 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक की गयी धान की मात्रा (मी0 टनों में)

क्रम-सं0	जनपद	एजेंसीवार खरीद की मात्रा					
		भा0खा0नि0	रा0खा0नि0	सह0 संघ	एग्रो कार0	म0वि0 निगम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रायबरेली	42	236.0	1048	45	..	1371.0
2	हरदोई	29	324.5	176	181	..	710.5
3	उन्नाव	..	24.0	103	100	..	227.0
4	सीतापुर	6	1054.6	204	10	..	1274.6
5	लखीमपुर	321	326.6	300	363	..	1370.6
6	बाराबंकी	326	80.5	320	70	..	796.5
7	गोरखपुर	4317	288.4	3655	498	50	8808.4
8	देवरिया	701	127.8	1342	140	35	2345.8
9	बस्ती	333	278.5	1356	197	20	2184.5
10	बरेली	52	244.9	157	150	..	603.9
11	बदायूं	1311	82.7	69	..	..	1462.7
12	पीलीभीत	306	369.4	453	153	..	1281.4
13	शाहजहांपुर	2001	622.4	1053	618	..	4294.4
14	मुरादाबाद	930	860.6	945	140	..	2875.6
15	रामपुर	963	183.1	1927	64	..	3137.1
16	बिजनौर	364	690.3	942	13	..	2009.3
17	हल्द्वानी (नैनीताल)	1347	507.9	5332	618	..	7804.9
18	मैनपुरी	..	58.8	12	255	..	325.8
19	एटा	..	369.3	408	184	..	961.3
20	अलीगढ़	..	162 2	41	286	..	489.2
21	मथुरा	..	43.1	..	..	..	43.1
22	मुजफ्फरनगर	184	187.2	491	1	.	863.2
23	सहारनपुर	963	299.6	1665	500	884	4311.6
24	मेरठ	..	..	137	5	..	142.0
25	इटावा	..	..	106	57	..	163.0
26	फतेहपुर	..	..	1059	25	..	1084.0
27	गोण्डा	234	143.3	563	80	..	1020.3

1	2	3	4	5	6	7	8
28	बहराइच	217	..	1099	23	..	1339.0
29	प्रतापगढ़	505	..	115	..	..	620.0
30	सुल्तानपुर	600	..	741	10	.	1351.0
31	इलाहाबाद	..	..	415	215	..	630.0
32	फैजाबाद	5207	..	197	290	..	5694.0
33	फर्रुखाबाद	..	..	93	..	..	93.0
34	कानपुर	..	..	140	145	..	285 0
35	बांदा	..	..	37	..	..	37.0
36	वाराणसी	..	..	55	35	..	90.0
37	मिर्जापुर	..	..	17	10	..	27.0
38	जौनपुर	..	..	4	18	..	22.0
39	गाजीपुर	..	..	59	37	..	96.0
40	बलिया	..	..	10	..	..	10.0
41	आजमगढ़	..	..	10	8	..	18.0
42	कोटद्वार	..	..	48	..	..	48.0
43	लखनऊ	..	..	..	70	..	70.0
	योग	21,259	7.565.7	26,964	5,614	989	62,391.7

सत्यमेव जयते

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0–77 (अ) का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

संलग्नक

ड्रेन का नाम	1982–83		1983–84		1984–85	
	मिट्टी का कार्य (लाख रु0)	पक्के कार्य (लाख रु0)	मिट्टी का कार्य (लाख रु0)	पक्के कार्य (लाख रु0)	मिट्टी का कार्य (लाख रु0)	पक्के कार्य (लाख रु0)
गुलालपुर	1.78	0.38	3.72	1.06	1.51	0.09
खेमवा	0.07	0.48	..	..	..	..